एम०सी०आर०सी०नं० 12 ..../96 — प्रतिलिपि 2416/... (24 सी - 149 ...) की जो कि श्री टी० के० आ
के०के०एस० राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्रक० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है

म०प्र०शासन, द्वारा - थाना भिलाईनगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. ... . अभियोजन

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं० 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०-7ए, रोड नं05, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विद्या सिंह
साकिन - 7जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग.
6 नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन - सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग.
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निशही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
साकिन - आर - 37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कोलोनी,
इण्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .. ... अभियुक्तगण

12-10-96

124 अभियोजन 8-3-96

39 वर्ष

विश्वम्भर प्रसाद साहनी
प्राचार्य हाईस्कूल
जनता मा० विद्यालय अरुणखोला, जिला-नवलपरासी (नेपाल)

श्री सिंगली प्रसाद साहनी
बरहदवा, जिला-रूपन्दही, नेपाल।

शपथपूर्वक :-

1. मैं बरहदवा ग्राम, जिला-रूपन्दही (नेपाल) का रहने वाला हूं। मैं सन् 76 से नवलपरासी के डी.ए. सेकेण्डरी स्कूल में सेवारत हूं। वर्तमान समय में मैं उस विद्यालय में प्राचार्य हूं। मैं एम०ए०, बी०एड० हूं। एम०ए० मैंने गोरखपुर से किया है तथा बी०एड० त्रिभुवन वि० वि०, पृथ्वीनारायण कैम्पस पोखरा नेपाल से किया हूं।

2. ग्राम कुसा (उ०प्र०) में मेरे कुछ रिश्तेदार लोग रहते हैं। मेरी शादी गोरखपुर के डोहरिया बाजार के रंगीलाल के घर हुई है। विश्वनाथ, केशनाथ और राजू मेरे साले हैं। केशनाथ रेल्वे विभाग का कर्मचारी है।

3. दिसम्बर 91 में मैं अरुणखोला स्कूल में सेवारत था। स्कूल के बगल में ही मेरा निवास था। मैं उस मकान में किराये से रहता था। दिसम्बर 91 में उस मकान में मैं और मेरा एक बच्चा रहता था। हर महीने जिला मुख्यालय में हम लोगों की मीटिंग होती है। दिसम्बर 91 में पौष (नेपाली तिथि) में मीटिंग थी। पौष का भारतीय दिसम्बर महीने में कौन सी तारीख थी, यह मैं नहीं बता सकता। मैं मीटिंग के लिये सुबह करीब 9.00 बजे जिला मुख्यालय नवलपरासी चला गया था। शाम के करीब 7.00 बजे जब मैं अपने घर वापस आया तो मेरे बच्चे ने बताया कि मामा आये हैं। बच्चे ने बताया कि मामा के साथ एक आदमी और आया है। जब मैं घर गया तो मेरी मुलाकात मेरे साले केशनाथ के साथ हुई। केशनाथ के साथ पलटन था। उन्हीं लोगों ने बताया कि इसका नाम पलटन है। मैंने केशनाथ से घर का हालचाल पूछा और उनसे यह भी पूछा कि कैसे आना हुआ। केशनाथ ने कहा कि अभी खाना खाकर सोयेगा, कल सुबह बातचीत करेगा।

सुबह, मैंने पूछा कि आप लोगों का आना कैसे हुआ है तो केशनाथ ने बताया कि पलटन मेरे साले का रिश्तेदार दूर का पड़ता है। मैंने पूछा कि क्या काम पड़ गया है जो आये हो। केशनाथ ने कहा कि पलटन को नेपाल में किसी सुरक्षित जगह पर मैं रखवा दूं। मैंने पलटन से पूछा कि आप नेपाल में क्यों रहना चाहते हैं। पलटन से बातें तो तमाम

हुई, किंतु अंत में पलटन ने बताया कि मैं सिम्पलेक्स कंपनी वालों के कहने पर ज्ञानप्रकाश मिश्र के साथ जाकर मैंने शंकर गुहा नियोगी की हत्या कर दिया। पलटन की यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और अपने साले को मैं बहुत गाली दिया। मैंने कहा कि तुम लोग तुरंत यहां से भाग जाओ। मैंने तुरंत ही एक ट्रक रूकवाकर उन लोगों को वापस भिजवा दिया। उसके बाद वे लोग कहां गये यह मुझे नहीं मालूम।

5. न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पलटन ही वह व्यक्ति है, जो केशनाथ के साथ मेरे घर आया था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, व नवीन शाह।

6 यह बात सही है कि सी0बी0आई0 के एक अधिकारी ने मेरा सिर्फ एक बार बयान लिया था व तो उसके पहले मेरा बयान लिया गया और न उसके बाद ही मेरा कोई बयान लिया गया। यह बात सही है कि सी0 बी0आई0 का अधिकारी भारत का था। सी0बी0आई0 अधिकारी के साथ नेपाल का कोई पुलिस अधिकारी मेरे घर नहीं आया था। सी0बी0आई0 के दो अधिकारी मेरे घर आये थे। सी0बी0आई0 के अधिकारियों का नाम मुझे नहीं मालूम। मैंने उनका नाम नहीं पूछा था। मैं नहीं बता सकता कि सी0 बी0आई0 का अधिकारी किस पद का था। सी0बी0आई0 का अधिकारी वर्दी में नहीं था, बल्कि सादे कपड़े में था। सी0बी0आई0 अधिकारी के साथ जो दूसरा अधिकारी आया था वह भी सादे कपड़े में था। सी0बी0आई0 अधिकारी के साथ जो दूसरा अधिकारी था वह भी किस रैंक का था मैं यह नहीं बता सकता। मैंने सी0बी0आई0 अधिकारी का सिर्फ कार्ड देखा था। चूंकि उस कार्ड में केन्द्रीय जांच ब्यूरो लिखा था, इसलिये मैं कहता हूं कि वे सी0बी0आई0 के अधिकारी थे।

7. मेरे घर से थाना लगभग 27-28 कि0मी0 दूर होगा। यह बात सही है कि सी0बी0आई0 अधिकारियों के साथ नेपाल पुलिस का कोई भी अधिकारी या सिपाही नहीं आया था। यह कहना गलत है कि नेपाल से मेरे साथ सी0बी0आई0 का अधिकारी आज दुर्ग आया है।

8. मैंने सी0बी0आई0 वालों को यह एतराज नहीं किया कि आप दूसरे देश वाले हो नेपाल की पुलिस को साथ लाओ तो बयान दूंगा। सी0बी0 आई0 वाले ज्यादा-से-ज्यादा 15-20 मिनट मेरे घर रूके थे। सी0बी0आई0 वाले शाम के करीब 4-4.30 बजे मेरे घर आये थे। उस दिन स्कूल था, किंतु उस समय तक मैं घर आ गया था। सी0बी0आई0 वाले जिस दिन मेरे घर आये थे उसका तारीख मैं नहीं बता सकता।

[illegible]

सं0 124 अभियोजन

जिस दिन पलटन मेरे घर आया था उस दिन की तारीख मैं कहीं नोट करके नहीं रखा हूं। सी0बी0आई0 वालों ने मेरा जो बयान लिखा उसके बारे में मैंने स्थानीय पुलिस को जाकर नहीं बताया। मैंने किसी अन्य व्यक्ति से इस बात का जिक्र नहीं किया कि सी0बी0आई0 वाले मेरा बयान लिखकर ले गये हैं। पलटन ने जो यह बताया कि वह कत्ल करके आया है तो इसकी रिपोर्ट मैंने थाने में नहीं की। मैंने उसे भगा दिया। मैंने नेपाल के अन्य किसी व्यक्ति से इस बात का जिक्र नहीं किया कि मेरे घर ऐसे-ऐसे व्यक्ति आ गये थे। मैंने सी0बी0आई0 को यह बात बताने के पहले और किसी को यह बात नहीं बताया था। मैंने यह लिखकर नहीं रखा कि पलटन मेरे घर आया था और ऐसी-ऐसी बात किया है। चूंकि पलटन उस दिन आया था जिस दिन हम लोगों की नियमित बैठक होती है, इसलिये यह तारीख मुझे याद है। हम लोगों की महीने में नियमित बैठक एक बार ही होती है। आवश्यकता होने पर महीने में 2-3 बार बैठकें हो जाती हैं। हर महीने नियमित बैठक 4 तारीख को होती है। यदि 4 तारीख को छुट्टी पड़ जाता है तो आगे की कार्य तिथि में बैठक होती है। मैं आज यह नहीं बता सकूंगा कि दिसम्बर 91 के 4 तारीख को कौन सा वार था।

10. सी0बी0आई0 वाले मुझसे पूछताछ करने के लिये कब मेरे पास आये थे। पलटन के आने के करीब एक महीने या 15 दिन बाद सी0बी0आई0 वाले मेरे पास आये थे। यह बात गलत है कि सी0बी0आई0 वाले पलटन के आने के करीब 6 महीने बाद मेरे पास पूछताछ करने के लिये आये थे। मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि सी0बी0आई0 वाले पलटन के जाने के 15 दिन बाद या महीने भर बाद या 2-3 महीने बाद ही आये थे। मैंने ऊपर जो बताया है कि एक महीने के अंदर आये थे यह मैंने अंदाज से बताया है। मैं जो अंदाज बताया हूं उसमें 2-4 दिन की गलती भी हो सकती है। बात ठीक होगा कि पलटन के आने के एक डेढ़ महीने के अंदर ही सी0बी0आई0 वाले आये थे।

सी0बी0आई0 वाले जब आये तो मुझसे पूछा कि मेरे साथ [illegible] नाथ के साथ कोई आया था तो मैंने कहा कि [illegible] के साथ पलटन आया था।

मैंने उनसे पूछा कि केशनाथ और पलटन के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो तो उन्होंने बताया कि वे लोग पलटन की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वह कत्ल करके आया है। मैं कोई चिंता में नहीं पड़ा था।

12. पलटन ने मुझे जो बताया था वह सवाल-जवाब में बताया था। मैं उससे पूछता था और वह जवाब देता था। मैं जब पूछता था और पलटन जवाब देता था तो केशनाथ ने बीच में कुछ नहीं कहा था। केशनाथ ने यह कहा था कि पलटन को म०प्र० और उ०प्र० की पुलिस खोज रही है, टी०वी० और समाचार-पत्रों में उसका नाम आ रहा है, इसलिये उसको नेपाल में छिपाने के लिये वह लेकर आया है। केशनाथ ने बताया था कि पलटन कोई कांड कर दिया है, इसलिये उसको सुरक्षित रखना है।

13. मैं स्कूल में कोई विषय नहीं पढ़ाता हूं। मैंने केशनाथ से पूछा कि पलटन ने क्या कांड किया है, तो उसका जवाब पलटन ने दिया था। पलटन ने पूरी बात बता दिया और बीच में प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं हुई।

13. नेपाल में पहले मैंने सिम्पलेक्स कंपनी का नाम नहीं सुना था। उसके बाद मैंने मनोहर कहानी खरीदा था, जिसमें सिम्पलेक्स कंपनी का जिक्र था। पलटन के जाने के एक-दो महीने के अंदर ही मैंने मनोहर कहानी पढ़ा था। उस किताब में पलटन ने जो बात बताई थी उसके अलावा बहुत सारी बातें लिखी थी। मनोहर कहानी मैंने स्वयं खरीदा था। मनोहर कहानी पढ़ने के बाद भी मैंने किसी से नहीं कहा कि पलटन मेरे घर आया था और ये बातें बताया था।

14. मैं ज्ञानप्रकाश मिश्र को पहले से नहीं जानता था। पलटन के आने के करीब 4-5 साल पहले अब कहता है कि 4-5 महीने पहले मैंने किसी पत्रिका में मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी का नाम पढ़ा था कि वह बालठाकरे के समान प्रसिद्ध है। संभवतः मैंने उनका नाम पत्रिका में पढ़ा था, किंतु यह याद नहीं है कि किस पत्रिका में पढ़ा था। यह बात तो पलटन ही जाने कि उसने यह क्यों बताया कि किसके कहने से और किसके साथ जाकर उसने शंकर गुहा नियोगी की हत्या किया है। मैंने तो सिर्फ यह पूछा था कि पुलिस क्यों तलाश कर रही है। मैं इसलिये आग बबूला हो गया कि मैं शिक्षा विभाग में कार्य करता हूं और मर्यादित रूप से रहता हूं, इसलिये पलटन के द्वारा यह बात बताये जाने पर कि मुझ पर भी धब्बा न लग जाये मैं आग बबूला हो गया। धब्बा लगने से यह असर हो सकता था कि मेरा संबंध ऐसे-ऐसे लोगों से है। यदि ऐसे लोगों से संबंध रहा तो इसका असर मेरी नौकरी पर भी पड़ सकता है और मुझे सर्विस से भी हटाया जा सकता था यदि बात सत्य हो तो।

भारत में ... (4)

नं0 ... 124 ... अभियोजन 3

15. यह कहना गलत है कि जब सी0 बी0 आई0 वाले मेरे पास आये तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा संबंध ऐसे-वैसे लोगों से है और इसका असर मेरी नौकरी पर भी पड़ सकता है। यह कहना गलत है कि मैं सी0 बी0 आई0 वालों के सिखाने पर बयान दे रहा हूं। मैंने सी0 बी0 आई0 वालों को यह नहीं बताया था कि पलटन पहले कब आया था। सी0 बी0 आई0 वालों ने यह पूछा था कि पलटन आया था या नहीं तो मैंने बताया था कि आया था। सी0 बी0 आई0 वालों ने यह नहीं पूछा था कि दिसम्बर के महीने में कोई आया था या नहीं। जो आदमी कभी किसी के यहां नहीं जाता और आ जाता है तो इतिहास बन जाता है, इसी लिये मुझे पलटन के दिसम्बर के महीने में आने की बात याद थी। मैं सी0 बी0 आई0 वालों के आने का महीना नहीं बता सकता, किंतु वे लोग दिसम्बर के महीने के बाद/में आये थे। मैं यह नहीं बता सकूंगा कि दिसम्बर के बाद जो 12 महीने पड़ते हैं उनमें से किस महीने में सी0 बी0 आई0 वाले आये थे।

16. यह बात सही है कि सी0 बी0 आई0 वाले पहले मेरे यहां कभी नहीं आये थे, इसलिये उनका आना ऐतिहासिक था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवस्थी, अंच, चन्द्रप्रकाश एवं बलदेव.

17. चूंकि नेपाल से भारत आने में कोई पासपोर्ट नहीं लगता, इसलिये मैं जब-जब भारत आता हूं तब-तब नेपाल में सूचना देने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं नेपाल का नागरिक हूं। किंतु नेपाल की नागरिकता का प्रमाण-पत्र लेकर आज मैं अपने साथ नहीं आया हूं। मैं आज वर्दी लेकर आया हूं मैं यह नहीं बताकर आया हूं कि मैं गवाही देने के लिये भारत जा रहा हूं मुझे सी0 बी0 आई0 का कोई कर्मचारी आज की पेशी के लिये समन्स देकर गया था। सी0 बी0 आई0 का वह व्यक्ति आज न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं है। मुझे नेपाल पुलिस या सरकार से यह सूचना नहीं मिली थी कि आज गवाही देने के लिये जाना है। मैं या कोई भी व्यक्ति नेपाल से बेरोक-टोक आ-जा सकता है।

18. मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, गोंदिया और जबलपुर में भी सिम्पलेक्स की कंपनियां हैं। सी0 बी0 आई0 वाले आये थे और मुझसे पूछे कि पलटन आया था या नहीं, मैंने हां कहा और उसके बाद सी0 बी0 आई0 वाले चले गये।

19. यह बात सही है कि पलटन को मैं पहले से नहीं जानता था और उसके बारे में उसे आज ही देख रहा हूं। समंस मिलने के बाद मैं गोरखपुर होते हुये और बनारस होते हुये दुर्ग आया हूं। आज सबेरे ही ट्रेन आई है और मैं तैयार होने के बाद यहां आया हूं। मुझे जो समंस मिला था वह अभी भी मेरे पास है। यह बात सही है कि न्यायालय के बाहर मेरे नाम से पुकार नहीं हुआ था। न्यायालय के बाहर मैंने पूछताछ किया तो मुझे एक कर्मचारी ने न्यायालय में आने के लिये बताया। मैंने समंस एक व्यक्ति को दिखाया था वह सी0बी0आई0 वाला था या नहीं मुझे नहीं मालूम। नेपाल से भारत में मैं कपड़ा एवं अन्य सामान लेने तथा अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिये आता था। नेपाल में मेरी 3-4 बहनें हैं और अन्य रिश्तेदार भी हैं। मेरे पिताजी नेपाल के ही रहने वाले थे।

20. नेपाल में पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है और भारत सहित बहुत देशों से दर्शनार्थी वहां आते हैं। यह कहना गलत है कि पलटन मेरे यहां नहीं आया था और उससे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

21. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शरीफ अहमद, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

22. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया। — मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी0के0 झा) — (टी0के0 झा)

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, — द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग (म0प्र0) — दुर्ग (म0प्र0)

आपराधिक ... 1200/96

(5)

1200/96

125 ... अभियोजन

... 18-2-96

45 वर्ष

श्री श्रीनारायण मिश्र
थाना-जीयनपुर, जिला-आजमगढ़
उ0प्र0

उमेशचंद्र मिश्र
प्रभारी निरीक्षक
थाना-जीयनपुर,
जिला-आजमगढ़ उ0प्र0

शपथपूर्वक

1. मैं जून 92 से जनवरी 94 तक पुलिसथाना केन्ट गोरखपुर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर पदस्थ था । दिनांक 21-8-93 को पलटन मल्लाह उर्फ रवि मल्लाह आ0 नोखई मल्लाह, साकिन-निबही हमारे थाने में 25 आर्म्स एक्ट एवं आफिसियल सीक्रेट एक्ट एवं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ था । पलटन मल्लाह को सुरेश शर्मा मास्टर वारंट ।भारतीय वायुसेना। ने संजय यादव के नाम से गिरफ्तार किया था । इसकी विवेचना मैंने किया था । सुरेश शर्मा ने पलटन को हमारे थाने में सौंप दिया था । सुरेश शर्मा की शिकायत पर हमारे थाने के हेड मोहर्रिर ने अपराध पंजीबद्ध किया था । इसकी विवेचना मैंने अपने हाथों में लिया । मैंने यह विवेचना दिनांक 21-8-93 को अपने हाथों में लिया ।

2. 21 तारीख को ही विवेचना के दौरान गहन पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम पलटन बताया । चूंकि अभियुक्त से पूछताछ विस्तार से करना था, इसलिये मैंने गोरखपुर के न्यायालय से अभियुक्त का 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया था । दिनांक 24-8-93 की सुबह 10.30 बजे फर्द गवाहन रामबहादुर सिंह पुत्र रामगुरसिंह ग्राम कनहौली, थाना रुद्रपुर, जिला-देवरिया हाल मुकाम-मोहल्ला दाऊदपुर, थाना कैंट जनपद गोरखपुर व श्री दिनेश बालोनी पुत्र योगेश्वर बालोनी निवासी-ग्राम पार्वे, थाना पौढ़ी, जिला-पौढ़ीगढ़वाल, हाल मुकाम-मेडिकल मदनमोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर के समक्ष गिरफ्तारशुदा मुल्जिम पलटन मल्लाह से [illegible] पूछताछ किया ।

3. अभियुक्त पलटन मल्लाह ने बताया कि उसने एक देशी तमन्चे, विदेशी रिवॉल्वर और एक कपड़े की बेल्ट, जिसमें 13 कारतूस लगे हुये हैं, जिसमें 2 एल0जी0 कारतूस है और 38 बोर के 6 अन्य कारतूस को एक पॉलिथीन बैग में रखकर प्लास्टिक की सीट में लपेटकर सुतली से बांधकर गांव से करीब एक कि0मी0 दूरी पर अपने पिताजी के डेरे में जमीन में खोदकर गाड़ रखा है, जिसे वह चलकर बरामद करा देगा । अभियुक्त पलटन ने यह भी बताया कि उसने सुजुकी मोटरसायकिल को अपने चचेरे जीजा के छोटे भाई सत्यप्रकाश के घर ग्राम चैनपुर, थाना-बड़लगंज में छिपाकर रख दिया है, जिसे भी वह चलकर बरामद करा देगा ।

नोट:- इस साक्षी ने अभियुक्त पलटन द्वारा उसे दिये गये बयान को भी बताया, किंतु उक्त बयान संस्वीकृति की श्रेणी में आता था, इसलिये अग्राह्य होने से उसे नोट नहीं किया गया ।।

इस सूचना पर मैं, आरक्षक श्यामाचरण, रविन्द्रकुमार सिंह, आरक्षक चालक रमाशंकर मणि त्रिपाठी और गवाह रामबहादुर सिंह, दिनेश बालोनी तथा अभियुक्त पलटन मल्लाह को साथ लेकर दिन के 12.30 बजे थाने से शासकीय जीप एम0पी0 बी0-4504 और एक प्रायवेट जीप से ग्राम निबही के लिये रवाना हुये ।

5 गवाहों के समक्ष अभियुक्त पलटन मल्लाह ने जो बयान दिया था उसे मैंने लिखा था । मैंने थाने में यह बयान अपने हाथों से ही लिखा था । ग्राम निबही के नजदीक पहुंचने पर अभियुक्त पलटन ने जीप रुकवाकर नीचे उतरा और बोला कि वह आगे-आगे चलकर अपने पिता के डेरे पर ले चलेगा । वह आगे चलने लगा और हम लोग उसके पीछे चलने लगे । पास में खेत में फारुख मिर्जा बेग भी मिल गये और उसे कारण बताकर अपने साथ हम लोगों ने ले लिया । अभियुक्त पलटन आगे चलते हुये अपने पिता के डेरे पर पहुंचा । डेरे के अंदर उत्तरी दीवाल के पास पहुंचकर उसने बताया कि यह वही जगह है, जहां पर उसने मिट्टी खोदकर उक्त सामानों को रखा है । पास ही पड़ी खुरपी से उसने जमीन को खोदा और एक प्लास्टिक की सीट में लपेटा हुआ बंडल निकाला और गवाहों के समक्ष बंडल को खोलकर एक पॉलिथीन के लिफाफे से एक देशी तमन्चा निकालकर दिया । इसके बाद एक विदेशी रिवॉल्वर, कारतूस से भरा बेल्ट, जिसमें 13 कारतूस थे, जिसमें 2 एल0जी0कारतूस थे और 6 अन्य 38 बोर का कारतूस निकाला और दिया । इन सभी बरामद किये गये वस्तुओं का विवरण फर्द में अंकित किया गया । इन वस्तुओं को उसी पॉलिथीन थैले में रखकर प्लास्टिक की सीट में लपेटकर एक कपड़े में सीलकर सीलबंद किया गया । नमूना मोहर तैयार किया गया । फर्द मौके पर लिखकर गवाहान को पढ़कर सुनाये जाने के बाद हस्ताक्षर बनाई गई । फर्द की एक कापी अभियुक्त को दी गई और उसके हस्ताक्षर भी लिये गये । प्रदर्श पी-285 मेरी ही लिखावट में है । इसके ड से ड भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं और उसके नीचे 16 बजकर 5 मिनट का समय डाला गया है । अ से अ दिनेश बालोनी, ब से ब रामबिहारी सिंह, स से स मिर्जा फारुख बेग ने मेरे सामने ही हस्ताक्षर किये हैं । इ से इ अभियुक्त पलटन ने मेरे सामने ही हस्ताक्षर किये हैं । पलटन के हस्ताक्षर के नीचे इनीशियल मेरा ही है, जो फ से फ भाग पर है । आरक्षक श्यामाप्रसाद, रविन्द्रकुमार सिंह, रमाशंकरमणि त्रिपाठी ने भी इस पर हस्ताक्षर किये हैं । सभी साक्षियों ने मेरे सामने ही हस्ताक्षर किये थे ।

[illegible]

6. न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त पलटन वही व्यक्ति है, जिसके बयान के आधार पर मैंने उपरोक्त वस्तुओं को बरामद किया था। सब सामानों को सीलबंद करके मैंने अपने पास रख लिया।

7. उपरोक्त कार्यवाही संपन्न करने के पश्चात मैं, आरक्षक श्यामाप्रसाद, आरक्षक रविन्द्रकुमार, अभियुक्त पलटन एवं दोनों गवाह दोनों जीपों से ग्राम निवाड़ी से ग्राम चैनपुर (लिलही) थाना छिदलगांव के लिये रवाना हुये। ग्राम चैनपुर पहुंचने पर अभियुक्त पलटन अल्लाह ने जीप रुकवाया और जीप से उतरकर कहा कि अब मैं पैदल चलकर सत्यप्रकाश के मकान पर ले चलता हूं, जहां मैंने टी०वी०एस०सुजुकी मोटरसायकिल छिपा रखी है। पलटन आगे चलते रहा और हम लोग उसके पीछे गये। सत्यप्रकाश के मकान पर हम लोग पहुंचे। उसके मकान का बाहरी दरवाजा उत्तर तरफ था। सत्यप्रकाश के मकान के पश्चिमी तरफ के कमरे में अभियुक्त पलटन ने लाल रंग की रखी हुई मोटरसायकिल को दिखाया। मोटरसायकिल पर काफी धूल जमी थी और उसके दोनों पहियों में हवा नहीं था। कर्मचारियों की मदद से उसे मकान से बाहर निकलवाया। उस मोटरसायकिल में नंबर प्लेट नहीं था। चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी मिटा हुआ था। टंकी में तेल नहीं था। मोटरसायकिल चालू हालत में भी नहीं थी। उस मोटरसायकिल को मैंने गवाहों के समक्ष जप्त किया। फर्द मौके पर बनाया और गवाहों को पढ़कर सुनाये जाने के बाद हस्ताक्षर लिये। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दिया और उसका भी फर्द पर हस्ताक्षर लिया। पी-296, मेरी लिखावट में है। इसके ड से ड भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, इसके नीचे मैंने 18.15 बजे का समय डाला है। अ से अ भाग पर दिनेश चालोनी के, ब से ब भाग पर हरबिहारी सिंह के, द से द भाग पर सत्यप्रकाश और फ से फ भाग पर अभियुक्त पलटन अल्लाह ने मेरे सामने ही हस्ताक्षर किये थे। अभियुक्त पलटन के हस्ताक्षर के नीचे मैंने संक्षेप में ग से ग भाग पर अपना हस्ताक्षर किया है। उपरोक्त जप्तशुदा सामानों को एवं अभियुक्त तथा गवाहों को लेकर वापस कैंट थाने आया और लिखा-पढ़ी किया। हम लोग लगभग रात को 8.00 बजे आये थे।

8. दिनांक 25-8-93 को सी0बी0आई0 के उप-अधीक्षक प्रसाद ने उक्त जप्तशुदा सामानों की जप्ती मुझसे कराई थी । मैंने उपरोक्त जप्तशुदा सामान और कागजात प्रसाद को दे दिया था । इसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-329 पी-329 है, जिसके अ से अभाग पर मेरे तथा ब से ब भाग पर प्रसाद के हस्ताक्षर हैं ।

9. कपड़े के बेल्ट में लगा हुआ 12 कारतूस । नोट:-एक कारतूस का उपयोग टेस्ट ऑफ फायर में किया गया है ।। एक्स-1, देशी कट्टा एक्स-2, एक्स-3 विदेशी रिवॉल्वर, 38 बोर कारतूस एक्स-4, प्लास्टिक की झिल्ली एक्स-6, दूसरी प्लास्टिक की झिल्ली एक्स-8 एवं लाल रंग की मुजकी मोटर-सायकिल एक्स-7 को मैंने जप्त किया था । साक्षी को उक्त सभी वस्तुयें न्यायालय में दिखाई गई । टेस्ट फायर किया गया कारतूस आर्टिकल एक्स-5 है । आर्टि एक्स-9 वह थैली है, जिसमें मैंने जप्तशुदा सामानों को सीलबंद किया था, ~~प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह,~~

इसमें मेरी लिखावट है और मेरे हस्ताक्षर अ से अभागों पर हैं । कपड़े की थैली पर हमारे थाने के आरक्षक क्लर्क परशुराम साहू के नाम की सील पी0आर0राय लगी हुई है । ये सील मैंने ग्राम निपानी में डेरे पर लगाया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अधि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

10. भारतीय थलसेना के अधिकारी ने पलटन को 21-8-93 को हमारे जिम्मे करीब 15-10 बजे किया था । उसका प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लिखा गया था । अभियुक्त पलटन के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट का और धारा 3 ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था । उसकी विवेचना मैं कर रहा था उसकी केस डायरी भी अलग से लिखी गई थी । अभियुक्त पलटन को 22-8-93 को रिमांड के लिये न्यायालय भेजा किया गया था । मैंने अभियुक्त पलटन के लिये ज्यूडिशियल रिमांड हेतु आवेदन नहीं दिया, वरन मैंने पुलिस रिमांड हेतु आवेदन दिया था उस समय तक सी0बी0आई0 वाले हमारे थाने में नहीं आये थे । चूंकि अभियुक्त ने अपना नाम पलटन मल्लाह बताया था और मुझे समाचार-पत्रों में पढ़ने से यह मालूम हुआ था, कि उसको, लाश शंकर गुहा नियोगी की हत्या के मामले में की जा रही है, इसलिये मैंने विस्तृत पूछताछ हेतु पुलिस रिमांड हेतु आवेदन दिया था । यह बात सही है, कि मुझे यह मालूम था कि पलटन की गिरफ्तारी के लिये एक लाख रुपये के ईनाम की घोषणा की गई थी । मैंने ईनाम का दावा किया और ईनाम की रकम मुझे मिली भी है । 22 तारीख की दोपहर को मुझे न्यायालय से अभियुक्त पलटन का पुलिस रिमांड मिल गया ।

आमा.र. /९/ - प०ऽ९/०/१७७८ ९७ं (7)

नं0 :- 125 अभियोजन 3

11. मुझे याद आ रहा है कि मैंने पुलिस रिमांड हेतु जो आवेदन पेश किया था उसमें यह लिखा था कि अभियुक्त फातन मल्लाह को पहचान लिया गया है और सी0बी0आई0 के अशोक दहियाल और सुदामाप्रसाद आ चुके हैं। मैंने अपने अधिकारियों को अभियुक्त फातन मल्लाह के पकड़े जाने की सूचना दे दिया था। मैंने अशोक दहियाल और सुदामाप्रसाद को फोन करके नहीं बुलाया था। मैं याददाश्त के आधार पर यह नहीं बता सकता कि अशोक दहियाल और सुदामाप्रसाद कितने बजे पहुंच गये थे। यह बात सही नहीं है कि न्यायालय में रिमांड आवेदन पेश करने के पूर्व अशोक दहियाल और सुदामाप्रसाद हमारे थाने में आ गये थे। यह बात सही नहीं है कि रिमांड आवेदन मैंने आम्र्स एक्ट और आफिशियल सीक्रेट एक्ट के अपराधों के लिये लिखा था। मैंने 22 तारीख को पुलिस डायरी में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि ~~थाने में~~ सी0बी0आई0 के दो अधिकारी आ गये हैं। अब साक्षी कहता है कि उसने इस बात का उल्लेख डायरी में किया था, परंतु नाम्हे में नहीं किया था।

12. मैंने बरामदगी का दस्तावेज 24-8-93 को तैयार किया है। 22 तारीख से 24-8-93 तक अनुसंधान में सी0बी0आई0 वाले मेरे साथ नहीं थे। मैं आज नहीं कह सकता कि 22 तारीख से 24 तारीख तक सी0बी0आई0 वाले मेरे थाने में थे या नहीं। मैंने सी0बी0आई0 वालों को अपने थाने में नहीं देखा था, हो सकता है कि वे आये हों। थाना प्रभारी मैं ही था। अशोक दहियाल और सुदामाप्रसाद सी0बी0आई0 के निरीक्षक स्तर के अधिकारी थे। मैं भी उस समय पुलिस निरीक्षक के स्तर का था। यदि मैं थाने में मौजूद रहूं तो वे अधिकारी मेरे पास ही आयेंगे।

नोट :- न्यायालय का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण स्थगित किया गया।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना पाया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(डी0के0शा0) (डी0के0शा0)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0) दुर्ग (म0प्र0)

नोट :- वायकाल पश्चात साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का प्रति-परीक्षण पुनः प्रारंभ किया गया ।

शपथपूर्वक :-

13. यह बात सही है कि गोरखपुर कैंट थाने में नियोगी हत्याकांड का अपराध दर्ज नहीं हुआ है । मैं बिना केस डायरी देखे यह नहीं बता सकता कि 22 तारीख को मैंने अभियुक्त पलटन मल्लाह से पूछताछ किया था नहीं । मैं बिना केस डायरी देखे यह नहीं बता सकता कि पुलिस रिमांड लेने के बाद 22 और 23 तारीख को मैंने अभियुक्त पलटन मल्लाह से पूछताछ किया था नहीं । आज मेरे पास डायरी नहीं है । 22 एवं 23 तारीख को सी0बी0आई0 वालों ने अभियुक्त पलटन मल्लाह से पूछताछ नहीं किया था । अभियुक्त पलटन को 25 तारीख को न्यायालय में पेश करना था, क्योंकि पुलिस रिमांड 24 तारीख तक था । 24 तारीख के पहले मैंने अभियुक्त पलटन से कोई पूछताछ किया था नहीं यह मैं डायरी देखकर ही बता सकता हूं । मैं आज याददाश्त के आधार पर यह नहीं बता सकता कि 22 एवं 23 तारीख को कानून व्यवस्था की ड्यूटी में मैं व्यस्त था या नहीं । मुझे यह ध्यान नहीं है कि 22 एवं 23 तारीख को कोई ऐसा अन्य बड़ा केस था या नहीं, जिसकी मैंने विवेचना किया था । मैंने 22 तारीख को और 23 तारीख को सी0बी0आई0 के दोनों अधिकारियों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया था ।

14. मैं बिना केस डायरी देखे यह नहीं बता सकूंगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में 22 एवं 23 तारीख को अभियुक्त पलटन से कोई पूछताछ किया था या नहीं । मुझे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में अभियुक्त पलटन से कोई पूछताछ नहीं करनी थी । मुझे आर्म्स एक्ट के बारे में भी अभियुक्त पलटन से कोई पूछताछ नहीं करना था ।

15. यह बात सही है कि मुझे यह मालूम था कि सी0बी0आई0 के पास नियोगी हत्याकांड भा0दं0वि0 की धारा 302 पंजीबद्ध है । यह बात भी सही है कि 302 का यह अपराध मेरे थाने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत का नहीं था । एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य था कि अभियुक्त पलटन मल्लाह जो दूसरे थाने /सी0बी0आई0 का अभियुक्त था उससे मैं पूछताछ करूं । मैं भा0दं0वि0 की धारा 302 के मामले में अनुसंधान नहीं कर रहा था । हमारी विवेचना दंड प्र0सं0 की धाराओं के अंतर्गत ही होती है । यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि यदि कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाता है और वह अन्य मामले की जानकारी देता है तो उसे अभिलिखित किया जाये और बाद में उसे संबंधित पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाये ।

(8)

[illegible]

नं0:- 125 अभियोजन 4

16. अभियुक्त पलटन से हमारे द्वारा पूछताछ किये जाने पर इस बात की जानकारी दिया था। अभियुक्त पलटन ने उक्त जानकारी 24 तारीख को 10.30 बजे दिया था। मैंने उसी समय ही अभियुक्त से पूछताछ चालू किया था। मैंने अभियुक्त पलटन का बयान लिखना 10.30 बजे से ही चालू किया था। यह बात सही है कि 10.30 बजे मैंने अभियुक्त पलटन से पूछना चालू किया उसने तत्काल ही बयान देना चालू किया और मैंने उसे उसी वक्त लिखना चालू किया। 10.30 बजे से लेकर 12.30 बजे तक अभियुक्त ने सारी जानकारी मुझे दे दिया। प्रदर्श पी-285 को मैंने 10.30 बजे लिखना चालू किया। मैंने प्रदर्श पी-285 के 12.30 बजे तक का [illegible] रवाना होकर [illegible] लिखा था। थाने में मैंने [illegible] तक लिखने के बाद बंद कर दिया था। यह बात सही है कि अभियुक्त पलटन का बरामदगी का बयान 10.30 से 12.30 बजे के बीच पूरा हो गया था। मैंने 12.30 बजे तक जहां तक बयान थाने में लिखा उसके बाद न तो अपना हस्ताक्षर किया और न ही गवाहों के हस्ताक्षर लिया, क्योंकि व्यावहारिक रूप से हस्ताक्षर अंत में ही किये जाते हैं।

17. यह बात सही है कि अभियुक्त जो बयान देता है उसे मेमो0 बयान कहते हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभिलिखित किया जाता है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन में मेमो0 बयान लिखने के बारे में किस तरह के निर्देश दिये गये हैं। हमारे यहां रेगुलेशन में नहीं है, बल्कि ऐसा व्यवहार में है कि अभियुक्त का पूरा बयान लिख लेते हैं, बरामदगी करा लेते हैं उसके बाद गवाहों के हस्ताक्षर लेते हैं। उ0प्र0 में ऐसा व्यवहार में है कि अभियुक्त का मेमो0 बयान और जप्ती के एक ही दस्तावेज तैयार किये जाते हैं। उ0प्र0 में ऐसा नहीं होता कि अभियुक्त का मेमो0 बयान अलग लिखा जाये और उसके पश्चात जप्ती की कार्यवाही अलग से की जाये।

18. 24 तारीख को जब मैं अभियुक्त से पूछताछ कर रहा था उस समय भी सी0बी0आई0 वाले नहीं थे। मैंने 24 तारीख को सी0बी0आई0 वालों को यह सूचना नहीं दिया कि मैं अभियुक्त पलटन से पूछताछ कर रहा हूं वे लोग थाने आ जायें। यह कहना गलत है कि यह तमाम कार्यवाही सी0बी0आई0 के साजिश से की गई है और उन्होंने मेरे माध्यम से यह फर्जी मेमो0 बयान और जप्ती बनवा लिया हो।

19. यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-285 का दस्तावेज एक बाद में ही बैठकर तैयार किया गया है ।

20. 21 तारीख के पहले सी0बी0आई0 वालों से मेरी मुलाकात 3-4 बार हुई थी, किंतु यह मुलाकात 21 तारीख के कितने दिन पहले या महीने पहले हुई थी यह मैं आज नहीं बता सकता । उस समय हमारे थाने में परशुराम राय नामक कांस्टेबल क्लर्क था । यह बात सही है कि 21 तारीख के पहले उपरोक्त आरक्षक परशुराम राय मेरे पास एक पाम्पलेट लेकर आया था और बताया था कि सी0बी0आई0 वाले अभियुक्त पलटन की तलाश कर रहे हैं । मैंने अभियुक्त पलटन के गिरफ्तार होने के बाद 21 तारीख को अपने अधिकारियों अर्थात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक को इसकी सूचना वायरलेस से दिया था । यह बात सही है कि मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना 21 तारीख को ही दिया था । मैंने यही सूचना दिया था कि पलटन मल्लाह गिरफ्तार हो गया है ।

21. 24 तारीख की शाम 4.05 बजे पर कार्यवाही पूरा होने के बाद मैंने सी0बी0आई0 वालों को नहीं बुलाया था । न्यायालय में आज जो सफेद रंग का कपड़े वाला थैला खोला गया वही थैला मैंने तैयार किया था । उस थैले में कट्टा, पिस्तौल और कारतूस सभी रखे गये थे । उस थैले को मैंने अच्छी तरह से सीलकर सीलबंद कर दिया था । यह वही थैला है जो आज न्यायालय में खोला गया है और उस पर मेरे हस्ताक्षर भी हैं । उस थैले में उसी दिन के सील भी लगे हुये हैं । यह थैला आज के पहले भी खुला होगा । यह बात सही है कि एक सफेद कपड़ा चौकोर ढंग से बनाया गया है, इसके ऊपर से काटकर खोला गया है । उसके ऊपर और कोई सील नहीं लगी है यह बताने के लिये कि सामान को सील कर फिर से सीलबंद किया गया है ।

22. 22 तारीख को सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे यह नहीं कहा कि वे लोग आ गये हैं और आगे की कार्यवाही वे लोग करेंगे । मैं बिना केस डायरी देखे यह नहीं बता सकता कि 22 तारीख के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्म्स एक्ट के संबंध में मैंने अभियुक्त पलटन से कोई पूछताछ किया या नहीं । मेरी सी0बी0आई0 वालों से ऐसी बात भी नहीं हुई, जिसमें मैंने यह कहा कि अनुसंधान मैं करूंगा आप लोग नहीं । चूंकि अभियुक्त हमारे थाने में अभिरक्षा में था, इसलिये यदि सी0बी0आई0 वाले अनुसंधान अपने हाथ में लेना चाहते तो उन्हें न्यायालय में आवेदन देना पड़ता । अभियुक्त पलटन की अभिरक्षा सी0बी0आई0 वालों ने 25-8-93 को लिये हैं ।

आज्ञ [illegible]

24 तारीख को अभियुक्त पलटन से माल जप्त करने के बाद उस माल को मैंने थाने में मालखाने में रखा था। मालखाने में जो रजिस्टर होता है उसमें इसका इंद्राज होना चाहिये। माल जप्त करने की अलग से सूचना मजिस्ट्रेट को नहीं दी जाती। जप्ती का उल्लेख केस डायरी में करते हैं। मैं केस डायरी देखे बिना यह नहीं बता सकता कि इस जप्ती का उल्लेख है या नहीं है। मूल डायरी न्यायालय में होगी तथा कापी थाने में होगी। मैं आज यह नहीं बता पाऊंगा कि केस डायरी किस दंडाधिकारी के न्यायालय में है। प्रदर्श पी-286 और 285 के अनुसार जो जप्तियां की गई है उसका उल्लेख पुलिस केस डायरी और रोजनामचा सान्हे में मिल सकती है। सामान्यत: सान्हा 3 साल के बाद नष्ट कर दिया जाता है। सान्हे की एक कापी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मिल सकती है। रोजनामचा सान्हे में यह इंद्राज नहीं मिल पायेगा कि सी0बी0आई0 वाले कब आये थे। रो0सान्हे में सी0बी0आई0 वालों का इंद्राज तभी किया जाता है जब वे थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मैंने इस मामले का कोई डायरी नहीं खोला था, इसका उल्लेख हो सकता है, यदि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के डायरियों में किया हो तो उसमें मिल सकता है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अपर्णा, अभय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

23. भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने संजय यादव के नाम से अभियुक्त पलटन को गिरफ्तार कर पेश किये। मेरे द्वारा पूछताछ करने पर यह पता चला कि यह संजय यादव नहीं है, बल्कि पलटन मल्लाह है। भारतीय वायुसेना वाले अभियुक्त पलटन से 315 बोर का एक देशी तमन्चा और 5 कारतूस जप्त करके दिये थे, जिसे मैंने थाने में जप्ती बताया था। मैंने अभियुक्त पलटन को गिरफ्तार नहीं किया था, गिरफ्तार तो भारतीय वायुसेना वाले कर लिये थे। मैं मौके पर गया था तो मुझे यह सूचना मिली थी कि भारतीय वायुसेना वाले एक व्यक्ति को पकड़े हुये हैं, जिसका नाम संजय यादव है। मुझे आज याद नहीं है कि एयरपोर्ट में मैंने जप्ती बनाया था या थाने आकर जप्ती बनाया था। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि मैंने जप्ती बनाया था या नहीं बनाया था।

24. मैंने अभियुक्त से जो भी सामान जप्त किया गया है, उसके जप्ती पर अभियुक्त का हस्ताक्षर लिया है। मैंने अभियुक्त पलटन के हस्ताक्षर

उसी समय कराये, जिस समय जप्ती बनाई गई थी । मुझे 21-8-93 को ही पूछताछ करने पर यह पता लगा कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने जिस व्यक्ति को मुझे सौंपा है वह संजय यादव नहीं, बल्कि पलटन मल्लाह है । यह जानकारी कितने बजे हुयी यह डायरी देखे बिना नहीं बता सकता । यह तो मुझे पहले से ही पता था कि अभियुक्त पलटन की तलाश शंकर गुहा नियोगी हत्याकांड में की जा रही है, । टेलीविजनमें भी इस आशय का समाचार प्रकाशित किया जाता था । 21 तारीख को मुझे यह जानकारी हुई कि यह अभियुक्त पलटन मल्लाह है इसके अलावा और कोई जानकारी हुई होगी तो वह डायरी देखे बिना नहीं बता सकता ।

25. 21 तारीख को 14.30 बजे मैंने संजय यादव के नाम से जप्तियां बनाई थी । श्री अशोक यादव, अधिवक्ता ने प्रदर्श डी-45 पेश किया, जिसे अभिलेख में लिया गया । यह बात सही है कि प्रदर्श डी-45 में मैंने संजय यादव के नाम से वारंट (मास्टर वारंट) सुरेश शर्मा के पेश करने पर जप्तीबनाया है । यह बात सही है कि जिस समय मैंने यह जप्ती बनाया था उस समय मुझे नहीं मालूमथा कि यह आदमी पलटन मल्लाह है । यह कहना गलत है कि जप्ती के समय ही मुझे मालूम हो गया था कियह व्यक्ति पलटन मल्लाह है । यह बात सही है कि जप्ती-पत्र में अभियुक्त ने रवि उर्फ पलटन मल्लाह के नाम से हस्ताक्षर किया हुआ है । यह कहना गलत है कि 21-8-93 को मुझे शुरू से ही यह मालूम हो गया था कि गिरफ्तार शुदा व्यक्ति पलटन मल्लाह है । यह कहना भी गलत है कि मैं मात्र सी0बी0आई0 के अधिकारियों के आने का इंतजार कर रहा था । मैं बिना केस डायरी देखे यह नहीं बता सकता कि 22 तारीख को सी0 बी0आई0 वालों के आने के पूर्व अभियुक्त पलटन ने किसके कहने पर या किसके साथ कांड करने के बारे में कोई जानकारी दिया था या नहीं दिया था । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-285 एवं 286 में जो बातें लिखी है वह सी0बी0आई0 वालों के आने के बाद ही लिखी गई है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांतशाह.

26. यह बात सही है कि जिस डेरा से सामानों की बरामदगी की गई है वह अभियुक्त पलटन के बाप का है । यह डेरा मेरेथाने के अंतर्गत नहीं था, बल्कि रूद्रपुर थाने के अंतर्गत था । मुझे इस बात का कोई कोई जानकारी नहीं है कि अभियुक्त पलटन का बाप क्या काम करता था । मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि कोई मल्लाह

नं0:- 125 अभियोजन

पिस्तौल लाकर बेचने का काम करता था और छिपाकर रखता था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शरीफ अहमद, अधि0 वास्ते अभि0 प्रकटन.

27. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन परटंकित ।

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

1200/96

126 अभियोजन
18-3-96
25 साल

डी० पी० सिंह

श्री राम कृष्ण सिंह उप-निरीक्षक
थाना-रानीपुर, जिला-मऊ, उ० प्र०

शपथपूर्वक :-

1. सन 91 सितम्बर में मैं [illegible] थाना में [illegible] था और बीट नं० 2 में ग्राम निबही आता था। वह बीट मेरे चार्ज में था।

2. ग्राम खोरमा में भा० दं० सं० की धारा 436 के अंतर्गत मामला पंजी बद्ध हुआ था, इसकी विवेचना में मैं ग्राम खोरमा गया था [illegible] 10 [illegible] की है। मेरे साथ आरक्षक हिछलाल और भोलाराय थे। ग्राम खोरमा ग्राम निबही से करीब 2 कि० मी० दूर है। रात में हम लोग ग्राम निबही और ग्राम [illegible] में गश्त भी किये। दिनांक 12-10-91 को सुबह मैं [illegible] रहा था। मेरे साथ आरक्षक हिछलाल और भोलाराय भी थे। वहां पर 2 आदमी मोटरसायकिल में बैठकर आये। वह मोटरसायकिल लाल रंग की मजकी थी। इसका नंबर यू० पी० 24-1707 था। मुझे आरक्षक हिछलाल ने कहा कि मोटरसायकिल में पीछे जो आदमी बैठा है उसके पास से हथियार बरामद हो सकता है। उस मोटरसायकिल को अभियुक्त पलटन चला रहा था और पीछे ऋषिकेश उपाध्याय बैठा था। ये लोग मोटरसायकिल तिराहे पर अपने आप रोक दिये थे। जब सिपाही ने मुझे यह बात बतलाया तो मैंने उससे कहा कि ऋषिकेश उपाध्याय को बुलाकर ले आओ। उस समय पलटन की मोटरसायकिल स्टार्ट थी और वह मोटरसायकिल पर बैठा था। ऋषिकेश उपाध्याय को आरक्षक हिछलाल ने बुलाकर लाया। मैंने उसका तलाशी लिया, किंतु उस तलाशी में कुछ नहीं मिला। मैंने देखा कि मोटरसायकिल के डिक्की में केनवास का एक झोला लटका था। मैंने आरक्षकों से कहा कि जरा उस झोले को भी देख लो। अभियुक्त पलटन की मोटरसायकिल स्टार्ट थी और वह मोटरसायकिल लेकर ग्राम निबही की तरफ भाग गया। मैंने एक प्रायवेट जीप से अभियुक्त का पीछा करने कहा, किंतु वह जीप चाबी से स्टार्ट नहीं होती थी, बल्कि धक्का लगाना पड़ता था। जीप को धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया और अभियुक्त पलटन का पीछा किया गया। अभियुक्त पलटन मिला नहीं और वह भाग गया।

3. मैंने निबही में ग्राम प्रधान (एक मुसलमान), जिसका नाम मुझे नहीं मालूम से भी अभियुक्त पलटन के बारे में पूछताछ किया । उसने बताया कि अभियुक्त पलटन बहुत तेजी से मोटरसायकिल से आया था और भाग गया है ।

4. इसके करीब 2-3 दिन बाद अर्थात् (4 तारीख को भिलाई से पुलिस वाले आये । भिलाई के पुलिस ने मुझे अभियुक्त पलटन का फोटो दिखाया तो मैंने (4-10-9) वाली बात की जानकारी दिया । भिलाई के पुलिस वाले मुझे साथ लेकर ग्राम निबही गये । रात में अभियुक्त पलटन मल्लाह के घर दबिश दिया गया । अभियुक्त पलटन अपने घर के छत में लेटा था, जहां से वह कूदकर घर के पीछे से गन्ने में भाग गया । वहां गन्ने का तमाम खेत है । गांववालों ने भी अभियुक्त का पीछा किये तो वह पकड़ाया नहीं । मैं भिलाई के पुलिस वालों के साथ गोरखपुर और अभियुक्त के कई रिश्तेदारों के यहां गया, पर वह नहीं मिला ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

5. उस समय जिस समय मैंने पहली बार अभियुक्त पलटन को देखा, उस समय मैं उसका नाम जानता था । अब साक्षी कहता है कि उस समय उसका नाम नहीं जानता था । मैं उस समय अभियुक्त पलटन को चेहरे से पहचानता था । यह बात मैंने सी0बी0आई0 वालों को बताया था । यह बात सही है कि रामनच्छन चौक पर जब मैं ड्यूटी करने के बाद वापस आ रहा था तो मेरे क्षेत्र का एक संदिग्ध व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा था, जो कि लाल रंग का सुजुकी मोटरसायकिल रखे हुयेथा (यह बात सही है कि वह संदिग्ध व्यक्ति ज्ञ ष्किश उपाध्याय था । यह बात सही है कि आरक्षक ने मुझे बताया कि संदिग्ध आदमी का नाम ज्ञ ष्किश है । चौक में मैं यह जान गया था कि यह संदिग्ध लाल रंग की मोटरसायकिल वाला व्यक्ति पलटन है । ऐसी बात नहीं है कि उस समय मैं लाल मोटरसायकिल वाले व्यक्ति को नहीं पहचानता था । यह बात सही है कि मैंने हिछलाल से कहा कि लाल रंग की मोटरसायकिल में जो आदमी बैठा है उसको बुलाकर ले आओ और उसकी भी तलाशी ली जाये । यह कहना गलत है कि मैं उस समय अभियुक्त पलटन को नहीं पहचानता था । मैंने आरक्षक हिछलाल से लाल मोटरसायकिल के चालक को इसलिये बुलाने के लिये नहीं कहा था कि मैं उसे पहचानता नहीं था । मैंने प्रदर्श डी-46 का अ से अ डी-46 का बयान (देयर फोर - - - - ट्रिंग हिम) नहीं दियाथा । मेरा बयान एक बार भिलाई पुलिस ने और एक बार सी0बी0आई0 वाले ने लियाथा ।

6. मुझे आज यह ध्यान नहीं है कि मैंने सी0बी0आई0 को यह बताया था या नहीं कि मैं जब रात में ग्राम निबही में अभियुक्त पलटन के घर पहुंचा तो वह छत में सो रहा था, और छत से कूदकर घर के पीछे से भाग गया । यह बात सही है कि यदि यह बात बताया होऊंगा तो सी0बी0आई0 ने उसे लिखा हो । इस साक्षी का ध्यान प्रदर्श डी-46 की ओर दिलाया गया । वह कहता है कि यह बात सही है कि इस बयान में अभियुक्त पलटन के छत से कूदकर भागने की बात नहीं लिखी है ।

7. यह बात सही है कि अभियुक्त पलटन का हमारे थाने में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

8. मैं यह नहीं बता सकूंगा कि मेरे थाने से सी0बी0आई0 वालों ने कोई कागज जप्त किया था या नहीं, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफर हो गया था । यह बात सही है कि हमारे थाने में जब भी कोई पुलिस अधिकारी थाना छोड़कर जाता है और वापस थाने आता है तो उसकी रवानगी और आमदगी रहती है । अभियुक्त पलटन रामनगच्छन चौराहे से भगा था उसका उल्लेख मैंने सान्हे में नहीं किया था । मैंने इसकी थाने में सूचना देना कोई आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि हमारे थाने में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं था । उस समय हमने इसे मामूली घटना समझा था और यह समझा कि पलटन के पास गाड़ी के कागजात वगैरह नहीं है । चूंकि यह मामूली घटना थी, इसलिये मैंने थाने में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं समझा । गांव में पुलिसवालों का यूं ही डर बना रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है । यह बात सही है कि जिस व्यक्ति के पास गाड़ी के कागजात न हो और उसे पुलिस बुलाये तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग नहीं भागते हैं ।

9. जब मैं रामनगच्छन चौराहे पर था तो उस समय अभियुक्त पलटन से मेरी दूरी करीब 15 फीट रही होगी । उस समय मैंने पकड़ो-पकड़ो के आवाज लगाने की आवश्यकता नहीं समझा । यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त पलटन को भाग जाने का मौका दिया । यह कहना गलत है कि इस घटना की जानकारी मैंने जान-बूझकर सान्हे में नहीं लिखी । अक्सर लोग गाड़ी का कागजात न होने पर भाग जाते हैं ।

10. मैं ग्राम निबही में ग्राम प्रधान के घर जाता था और उसी के सामने में अभियुक्त पलटन का घर था और इसी के कारण मैं उसे जानता था। जब से मेरी पोस्टिंग उस थाने में हुई थी तभी से मैं ग्राम निबही जाता था तो ग्राम प्रधान के घर जाता था। मैं तिराहे में रुकने के 8-10 दिन पहले से जानता था कि ग्राम प्रधान के सामने वाला घर अभियुक्त पलटन का है। मुझे उस समय यह जानकारी मिली थी कि अभियुक्त पलटन भिलाई से आया है और अपना मकान वगैरह बनवा रहा है। तिराहे में अभियुक्त पलटन को दौड़ाने के पहले से 8-10 दिन पहले मैं ग्राम निबही गया था उस दिन मुझे पता चला कि अभियुक्त पलटन 8-10 दिन पहले से भिलाई से आया है मकान बनवा रहा है और बैल खरीदा है तथा

11. भिलाई पुलिस ने भी मेरा बयान लिया था। मुझे मुखबीर और ग्राम प्रधान से यह पता चला था कि अभियुक्त पलटन लाल रंग का मोटरसायकिल लाया है। मुझे मोटरसायकिल का नंबर मुखबीर और ग्राम प्रधान से पता नहीं चला था। अब साक्षी कहता है कि तिराहे की घटना के पहले मुखबीर और ग्राम प्रधान ने उसे मोटरसायकिल का नंबर बताया था और उसे उसका नंबर पता था।

12. तिराहे पर जब अभियुक्त पलटन भागने लगा तब मैंने स्वतः मोटरसायकिल का नंबर देखा था। मैंने भिलाई पुलिस को यह बता दिया था कि अभियुक्त किस नंबर के मोटरसायकिल से भागा था। यदि यह बात डी-47 में न हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता। डी-47

13. रामलखन तिराहे के पहले भी मैंने अभियुक्त पलटन को देख चुका था। मैंने अभियुक्त पलटन को उसके घर में तब देखा था जब वह मकान बनवा रहा था। मुझे ग्राम प्रधान ने यह बताया था कि अभियुक्त पलटन भिलाई से आया है और लंबा हाथ मारकर आया है। ग्राम प्रधान ने कहा था कि वह चालू किस्म का है। मैंने डी-47 में अ से अ अपराधी किस्म का है। नहीं बताया था। उस समय मैंने अभियुक्त पलटन से कोई पूछताछ नहीं किया था।

14. जिस जीप को मैं धक्का मारकर स्टार्ट करवाया था वह किसी निजी व्यक्ति का जीप था, जिसका नंबर मुझे नहीं मालूम है तथा मालिक का नाम भी मुझे नहीं मालूम है। मैं उस समय जीप का नंबर देखा था, किंतु मुझे ध्यान नहीं है। जीप का नंबर मैंने कहीं नोट करके नहीं रखा है। मैंने भिलाई पुलिस को जीप का नंबर बताया था। उस जीप का नंबर डी-47 में न हो तो मैं कारण नहीं बता सकता।

(13)

आशाराम सि० स्पेशल सेशन ट्रायल ०५६ पृष्ठ

नं० :- 126 अभियोजन

15. ...जाँच से अभियुक्त पलटन का पीछा करने की बात भी कही था, किंतु यह बात भी डी-47 में न हो तो मैं कारण नहीं बता सकता । ऐसी बात नहीं है कि मैंने पीछा नहीं किया और अन्य व्यक्ति से उसका पता लगवाया था । मेरे बयान में प्रदर्श डी-47 के अ से अ भाग पर जो पता लगाना है उसका गांव वालों से पूछने से है । ऋषिकेश उपाध्याय अभियुक्त पलटन के साथ नहीं भागा था । ऋषिकेश उपाध्याय से पूछताछ करने के लिये मैं उसे थाना लाया था । ऋषिकेश उपाध्याय से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली थी सिवाय इसके कि वह अभियुक्त पलटन है । यह कहना गलत है कि 12-10-91 को मुझे ग्राम सिकरी में या कहीं से भी अभियुक्त पलटन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी । यह बात सही है कि ऋषिकेश उपाध्याय, इब्बार और संगरू मल्लाह से पूछताछ करने पर कोई जानकारी नहीं मिली थी ।

16. यह बात सही है कि ग्राम कुरहरी ग्राम सिकरी से लगा हुआ है, जो गोरखपुर जिले में पड़ता है । मैं कुरहरी गांव के राजकिशोर दुबे को नहीं जानता । मैं खोरमा ग्राम के अरविंद त्रिपाठी को नहीं जानता । हो अच्छी तरह याद है कि सन् 90-91 में राजकिशोर दुबे भी हमारे थाने के क्षेत्र के अंतर्गत डकैती एवं हत्या के मामले में तलाश नहीं थी न तो मैंने राजकिशोर दुबे के घर की कुर्की की कार्यवाही उसके फरारी के कारण किया था ।

17. मैं नहीं बता सकता कि चाय वाले ने यह देखा या नहीं कि मैं अभियुक्त पलटन को खदेड़ रहा हूं । उस चाय दुकान के पास बहुत सारे लोग थे । उस तिराहे पर जितने लोग रहे होंगे वे अभियुक्त पलटन को भागते हुये देखे होंगे । यह बात सही है कि हमारे थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव के लोगों द्वारा मोटरसायकिल रखना बहुत आम बात है । सामान्यतः मोटरसायकिल रखना अपने आपमें शंका की बात नहीं है । मैंने 12-10-91 को अभियुक्त को संकेत देकर नहीं रोका था । मैंने पुलिस को प्रदर्श डी-47 का च से छ । स्कने - - - संकेत दिया हो। नहीं दिया था ।

18. मैंने अभियुक्त पल्टन को ऋषिकेश उपाध्याय के साथ ता० 11-10-91 को नहीं, बल्कि 12-10-91 को तिराहे के पास देखा था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शरीफ अहमद, अधि० वास्ते अभि० पल्टन.

19. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

20. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी०के०झा)	(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)	दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
23/3/96
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

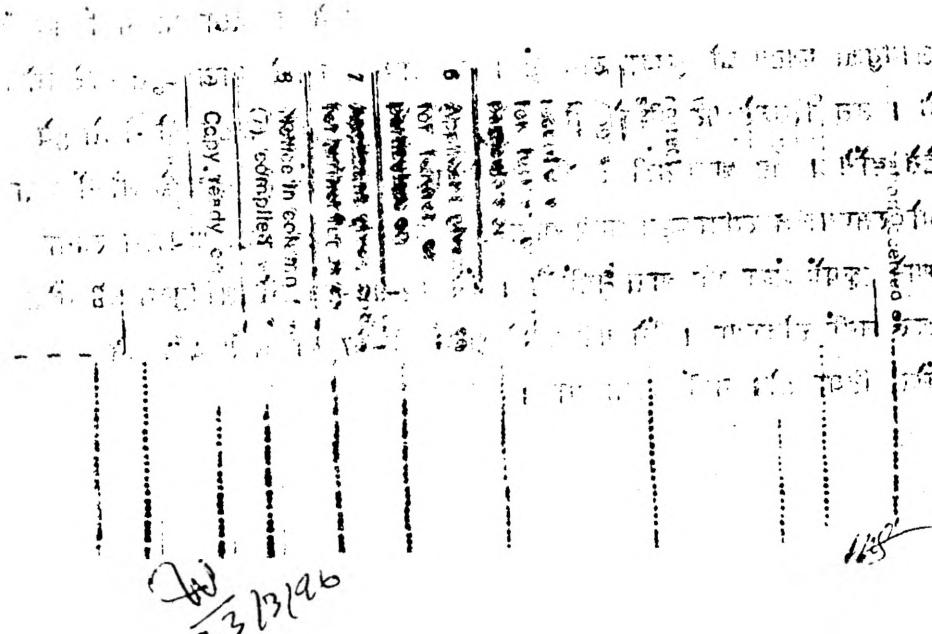

आभार सिं न्यायाधीश

(14)

128 अभियोजन

19-3-96

32 वर्ष

श्री प्रेमनारायण तिवारी
नागपुर।

भगवतीप्रसाद तिवारी
होटल सूर्या
रिसेप्शनिस्ट

शपथपूर्वक-

1. मैं पिछले 8 वर्षों से होटल सूर्या, नागपुर में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्य कर रहा हूं। नवम्बर 91 में मेरे अलावा उस होटल में अरुण विट्ठलकर, संजय गौतम, राजेश विश्वास और भी रिसेप्शनिस्ट थे। अभी अरुण विट्ठलकर हमारे होटल में कार्य कर रहा है, किंतु संजय गौतम और राजेश विश्वास होटल छोड़कर जा चुके हैं। जब कोई यात्री हमारे होटल में ठहरने के आशय से आता है तो हम उसे टेरिफ कॉर्ड देते हैं। टेरिफ कॉर्ड देखने के बाद यदि यात्री को हमारे होटल की दर पसंद आती है तो वह हमारे होटल में ठहरता है। यात्री को एंट्री रजिस्टर दिया जाता है, जिसमें वे अपना नाम और विवरण भरते हैं और उस पर हस्ताक्षर भी करते हैं। हमारे होटल का एंट्री रजिस्टर सरकार के नियम एवं निर्देश के अनुसार रखा जाता है। यात्री अगर नाश्ता, चाय या खाना की मांग करता है तो हमारे होटल द्वारा उन्हें उनके कमरों में खाद्य सामग्री का प्रदाय कर दिया जाता है। पहले हमारे होटल के चेकआउट का टाईम दोपहर के 12.00 बजे था बाद में उसे हमने 24 घंटे के लिये कर दिया। चेकआउट के समय यात्री यह कह देता है कि वह जा रहा है तो रिसेप्शनिस्ट जो ड्यूटी पर रहता है उस यात्री का बिल बना देता है। बिल 3 प्रतियों में बनता है। बिल दो कार्बन लगाकर बनाया जाता है और ऊपर की कापी यात्री को दी जाती है। बिल में यात्री के नाश्ते, खाना, कपड़ा धुलाई, टेलीफोन और ठहरने का चार्ज लगाया जाता है।

2. प्रदर्श पी-330 हमारे होटल के एंट्री रजिस्टर का पेज है। पी-330 दिनांक 5-11-91 के सीरियल नंबर- 3326 पर रामसिंह, निवासी-52 सिविक सेंटर, जबलपुर के ठहरने का उल्लेख है। यह यात्री 5-11-91 की रात को 9.00 बजे हमारे होटल में आया था। इस यात्री ने यह लिखा है कि वह वापस जबलपुर जायेगा। उसने रजिस्टर में 2 दिन ठहरने का इरादा बताया था और हस्ताक्षर के कॉलम में यात्री ने हस्ताक्षर किया है। इस यात्री ने दिनांक 8-11-91 के रात्रि 7.00 बजे हमारे होटल को छोड़ा है। उसे होटल द्वारा बिल नंबर 5396

दिया गया है । यह बिल 148/- रुपये 50 पैसेका है । चेकआउट के समय तात्कालीन रिसेप्शनिस्ट राजेश विश्वास के हस्ताक्षर हैं । मैं राजेश विश्वास के हस्ताक्षर से अच्छी तरह परीचित हूं । अ से अभाग पर राजेश विश्वास के हस्ताक्षर हैं ।

3. बिल नंबर 5396 दिनांक 8-11-91 अरुण विट्ठलकर व्दारा बनाया गया है । इसके अ से अ भाग पर अरुण विट्ठलकर के हस्ताक्षर हैं, जो प्रदर्श पी-331 है । यह बिल का कैश कापी है । इसके साथ ही पी-331
यात्री को खाने-पीने का बिल भी दिया गया था, जो प्रदर्श पी-332 से पी-338 तक है । यह बिल किचन सुपरवाइजर व्दारा बनाया गया है । पी-332 से पी-338
ये सातों बिल प्रदर्श पी-331 के बिल के अतिरिक्त है । इन सात बिलों का जोड़ अलग बिल में लिखा गया है, जो कि 216/- रुपये 15 पैसे हुआ था । यह बिल प्रदर्श पी-339 है । यात्री रामसिंह को हमारे होटल का कमरा नंबर 215 आवंटित किया गया था । पी-339

4. विवेकानंद पात्रा हमारे होटल में लेखापाल है । इसके हस्ताक्षर से मैं परीचित हूं । जप्ती पत्र प्रदर्श पी-340 के अ से अ भाग पर विवेकानंद पात्रा के हस्ताक्षर है । यदि कोई यात्री टेक्सी की व्यवस्था करने बोलता है तो हम टेक्सी वालों से उस यात्री की फोन पर बात करा देते हैं । पी-340

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री संघी, अधि० वास्ते अभि० मगचंद शाह, नवीन शाह.

5. मैं रामसिंह को पहले से नहीं जानता था । यह पन्ना होटल के रजिस्टर का है । रजिस्टर लगभग 200 पन्नों का होता है, जो बाईंड किया हुआ होता है । उसमें पेज नंबर नहीं पड़े रहते, सीरियल नंबर होता है । मूल रजिस्टर अभी भी हमारे होटल में है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

6 हमारे होटल में रिसेप्शनिस्ट का ड्यूटी चार्ज रहता है. । पुलिस ने मुझसे कोई ड्यूटी चार्ज जप्त नहीं किया है. ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रभूषण एवं बलदेव.

7. प्रदर्श पी-330 जिस समय लिखा गया था उस समय मेरी ड्यूटी नहीं थी । मैं नहीं बता सकता कि रामसिंह अकेले आया था या उसके साथ कोई और था । ऐसा भी हो सकता है कि लोग स्वयं न ठहरकर अपने मेहमान को होटल में ठहराये और होटल में एंट्री स्वयं कर दे और रजिस्टर

नं0:- 127 अभियोजन 2

में मेहमान का नाम लिख दे। प्रदर्श पी- 331 जिस बिल बुक का पन्ना है वह बिल बुक आज मेरे सामने नहीं है। यह बात सही है कि इस बिल के आगे-पीछे के पन्नेभी मेरे सामने नहीं हैं। इसी तरह प्रदर्श पी-332 से 338 तक जो बिल हैं उनका बिल बुकभी मेरे सामने नहीं हैं। यह बात सही है कि कई बार यात्रियों से बिल में हस्ताक्षरभी करवाते हैं। यह बात सही है कि रूम से यात्री से जो आदेश लिये जाते हैं उसके बिल पर यात्रियों के हस्ताक्षर लिये जाते हैं। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-332 से 338 तक के बिलों पर यात्री के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श पी-331 परभी यात्री के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह कहना गलत है कि यह बिल बाद में अलग से बिल बुक से फाड़कर बनाई गई है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-330 का रजिस्टर आज न्यायालय में मेरे सामने नहीं है। यह कहना गलत है कि किसीभी रजिस्टर से पन्ने निकालकर ऐसा बिल बनाया जा सकता है, किंतु अलग-अलग रिसेप्शनिस्ट एवं यात्रियों के हस्ताक्षर रहते हैं, इसलिये अलग बिल नहीं बनाया जा सकता है। सारे रिसेप्शनिस्ट हमारे होटल के हैं, जिसके हस्ताक्षर पन्ने पर हैं। यह बात सही है कि रजिस्टर के पन्ने पर इंद्राज डाटपेन के हैं, फाउंटेन पेन के नहीं हैं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शरीफ अहमद, अधिवक्ता वास्ते अभि0 पलटन.

8. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया। मेरे निर्देशन परटंकित।

|टी0के0झा| |टी0के0झा|

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग |म0प्र0| द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग |म0प्र0|

(16)

आरएन ...

क्र:- 128 अभियोजन

उम्र गवाह की:- 30 साल दिनांक 19-3-96

गवाह का नाम:- इंद्रकुमार पिता का नाम:- स्वर्गीय श्री आहूराम

पेशा:- बीएसपी में सर्विस पता:- सी-4, भिलाई

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन 85 से भिलाई इस्पात संयंत्र में सतर्कता सहायक के पद पर कार्यरत हूं। करीब 5 साल पहले अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री आर० के पटेरिया के कहने से मैं विशाखापटनम हॉस्टल, भिलाई गया था। सतर्कता निरीक्षक राकेश कुमार झा भी मेरे साथ थे। वहां हमें सी०बी०आई० के अधिकारी मिले, जिनका नाम मैं नहीं जानता। वहां कमरे में सी०बी०आई० वालों ने ज्ञानप्रकाश से लिखवाया। ज्ञानप्रकाश कमरे में कुर्सी पर बैठा था। ज्ञानप्रकाश टेबल पर रखकर लिखता था। कागज टेबल पर रखकर लिखता था। बॉलपेन से ज्ञानप्रकाश लिख रहा था। सी०बी०आई० अधिकारी लिखवाते थे। मैं आज बिना देखे यह नहीं बता सकता कि कितने कागज पर लिखा गया था। उस कागज पर ज्ञानप्रकाश ने हस्ताक्षर किया। मैं और सतर्कता निरीक्षक आर०के०झा ने और सी०बी०आई० अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किये। एस०-25 से एस०-78 तक। जिसे प्रदर्श पी-341 अंकित किया गया। के अ से अ भाग पर मेरे, ब से ब भाग पर आर०के०झा और स से स भाग पर ज्ञानप्रकाश के तथा द से द भाग पर सी०बी०आई० अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। मैंने अपने हस्ताक्षर के नीचे 25-11-91 की तिथि अंकित किया है। एस०-25 से एस०-78 तक कैथरे के लिखावट ज्ञानप्रकाश के हैं। यह हिंदी व अंग्रेजी में लिखा गया है।

2. मुझे आज याद नहीं है कि ज्ञानप्रकाश के अलावा और किसके हस्ताक्षर लिये गयेथे, यदि अभिलेख दिखाये जाये तो मुझे याद आ सकता है। एस०-88 से एस०-122 तक के दस्तावेज दिखाये गये। अभयकुमार सिंह ने यह कागज लिखा है। अभयकुमार सिंह कमरे में खाट पर बैठे थे। इसेभी सी०बी०आई० अधिकारी ने लिखवाया है। इसे अभयसिंह ने लिखा है। एस० 88 से एस०-122 तक के दस्तावेजों को प्रदर्श पी-342 अंकित किया गया। पी-342 इसके प्रत्येक पेज के अ से अ भाग पर मेरे, ब से ब भाग पर, आर०के०झा के और स से स भाग पर अभयकुमारसिंह के और द से द भाग पर सी०बी०आई० अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

3. हस्ताक्षर के नीचे मैंने सभी पेजों पर 25-11-91 की तारीख डाला है । अभयसिंह के लिखावट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है ।

4. करीब एक महीने बाद मुझे विशाखापटनम हॉस्टल में बुलाया गया था । एस0के0चौरसिया हमारे विभाग में टेक्नीशन असिस्टेंट थे । दुबारा जब मैं गया तो मेरे साथ एस0के0चौरसिया भी गये । विशाखापटनम हॉस्टल में हम लोग सी0बी0आई0 अधिकारी से मिले । सी0बी0आई0 अधिकारी ने कमरे में चंद्रकांतशाह को लिखने के लिये कागज दिया । चंद्रकांत शाह कुर्सी पर बैठा था और कागज स्टूल जैसे पर रखा था । चंद्रकांत शाह ने बॉलपेन से लिखा था । सी0बी0आई0 अफसर उससे लिखवाते थे । चंद्रकांत शाह ने जो कागज लिखा उस पर मैंने, चौरसिया ने और सी0बी0आई0 अधिकारी ने तथा चंद्रकांत शाह ने हस्ताक्षर किये । एस0-1 से एस0-12 प्रदर्श पी-343 पी-343 चंद्रकांत शाह व्दारा लिखा गया है, जिसके अ से अभाग पर मेरे, ब से ब भाग पर चौरसिया के, स से स भाग पर चंद्रकांत शाह के तथा द से द भाग पर सी0बी0आई0 अधिकारी के हस्ताक्षर हैं । मैंने अपने हस्ताक्षर के नीचे प्रत्येक पेज पर 12-12-91 की तारीख डाला है । चंद्रकांत शाह ने हिंदी और अंग्रेजी में लिखा है ।

5. मैं आज चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा और अभयसिंह को नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिये ही देखा था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मलचंद शाह, नवीन शाह.

6. यह बात सही है कि अभियुक्तों से बहुत सारे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे तथा मुझसे भी बहुत सारे कागजों पर हस्ताक्षर करवाया गया था । ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कागज थे, जिस पर मुझसे हस्ताक्षर नहीं करवाया गया था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकान्त एवं बलदेव.

7. उस समय सी0बी0आई0 अधिकारी लिखने के लिये बोल रहे थे । सी0बी0आई0 वाले जैसा बोलते थे वैसा-वैसा अभियुक्तगण लिखते थे । सी0बी0आई0 वाले जैसा बोले वैसा-वैसा अभियुक्त ज्ञानप्रकाश, अभयसिंह, ~~ज्ञानप्रकाश~~ चंद्रकांत शाह ने लिखा था । सी0बी0आई0 वाले हिंदी में बोले तो हिंदी में लिखे और तारीख डालने बोले तो तारीख डाले । सी0बी0 आई0 अधिकारी ने जैसा कहा वैसा चिट्ठी ज्ञानप्रकाश ने लिखा । सी0 बी0 आई0 वालों ने जैसा कहा वैसा अभियुक्तों ने लिखा ।

8. जितने भी कागज पर लिखवाये गये वे सब कोरे हैं, लाईन वाले पेपर नहीं हैं। मुझे आज याद नहीं है कि शुरू से अंत तक क्या लिखाया गया है। यह बात सही है कि ज्ञानप्रकाश से बहुत सारी चिट्ठियां और आपका छोटा भाई लिखवाया गया है। यह बात सही है कि उन चिट्ठियों में कुछ में आदरणीय भैय्या भी लिखवाया गया है। नीचे आपका छोटा भाई ज्ञानप्रकाश भी लिखा गया है। जो लिखाया गया उसका अंतर मुझे याद नहीं है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

9. यह बात सही है कि जब हम लोग हॉस्टल पहुंचे तो सी0 बी0 आई0 वाले और लिखने वाले दोनों पहले से ही बैठे थे। सी0 बी0 आई0 का अधिकारी कौन था मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि मेरे पहुंचने के पहले सी0 बी0 आई0 वालों ने लिखने वालों से कितने चिट्ठियां और कागज लिखवाये थे। जितने कागज मेरे सामने लिखवाया गया उन सब पर मैंने हस्ताक्षर किया। सी0 बी0 आई0 अधिकारी ने सब कागजात अपने पास रख लिये। मुझे आज याद नहीं है कि कागजों में जो नीले रंग का पेपर पड़ा है वह पहले से था या नहीं। मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूं कि यदि हमारे हस्ताक्षर के ऊपर से कागज को फाड़ दिया जाये तो उसका अन्यथा उपयोग या अनुपयोग किया जा सकता है या नहीं। साक्षी को यह कागज उसके हस्ताक्षर के ऊपर से मोड़कर दिखाया गया, जिस पर उसने उपरोक्त जवाब दिया था। यह बात सही है कि कागज मेरे हस्ताक्षर के ऊपर से मोड़कर फाड़ा जा सकता है। यह बात सही है कि मुझे वह संख्या याद नहीं है कि कितने कागज पर लिखवाये गये थे और कितने कागज पर मुझसे हस्ताक्षर लिये गये थे। यह बात भी सही है कि मैं नहीं बता सकता कि मेरे हस्ताक्षर के सारे कागज न्यायालय में पेश किये गये हैं या कुछ गायब भी हैं। यह बात सही है कि यदि मेरे हस्ताक्षर के ऊपर से कागज को फाड़ दिये जायें तो मैं यह नहीं बता सकूंगा कि ये नमूने वाले कागज हैं या नहीं हैं। यह बात सही है कि यदि कागज को ऊपर और नीचे से मेरे हस्ताक्षर के ऊपर मोड़ दिये जायें तो मैं यह नहीं बता सकूंगा कि ये कब और किसके द्वारा लिखे गये हैं।

10. मैं नहीं बता सकता ...

हम लोग जब ड्यूटी से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो रिपोर्ट देना पड़ता है। हम लोग डेली डायरी रखते हैं। डेली डायरी में दिनभर के कार्य का इंद्राज रहता है। मैं किस तारीख को विशाखापटनम हॉस्टल गया यह डेली डायरी देखने से पता चल सकता है। डायरी में इस बात का इंद्राज होगा कि मैं किस तारीख को विशाखापटनम हॉस्टल गया था। यह कहना गलत है कि 12-12-91 को चंद्रकांत शाह भिलाई में नहीं था। यह कहना गलत है कि वह अकोलपुर गया था। चंद्रकांत शाह से मेरा कोई परिचय नहीं है। यह बात सही है कि वहां एक आदमी बैठा था, जिसने बताया कि वह चंद्रकांत शाह है। मैं उस आदमी से परीचित नहीं था। सी0बी0आई0 वालों ने बताया था इसलिये मैं समझ गया कि वह चंद्रकांत शाह है।

प्रति-परीक्षण द्वारा मोहम्मद शरीफ अहमद, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

11. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया। — मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी0के0झा) — (टी0के0झा)

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0)। — द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0)।

सत्यप्रतिलिपि ... प्रतिलिपि विभाग ... जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग (म.प्र.)

23/3/92

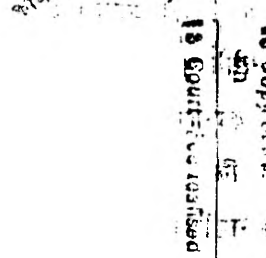

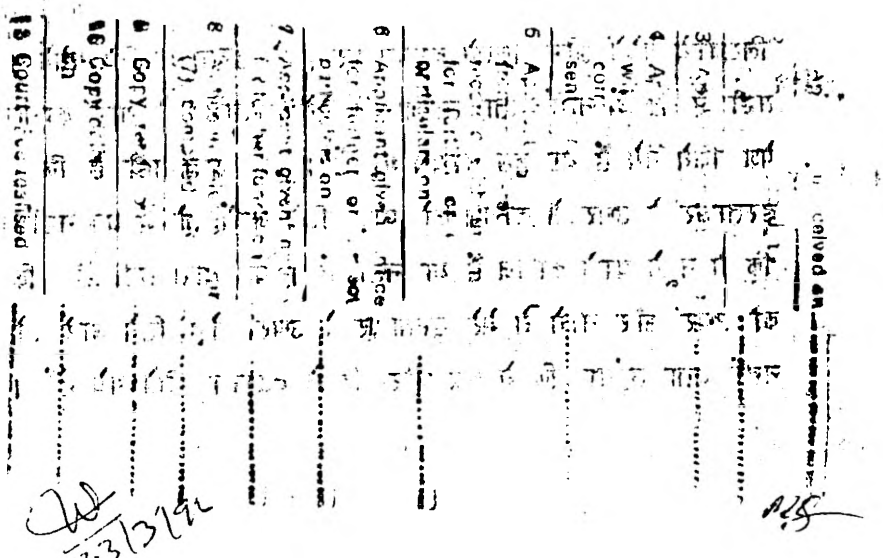

[illegible]

129

अभियोजन

67 वर्ष 19-3-96

श्री मंजूर खान मुशिलमान

बिहार. कुछ नहीं ।

<u>शपथपूर्वक</u> :-

अभियुक्तों की ओर से यह आपत्ति की गई कि इस साक्षी का बयान इस प्रकरण के के लिये सुसंगत नहीं है । अभियुक्तों की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि इस साक्षी का बयान तब तक स्थगित कर दिया जाये जब तक न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण क्रमांक-3959/91 में इस साक्षी का बयान न हो जाये । अभियोजन की ओर से बताया गया कि वर्तमान प्रकरण आपराधिक षड्यंत्र का है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिये साक्षी का बयान सुसंगत है ।

उभय पक्षों का तर्क सुना ।

आपत्ति को सुरक्षित रखा जाता है एवं इसका निराकरण निर्णय के समय किया जायेगा ।

1. मैं वर्तमान समय में जिला मोतीहारी, बिहार में रह रहा हूं । मेरे 6 बच्चे जामुल थाना, जिला-दुर्ग के अंतर्गत चाय, पान की दुकान आदि करते हैं । मैं साल में एकात बार बिहार से जामुल थाना के अंतर्गत आ जाता हूं ।

2. सन् 91 में जामुल के थानेदार ने सिपाही भेजकर मुझे बुलवाया था । जामुल थाने से 200 गज की दूरी पर मेरे बच्चे का पान की दुकान है । तारीख या महीना मुझे याद नहीं है । पुलिस वाले मुझे जीप में बिठाकर हाउसिंगबोर्ड ले गये । जीप में महीद नामक एक और आदमी था । जीप में 4-5 [illegible] सी0बी0 आई0 के अधिकारी थे, उनके साथ एक दरोगा था, जो थाने का नहीं था । गाड़ी में हाउसिंगबोर्ड का एक संतोष भी बैठा था । संतोष ने मुझे कुछ नहीं बताया उसने मेरे सामने सी0बी0आई0 वालों को कुछ नहीं बताया । हम लोग थाने से हाउसिंगबोर्ड आये वहां एक ठेलर मास्टर को भी साथ में जीप में बिठाया गया और वहां से से0-4 गये । जब से0-4 पहुंचे तो दिन के करीब 10.00 बजे रहे होंगे । ठेलर मास्टर का नाम मैं नहीं बता सकता । सी0बी0आई0 वाले हमको शाम के करीब 6.00 बजे तक से0-4 के हॉस्टल में ठहराये थे । शाम को सी0बी0आई0 वाले हमें वापस घर पहुंचवा दिये और यह बोले कि कल वे लोग जामुल थाना फोन करेंगे तब वे लोग आ जायें ।

3. दूसरे दिन थाने से उप-निरीक्षक कुंवर आये और मुझे व मसीह को सेo-4 के हॉस्टल में ले गये । वहां हम लोग करीब 4.00 बजे तक बैठे रहे। मुझे बुखार था और मैं बोला कि मुझे जाने दो तो सीoबीoआईo वाले नाराज हो गये । वहां टेबल पर दो रिवॉल्वर रखा था । सीoबीoआईo वालों ने बताया कि एक देशी है और दूसरा नहीं। विदेशी। है । उन्होंने यह भी बताया कि यहां 6 गोली रखी है, मुझे जप्ती पर हस्ताक्षर करने के लिये बोले । मुझे अजीब सा डर लगने लगा । अंदर कोई बंदा मारपीट कर रहे थे सीoबीoआईo वालों ने कमरे तरफ इशारा करके बोले कि मेरी और यही हाल करेंगे । मैंने वहां हिंदी में क्या लिखा हुआ था नहीं पढ़ा । मुझे जो लिखा हुआ था पढ़कर नहीं सुनाया गया । सीoबीoआईo वालों ने जहां-जहां हस्ताक्षर करने बोले मैं उनके डर के कारण हस्ताक्षर कर दिया ।

4. हस्ताक्षर करने के बाद मुझे और मसीह को छोड़ दिये । हम लोग पैदल चलकर टैम्पो पकड़कर अपने घर आ गये । साक्षी को आर्टिकल "सी" का पिस्तौल दिखाया गया । यह पिस्तौल वहां नहीं रखा था । वहां जो दोनों पिस्तौलें रखी थीं वह इससे बड़ी थी । साक्षी को आर्टिकल "डब्ल्यू" को 6 कारतूस दिखाया गया । साक्षी कहता है कि ऐसे ही कारतूस थे ।

नोट : न्यायकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण स्थगित किया गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। सही होना पाया ।   मेरे निर्देशन पर टंकित ।

टीoकेo झा	टीoकेo झा
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0 ।	दुर्ग । म0प्र0 ।

नोट :- न्यायकाल पश्चात् साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर साक्षी को शपथ पर पुनः परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

शपथपूर्वक :-

5. साक्षी को प्रदर्श पी-344 का दस्तावेज दिखाया गया । प्रदर्श पी-344 ब से ब मसीह के हस्ताक्षर हैं । जिसके अ से अ भाग पर उसने अपना हस्ताक्षर होना व्यक्त किया । अब साक्षी कहता है कि अ से अ भाग पर मसीह के हस्ताक्षर हैं या नहीं वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह बाहर निकल आया था । मसीह उसके साथ में था । प्रदर्श पी-345 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी-345 प्रदर्श पी-226 के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

शासन विरुद्ध ज्ञानप्रकाश आदि वगैरह

नं0 :- 129, अभियोजन

6. मैंने से0-4 के हॉस्टल में संतोष गुप्ता को देखा था । मैंने वहां[2] पर ज्ञानप्रकाश को नहीं देखा था । मैं ज्ञानप्रकाश को पहचानता भी नहीं हूं ।

नोट :- विशेष लोक अभियोजक श्री त्रिवेदी वैसाखी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही ।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

7.- मैं सुबह 9.00 बजे गया था, किंतु मैं यह नहीं बता सकता कि उस दिन 25-11-91 की तारीख थी या नहीं थी । से0-4 के हॉस्टल में उस समय उप-निरीक्षक यादव थे । मेरे सामने ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने यह नहीं बताया था कि उसने देशी रिवॉल्वर और 6 कारतूस संतोष गुप्ता के पास रखा है, जिसे वह बरामद करा देगा । यह बात सही है कि प्रदर्श पी-344 पर जब मैंने हस्ताक्षर किया तो उस पर लिखा हुआ था, किंतु क्या लिखा था, यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता । मुझे पढ़कर भी नहीं सुनाया गया था । यह कहना गलत है कि ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने मेरे सामने प्रदर्श पी-344 का स से स करीब - - - बरामद करा सकता हूं। दिया था । यह बात सही है कि मैं टेलर की दुकान में गया था । मैं और मतीह जीप में बैठे थे, पुलिस वाले टेलर मास्टर की दुकान में गये थे, किंतु पुलिस वालों को मैंने रिवॉल्वर और कारतूस लाते नहीं देखा था, पुलिस वालों ने यह नहीं बताया कि वे लोग रिवॉल्वर और कारतूस लाये हैं ।

8. यह बात सही है कि टेलर मास्टर को साथ लेकर पुलिस वाले से0-4 के हॉस्टल आये थे । यह बात सही है कि जब हम लोग से0-4 हॉस्टल आये तो जीप में हमारे साथ संतोष गुप्ता भी आया था । जब हम लोग हॉस्टल पहुंचे तो पुलिस वालों ने 2 रिवॉल्वर और 6 कारतूस रखे और बोले कि इसे पहचानते हो कि नहीं । पुलिस वालों ने कहा कि एक देशी है और एक सही है ।

9. यह कहना गलत है कि संतोष गुप्ता द्वारा हमारे सामने पुलिस को बयान देने के आधार पर टेलर मास्टर की दुकान से रिवॉल्वर बरामद किया गया था । प्रदर्श पी-303 में ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । प्रदर्श पी-304 और 305 के पीछे भी ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० भानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकान्त एवं बलदेव.

11. यह बात सही है कि मसीह भी मेरे साथ था, इसलिये जितना वाकया मैंने देखा उतना वाकया ही मसीह ने भी देखा । जहां-जहां मुझे ले जाया गया वहां-वहां मसीह को भी ले जाया गया था । जिस तरह मैंने हस्ताक्षर किया उसी तरह बोर हथियार देखे मसीह ने भी हस्ताक्षर किये । एक ही रोज में उनसे कई कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

12. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शरीफ अहमद, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

13. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी०के०झा)	(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)	दुर्ग (म०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि
23/3/95
प्रतिलिपि विभाग,
... न्यायाधीश,
दुर्ग

23/3/95

अभियोजन , 19-3-96

29 वर्ष

विक्रम बजाज

श्री चंद्र बजाज

बिजनेस

नागपुर.

शपथपूर्वक :-

1. होटल ग्रांट नागपुर मे मै जनरल मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा हूं । मैं पिछले 7 वर्षों से इस होटल में काम कर रहा हूं । हमारा होटल आतक के नियम एवं निर्देश के अंतर्गत कार्य करता है एवं हमारे होटल का लाइसेंस है ।

2. जब हमारे होटल में कोई यात्री ठहरने के आशय से आता है और होटल में कमरा खाली रहता है तो हम उसे रजिस्टर दे देते हैं, जिसमें वह अपना नाम और अन्य विवरण भरता है । यात्री उस रजिस्टर में अपने हाथों से अपना नाम, पता, कहां से आया है, कहां जाना है भर देता है और अपना हस्ताक्षर करता है । गेस्ट रजिस्टर 2 प्रतियों में भरा जाता है । नीचे की प्रति कार्बन कापी होती है । उपर का पेज रात को लेखा विभाग के लिये चला जाता है और नीचे का कार्बन कापी रिकार्ड के लिये रजिस्टर में ही रह जाता है । होटल के काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट रहता है । सन् 91 में हमारे होटल में 5-6 रिसेप्शनिस्ट रहे होंगे । मैं अभी यह नहीं बता सकूंगा कि सन् 91 में हमारे होटल में कौन-कौन रिसेप्शनिस्ट रहे होंगे, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट लोग सामान्यतः स्नातक रहते हैं और अच्छी नौकरी मिलने पर होटल छोड़कर चले जाते हैं ।

3. प्रदर्श पी-346 मेमो है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पी-346 सी0बी0आई0 वालों ने रजिस्टर का कार्बन कापी निकाल लिये और बाकी रजिस्टर मुझे वापस कर दिये । कार्बन कापी पेज नंबर-1 है । बिल नंबर 1528 की कार्बन कापी भी मुझसे ले गये ।

4. हमारे होटल में बिल 3 प्रतियों में बनता है । मूल रसीद यात्री को दे दी जाती है । एक कापी लेखा विभाग को चली जाती है और एक रिकार्ड में रह जाती है । बिल उस समय बनाया जाता है जब यात्री होटल छोड़ता है । प्रदर्श पी-347 का बिल हमारे होटल के मैनेजर द्वारा चेक किया गया है और इस पी-347 पर उनके हस्ताक्षर अ से अ भाग पर हैं, उनके हस्ताक्षर से मैं परिचित हूं । यह बिल यात्री हेमंतसिंह के नाम पर बना है । इस बिल के अनुसार हेमंतसिंह दिनांक 5-10-91 को 12.10 बजे आये और 8 तारीख को रात के 8.30 बजे होटल छोड़ा था । हम लोग बिल पर यात्री के हस्ताक्षर लेते हैं ।

यह कि हमारे होटल के रिसेप्शनिस्ट द्वारा तैयार किया गया है, किंतु किस रिसेप्शनिस्ट द्वारा तैयार किया गया है यह मैं नहीं बता सकता । प्रदर्श पी-348 हमारे होटल के रजिस्टर की कार्बन कापी है, जिसे फाड़कर मैंने सी0बी0आई0 वालों को दिया था । यह पेज दिनांक 5-10-91 का पी-348 है । एंट्री क्रमांक- 56/1528 पर यात्री हेमंतसिंह का नाम लिखा है । मैं यह नहीं बता सकता कि उस समय होटल में किस रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी थी ।

5. लोटस रेस्टारेंट हमारे होटल से अटैच है । उस समय हमारे होटल के यात्रियों का नाश्ता इस रेस्टारेंट के माध्यम से दिया जाता था । रेस्टारेंट का बिल हमारे होटल के अंतिम बिल में आ जाता है । बिल यात्री के कमरे में उसके हस्ताक्षर के लिये जाता है । प्रदर्श पी-349 से पी-354 के बिल हमारे होटल से अटैच लोटस रेस्टारेंट का है । यह पी-349 से 354 बिल कमरा नंबर 13 का है, जो यात्री को प्रदान किये गये खाद्य सामग्री का है । कमरा नंबर 13 में हेमंतसिंह ठहरा हुआ था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मनचंद शाह, नवीन शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश अवधेश, अभय, चंद्रकश एवं बलदेव.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह

8. होटल में लिखा-पढ़ी का काम रिसेप्शनिस्ट का है । यह लिखा-पढ़ी किस रिसेप्शनिस्ट ने किया है मैं नहीं बता सकता । यह बात सही है कि जो व्यक्ति ठहरा है उसका बिल/उसका भुगतान मित्र, रिश्तेदार या अन्य कोई भी परीचित कर सकता है, किंतु नाम और दस्तखत उस व्यक्ति का आयेगा, जो ठहरा होता है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शरीफ अहमद, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

9. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया । सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी0के0 झा)	(टी0के0 झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)

(38)

आमान्य लिपि ---- [illegible]

।3। अभियोजन

37 वर्ष 19-3-96

श्री विश्वामित्र दुआ
नागपुर.

राकेश दुआ

बिजनैस

शपथपूर्वक :-

1. होटल दुआ कांटिनेन्टल कामठी रोड नागपुर में है । मेरी पत्नी उस होटल की भागीदार है । मैं होटल अटेन्ड नहीं करता हूं । यह होटल हमारा पारिवारिक व्यवसाय है । होटल मैनेजर अटेंड करता है । काउंटर पर रिशेप्शनिस्ट रहता है ।

2. दिसम्बर 91 में कौन रिशेप्शनिस्ट था यह मैं आजनहीं बता पाउंगा । रिशेप्शनिस्ट बदलते रहते हैं । प्रदर्श पी-355 के रिसीव मेमो के अ से अभाग पर मेरे पी-355 हस्ताक्षर हैं । इसकी कापी मुझे दी गई थी, जिसकी पावती के रूप में ब से बभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । एक बिल और एक रजिस्टर का पेज मुझसे ले गयेथे । प्रदर्श पी-356 का रजिस्टर का पेज मैंने सी0बी0आई0 वालों को दिया था । बिल प्रदर्श पी-356 पी-357 है, जो कार्बन कापी मैंने सी0बी0आई0 वालों को दिया था । बिल पी-357 की लिखावट हमारे होटल के रिशेप्शनिस्ट की है, किंतु किस रिशेप्शनिस्ट की है यह मैं आज नहीं बता पाउंगा । प्रदर्श पी-356 रजिस्टर का मूल पेज है । मैं नहीं बता सकता कि इस रजिस्टर में इंद्राज किस रिसेप्शनिस्ट ने किया है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

4. यह बात सही है कि रजिस्टर और बिल का इंद्राज मेरे सामने नहीं किया गया है । इंद्राज सही है या गलत है यह इंद्राज करने वाला ही बता सकता है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अजय, चंद्रकला एवं बलदेव.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शरीफ अहमद, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

6. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन परटंकित ।

सत्य प्रतिलिपि
[illegible] 25/3/96
प्रधान [illegible]
प्रतिलिपि विभाग,
[illegible]

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

132 अभियोजन

19-3-96

36 साल

अजय कुमार मिश्रा

श्री मिठालाल मिश्रा बी0एस0पी0 में सेवित

कैम्प-1-7 भेली भिलाई

शपथपूर्वक :-

1. मैं बी0एस0पी0 के वित्त विभाग में जूनियर स्टाफ ट्रेनिंग के पद पर कार्य कर रहा हूं। ए0आर0 विश्वकर्मा उस समय दूसरे विभाग में सेक्शन ऑफिसर थे, अब वे सेवा निवृत्त हो चुके हैं। नवम्बर 91 में हमारे अधिकारी ने हमें विशाखापटनम हॉस्टल नं0-4 भेजा था। वहां सी0बी0आई0 के अधिकारी से मैं मिला। सी0बी0आई0 वाले मुझे एक कमरे में ले गये थे। वहां एक आदमी पहले से मौजूद था, जिसका नाम बलदेव बताया गया। वह आदमी पलंग पर बैठा था। वह व्यक्ति हथकड़ी पहने हुये था और उसकी हथकड़ी खोली गई। वह व्यक्ति बैठा था उसके सामने टेबल रखा था। अफसर ने उसे फाईल और पेपर दिया। उस पेपर के ऊपर अधिकारी ने कुछ लिखा और वह कागज और पेन उस व्यक्ति को दिया और डिक्टेट किया। उस व्यक्ति ने डिक्टेशन के अनुसार लिखा। मेरे अंदाज से उस व्यक्ति को लिखने के लिये कुल दो कागज दिये गये थे। डिक्टेट करने के बाद बलदेव सिंह ने उस पर हस्ताक्षर किया उसके बाद मैंने, विश्वकर्मा ने और सी0बी0आई0 अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किये। एस0-125 से एस-140। सभी को प्रदर्श पी-358 अंकित किया गया। दिखाया गया। ये सभी कागज मेरे सामने ही पी-358 लिखे गये थे। इसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। विश्वकर्मा ने मेरे सामने ही हस्ताक्षर किये थे, किंतु मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ब से ब भागों पर विश्वकर्मा के हस्ताक्षर हैं या नहीं हैं। स से स भाग पर बलदेव सिंह के हस्ताक्षर हैं तथा द से द भागों पर सी0बी0आई0 अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, बलदेव सिंह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा था।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

2. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

3. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रशेखर एवं बलदेव.

4. जिस सी0बी0आई0 ने लिखवाया था उसका नाम मुझे नहीं मालूम।

5. सी0बी0आई0 अधिकारी के हस्ताक्षर से मैं पूर्व से परीचित नहीं था । यदि वह सी0बी0आई0 अधिकारी आज किसी अन्य कागज पर हस्ताक्षर करे तो मैं उसके हस्ताक्षर को नहीं पहचान सकूंगा । अब साक्षी कहता है कि एक बार में दो कागज दिये गयेथे । कागज खतम होते जाता था, फिर दिया जाता था । मैं नहीं बता सकता कि लिखने के लिये कितने बार कागज दिये गयेथे । यह बात सही है कि मुझसे यह नहीं पूछा गयाथा कि शुरू में कितने कागज दिये गयेथे । मुख्यपरीक्षा में यहभी नहीं पूछा गया था कि शुरू और अंत में कितने कागज दिये गयेथे । यह बात सही है कि, मैंने मुख्य परीक्षा में यह कहाथा कि कुल 2 कागज दिये गयेथे ।

6. यह बात सही है कि सी0बी0आई0 अधिकारी लिखवाताथा और बलदेव लिखताथा । मैं आज बिना दस्तावेज देखे याददाश्त के आधार पर यह नहीं बता सकता कि क्या-क्या लिखवाया गया है । सभी कागजों के बीच में ही लिखवाया गया था । यह कहना गलत है कि मैंने किसी को लिखते हुये नहीं देखा और मुझसे बाद में हस्ताक्षर लिये गये हैं । यह कहना गलत है कि आज न्यायालय में कागजात देखने के बाद मैं कह रहा हूं कि सभी कागज लिखवाये गये हैं ।

7. जिस व्यक्ति ने लिखा उसे मैं पूर्व से नहीं जानता था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शरीफ अहमद, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

8. कुछ नहीं ॥

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया.

सही होना माना ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी0के0झा)

(टी0के0झा)

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग म0प्र0।

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग म0प्र0।

133 अभियोजन S.T. No. 233/92

20-3-96

43 वर्ष

प्रदीपकुमार इराल

स्वर्गीय श्री एम०एन० गुलाम .... बिजनेस कैलाशनगर, इंडस्ट्रीयल स्टेट, भिलाई

शपथपूर्वक :-

1. मैं दिसम्बर 95 से एस०टी०डी० और स्टेशनरी का व्यवसाय करना आरंभ किया हूं । इससे पहले मैं सिम्पलेक्स कास्टिंग में नौकरी करता था । मैं वहां नौकरी सन् 75 से करता था ।

2. नवीन शाह सिम्पलेक्स कास्टिंग के वाईस चेयरमेन थे, जो कि आज न्यायालय में उपस्थित हैं । मैं सिम्पलेक्स कास्टिंग में अधिकारी के रूप में सदस्य था और मेरा कार्य ठेकेदारों का बिल बनाने का था ।

3. मैं वॉचमेन दयानंद मिश्र को जानता हूं । दयानंद मिश्र को सुरक्षा अधिकारी जनकसिंह ने नौकरी पर रखा था । मेरे पास दयानंद मिश्र की नौकरी हेतु आवेदन नहीं आया था । ढाई-तीन साल पहले दयानंद मिश्र को नौकरी पर रखा गया था । उस समय हड़ताल के कारण बार-बार गेट से अंदर-बाहर आना-जाना पड़ता था, इसलिये यह मालूम पड़ जाता था कि कौन वॉचमेन ड्यूटी पर बैठे हैं । मैं यह नहीं बता सकूंगा कि दयानंद मिश्र कब तक नौकरी पर रहा । मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा को नहीं जानता । मैं बलदेवसिंह और छोटू को भी नहीं जानता ।

4. ऐसी बात नहीं है कि नवीन शाह ने मुझे बुलाया और ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने दयानंद मिश्र के नौकरी का आवेदन दिया, जिस पर नवीन शाह ने कहा कि इस पर कार्यवाही करो ।

नोट :- विशेष लोक अभियोजक श्री त्रिवेदी ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही । केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

5. यह बात सही है कि सी०बी०आई० के अधिकारी ने मुझसे पूछताछ किया था । मैंने सी०बी०आई० को प्रदर्श पी-359 का अ से अ का बयान, ड्यूरिंग जुलाई- पी-359 अगस्त 1991 - - - - - - - नोड फुल। नहीं दिया था ।

6. ऐसी बात नहीं है कि मैं दयानंद मिश्र का आवेदन लेकर जनकसिंह से मिला और उसे नवीन शाह का संदेश बताया था कि सी०बी०आई० को प्रदर्श पी-359 का ब से ब का बयान आई टूक - - वॉचमेन। नहीं दिया था ।

7. अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर 90 से फैक्टरी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गयेथे । यह हड़ताल करीब एकाध साल तक चला था । साक्षी स्वतः कहता है कि हड़ताल चल रहाथा, काम भी चल रहाथा, इसलिये उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा । यह बात सही है कि जब हड़ताल चल रही थी तो औद्योगिक श्रमिक कल्याण सहकारी समिति के माध्यम से फैक्टरी में मजदूर प्राप्त किये जा रहे थे । इन मजदूरों से और फैक्टरी के अंदर जो मजदूर थे उनकी सहायता से फैक्टरी का काम चल रहाथा । -: क्रमशः

8. हड़ताल पर जो श्रमिक गयेथे वे छ0 मु0 मोर्चा से संबंधित थे । छ0 मु0 मोर्चा के लीडर जनकलाल ठाकुर और नियोगी थे इनका मैं नाम सुनाथा और बहुत सारे लीडर गेट पर आया करते थे ।

9. यह कहना गलत है कि नवीन शाह ने मुझसे हड़ताली कर्मचारियों की सूची मांगा था । यह कहनाभी गलत है कि मैंने नवीन शाह के मांगने पर उन्हें हड़ताली कर्मचारियों का लिस्ट दिया था । ऐसी बात नहीं है कि नवीन शाह ने मुझसे यह कहा कि हड़ताली कर्मचारियों का लिस्ट बनाकर मैं ज्ञानप्रकाश को दे दूं । मैं प्रदर्श पी-359 का स से स का बयान ।श्री नवीन शाह - - ज्ञानप्रकाश। नहीं दिया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह.

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

11. यह बात सही है कि मुझसे पूछताछ हिंदी में हुई थी । हिंदी में ही मेरा बयान लिखा गयाथा और मैंने जवाबभी हिंदी में ही दियाथा ।

12 मैं ठेकेदारों का काम देखताथा और ठेकेदार के श्रमिक हमारे यहां काम करते थे । वे मजदूर सीधे सिम्प्लेक्स के श्रमिक न होकर ठेकेदार के श्रमिक थे । इन मजदूरों की सप्लाई ठेकेदार करते थे । हमारे फैक्टरी में छ0 मु0 मोर्चा के सदस्यों की संख्या नगण्यथी । ठेकेदार के जो श्रमिक छ0 मु0 मोर्चा से संबंधित थे वे लोग ही हड़ताल पर चले गयेथे । हमारे कंपनी के श्रमिक हड़ताल पर नहीं गयेथे ।

13. यह बात सही है कि आसपास के जितने भी कंपनियां थी उन सभी में हड़ताल चल रहाथा । यह बात सही है कि जो श्रमिक छ0 मु0 मोर्चा से संबंधित नहीं थे, चाहे वे ठेकेदार के श्रमिक हो या फैक्टरी के श्रमिक हों वे सब काम कर रहे थे ।

नं०:- 133 अभियोजन

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

14. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी०के०झा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

।टी०के०झा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

(25)

आरोप क्र० 15 अवशेष आदि

134 अभियोजन

28 वर्ष 21-3-96

अनंत रमेशराव पिंपलराव
ट्रैवलिंग बिजनेस

श्री रमेशराव
नागपुर.

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 90 से 92 तक होटल सोना, नागपुर में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्य करता था । यदि कोई यात्री होटल में ठहरने के लिये आताथा तो एंट्री रजिस्टर में उसका इंद्राज या तो रिसेप्शनिस्ट करताथा या तो यात्री स्वयं करताथा । होटल में जो रजिस्टर रखा जाता है वह शासन के नियम एवं निर्देशों के अनुसार ही रखा जाता है । रजिस्टर पर हस्ताक्षर यात्री करताथा ।

2. सन् 91 में होटल सोना में यात्रियों के ठहरने के लिये 10 कमरे थे । कमरे का नंबर 101 से लेकर 105 तक तथा उसके बाद 201 से लेकर 205 तक था । उस समय होटल में नये कमरेभी बन रहे थे ।

3. होटल में चेक आउट का समय 24 घंटे का था । जब यात्री होटल में आताथा तो एडवांस दे देताथा । चेक आउट के समय यात्री को बिल दिया जाताथा । यदि एडवांस की रकम अधिक जमा रहती थी तो उसमें से बिल घटाकर बाकी रकम यात्री को वापस कर दिया जाता था । बिल एक प्रति में बनाया जाताथा, जिसे यात्री को दे दिया जाताथा और उसकी फोटोकापी होटल में रहती थी । प्रदर्श पी-360 के बिल की फोटोकापी मेरी लिखावट में है और इसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पी-360 मूल बिल यात्री को दिया गया था । यह बिल यात्री सी०के०शाह के नाम पर बनाया गया था । यात्री 8-10-91 को आयाथा और 9-10-91 को गया था । यह बिल 9-10-91 को ही बनाया गया था । यह बिल एंट्री रजिस्टर के अनुसार ही बनाया जाता है । इस बिल का नंबर 105 हैं ।

4. प्रदर्श पी-361 होटल सोना का एंट्री रजिस्टर है, जिसके पन्ने प्रिंटेड हैं । उस रजिस्टर के पेज नं०-63 के एंट्री नंबर-665 दिनांक 8-10-91 का इंद्राज चेकआउट पी-361 से लेकर (बीच में यात्री के हस्ताक्षर को छोड़कर) अंत तक मेरे व्दारा किया गया है । मेरे व्दारा किया गया इंद्राज अ से अ, ब से ब, स से स एवं ट से ट भागोंपर हैं । यात्री को कमरा नंबर -104 आबंटित किया गया है ।

5. दिनांक 8-10-91 को इस रजिस्टर के अनुसार यात्री सी0के0शाह दिनांक 8-10-91 को रात के 9.30 बजे आया था । यात्री के साथ एक महिलाभी थी । इस रजिस्टर में आने का इंद्राज और हस्ताक्षर यात्री ने किया था । रूम नंबर 104 यात्री ने स्वयं लिखा है । इस रजिस्टर में यात्री का पता 34 सिविक सेंटर भिलाई लिखा है और यह लिखा है कि यात्री दुर्ग से आया है । यात्री ने एडवांस के रूप में 125/- रुपये दिया था, जिसमें 25/- उसे उसी समय वापस कर दिया गयाथा । यात्री का बिल 81/- रुपये 90 पैसे हुआथा । इस रजिस्टर में दिनांक 8-10-91 से जाने का दिनांक तक का इंद्राज इ से इ भाग और हस्ताक्षर फ से फ भाग पर यात्री ने ही किये ।

6. अब साक्षी कहता है कि उस समय होटल सोना में 10 रूम नहीं थे, बल्कि 14 रूम थे ।

7. रजिस्टर और प्रदर्श पी-360 का बिल सी0बी0आई वाले मुझसे ले गयेथे, इसका रिसीव मैंने प्रदर्श पी-362 लियाथा, जिसके अ से अभाग पर पी-362 मेरे हस्ताक्षर हैं । इस रिसीव मेमो की मुझे पावती दी गईथी जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

9. मैंने सिर्फ चेकआउट के समय इंद्राज किया था । यात्री के आने और जाने के समय का इंद्राज मेरे हाथ का है । यात्री जिस समय आया और गया दोनों समय में मैं ड्यूटी पर था । यात्री रात के 9.30 बजे आयाथा और सुबह 6.00 बजे चला गयाथा । मैं यह नहीं बता सकता कि इस रजिस्टर में कितने सी0के0शाह के इंद्राज हैं । हमारे यहां ऐसा नहीं था कि यात्री के साथ जो महिला आये उसके बारे में यह लिखवाया जाये कि उनके बीच क्या संबंध है । हम लोग यहभी नहीं पूछते कि उनका संबंध क्या है । महिला जब साथ में आती है तो हम उसके बारे में यह नहीं कह सकते कि उनका संबंध क्या है । हमारे बाजू केकार सिंगार के टिंकू हाड़ा ने यात्री को लेकर आया था । मैं यात्री को और महिला को नहीं पहचानताथा टिंकू हाड़ा पहचानता था । अब कहता है कि टिंकू हाड़ा ही जाने कि वह यात्रियों को पहचानता था या नहीं । मैं यह नहीं कह सकता कि जो यात्री आयाथा उसके साथ जो महिलाथी वह उसकी पत्नीथी ।

आरक्ष ... 2116 ... (26)

नं0:- 134 अभियोजन

2

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रशेखर एवं कादेव.

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

11. कुछ नहीं ।

गवाहको पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

23/3/96

135 अभियोजन

21-3-96

59 वर्ष

टी0के0सेन गुप्ता
रिटायर्ड

स्वर्गीय श्री, एस0बी0सेन गुप्ता
कलकत्ता.

शपथपूर्वक :-

1. मैं डिप्टी कामर्शियल मैनेजर इंडियन एयरलाइंस कलकत्ता के पद से जनवरी 91 में सेवा निवृत्त हुआ हूँ।

2. कलकत्ता से इंडियन एयरलाइंस के वायुयान काठमांडू, ढाका और देश के अन्य आंतरिक भागों में उड़ानें भरती हैं। यदि किसी यात्री को कलकत्ता से काठमांडू यात्रा करना हो तो वह काउंटर से टिकट ले सकता है। टिकट के साथ फॉरेन ट्रेव्हल्स टैक्स या भी लिया जाता है। टिकट की 3 कापियाँ बनती हैं। टिकट की सबसे उपर की कापी को ऑडिटर को भेजी जाती है। दूसरी कापी को फ्लाईट कूपन कहते हैं। तीसरी कापी को पैसेंजर कूपन कहा जाता है। बुकिंग के समय ही संबंधित कर्मचारी ऑडिटर कूपन को फाड़कर अपने पास रख लेता है। फ्लाईट कूपन और पैसेंजर कूपन दोनों यात्री को दे दिया जाता है। फ्लाईट कूपन और पैसेंजर कूपन जैकेट के रूप में यात्री को दे दिया जाता है। टिकट में यह लिखा रहता है कि वायुयान का नंबर क्या है वह कहां से उड़ेगी, कहां जायेगी और उसमें दिनांक व समय भी लिखा रहता है।

3. यात्रा के पहले यात्री को चेकिंग काउंटर पर जाना होता है। पूरे-का-पूरा जैकेट यात्री से चेकिंग काउंटर पर ले लिया जाता है। चेकिंग से मतलब चेक इन से है। चेक इन काउंटर पर फ्लाईट कूपन में कर्मचारी सीट नंबर और यात्री के सामान का उल्लेख कर देता है। पैसेंजर कूपन, जैकेट के साथ ही यात्री को दे दिया जाता है। चेक इन काउंटर पर ही यात्री को बोर्डिंग पास, दिया जाता है। इसके पश्चात यात्री वायुयान में चला जाता है।

4. काठमांडू जाने वाले यात्री को चेक इन काउंटर के पश्चात स्टेट बैंक में काउंटर से फॉरेन ट्रेव्हलिंग टैक्स के लिये कूपन लेना पड़ता है और उसे फ्लाईट कूपन के साथ चिपकाया जाता है।

5. चेक इन काउंटर पर जब फ्लाईट कूपन ले लिया जाता है तो उसे बाजू के कर्मचारी को दे दिया जाता है और उसके आधार पर पैसेंजर मेनिफेस्ट बनाया जाता

है । पैसेंजर्स मेनिफेस्ट में पैसेंजर का नाम, सीट नंबर तथा फॉरेन ट्रेव्हलिंग टैक्स का कूपन नंबर और यात्री के सामान का विवरण लिखा जाता है ।

6. प्रदर्श पी-363 फ्लाईट कूपन है, जिसमें यात्री का नाम जी0 पी-363 मिश्रा लिखा है । फ्लाईट नंबर आई0सी0-747, ट्रेव्हलिंग डेट 26-2 लिखा है और यात्रा का समय शाम के 4.00 बजे लिखा है । यह टिकट कन्फर्म है । इसके साथ फॉरेन ट्रेव्हलिंग टैक्स का कूपन नंबर लिखा है, जो 20125 है । सीट नंबर-17अ लिखा है । प्रदर्श पी-364 पैसेंजर मेनिफेस्ट है । यह कलकत्ता पी-364 से काठमांडू के लिये फ्लाईट नंबर-747 दिनांक 26-2-91 के लिये है । पैसेंजर मेनिफेस्ट एक कापी में बनता है और आवश्यकता होने पर उसकी साइक्लोस्टाईल कापी निकालते हैं । पैसेंजर मेनिफेस्ट के अ से अ भाग पर एन0 पाणिग्रही के हस्ताक्षर हैं, उस समय वे ट्रेफिक सुपरिन्टेंडेंट थे । यह ओरिजनल की साइक्लोस्टाईल कापी है । इसके पेज नंबर-3 पर सीट नंबर 17ए के यात्री का नाम मिश्रा/आर0 लिखा है और उसके फॉरेन टैक्स कूपन का नंबर 20125 लिखा है ।

7. के0एन0 बसु हमारे यहां सिविलियन अधिकारी थे । मैं के0एन0 बसु के हस्ताक्षर से परीचित हूं । प्रदर्श पी-365 के अ से अ भाग पर और ब से ब पी-365 भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीनशाह.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

9. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

10. यह बात सही है कि यात्री का वही नाम ऑडिटर कूपन, फ्लाईट और पैसेंजर कूपन पर भी लिखा रहता है । फ्लाईट कूपन देखकर ही पैसेंजर मेनिफेस्ट बनाया जाता है । फ्लाईट कूपन पर जो नाम लिखा रहता है उसे देखकर ही पैसेंजर मेनिफेस्ट में लिखा जाता है । [illegible] पैसेंजर मेनिफेस्ट की एक कापी बनती है और उसे कई फोटो कापी निकाल लिया जाता है । एक कापी वायुयान के साथ चली जाती है । वायुयान में ये कापी इसलिये जाती है, ताकि यह जाना जा सके कि वायुयान में कौन-कौन यात्रा कर रहे हैं । यहबात सही है कि यदि कोई वायुयान दुर्घटनाग्रस्त

आरा नं
15
दि० 9-5-1991 ... 2116 ...

हो जाये पैसेंजर मेनिफेस्ट के अनुसार यात्री की पहचान की जाती है और मुआवजा दी जाती है। वयस्क यात्री को दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख रूपये का मुआवजा इंडियन एयरलाइंस से दिया जाता है। यह बात सही है कि पैसेंजर मेनिफेस्ट में जिस यात्री का नाम लिखा रहता है वही यात्री यात्रा करता है। टिकट ट्रांसफर नहीं होता है। यह बात सही है कि इस लिस्ट के अनुसार जो यात्री यात्रा कर रहा था उसका नाम आर0 मिश्रा था। यह इंद्राज फ्लाईट कूपन देखकर ही किया गया था। यह बात सही है कि आज जितने भी दस्तावेज मुझे दिखाये गये हैं वे मेरे द्वारा बनाये गये नहीं हैं। यह बात सही है कि मैंने आज जो बयान दिया है वह व्यक्तिगत जानकारी से नहीं, बल्कि न्यायालय में दस्तावेज देखकर बयान दिया हूं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

11. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित।
सही होना पाया।

टी. के. झा
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म. प्र.)

द्वितीय अतिरिक्त सत्र ...
दुर्ग (म. प्र.)

सत्यप्रतिलिपि
23/3/96
प्रतिलिपिकार ...
... सत्र न्यायालय,
दुर्ग (म.प्र.)

(21)

आवेदक श्री चंद्रकांत शाह वगैरह

136 अभियोजन

21-3-96

59 साल

रमनमंगलदास पच्चीगर
आर्किटेक्ट

श्री मंगलदास पच्चीगर
गोंदिया

शपथपूर्वक :-

1. मैंने नागपुर युनिवर्सिटी से सन् 1960 में आर्किटेक्ट का पांच वर्षीय डिप्लोमा लिया था। मैंने सन् 64 से अपना स्वयं का आर्किटेक्ट का कार्य चालू किया। मेरा आर्किटेक्ट का कार्य तिरोड़ा, तुमसर, भंडारा, बालाघाट, डोंगरगढ़, भिलाई, उरला, रायपुर, दुर्ग आदि स्थानों पर रहा है।

2. भिलाई क्षेत्र में मेरा आर्किटेक्ट का ज्यादा कार्य सन् 90 से ही आरंभ हुआ। मैंने राजकुमार मूंदड़ा के लिये आर्किटेक्ट का कार्य किया तथा पांडा, विनोद किराना स्टोर्स वालों के लिये तथा परमार तथा चंद्रकांत शाह के लियेभी आर्किटेक्ट का कार्य भिलाई में किया। चंद्रकांत शाह जिस मकान ~~में रहते थे~~ को बनवा रहे थे उसके लिये मैंने वैकल्पिक सुझाव दिया था। वह मकान नेहरू नगर में बन रहा था। मैंने चंद्रकांत शाह के ससुर के निर्माणाधीन मकान के लिये भी वैकल्पिक सुझाव दिया था। चंद्रकांत शाह के फैक्टरी का नक्शाभी मैंने बनाया था।

3. चंद्रकांत शाह के फैक्टरी के कार्य के लिये मैं सन् 90-91 में आया था। मैं जो नक्शा बनाता हूं उसे देखने के लिये मैं निर्माण स्थल पर भी कभी-कभी आता हूं।

4. मैंने शंकर गुहा नियोगी का नाम पेपर में बहुत पढ़ा है। शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद मैं भिलाई और रायपुर आया था। मैं राजकुमार मूंदड़ा के यहां भिलाई में ठहराथा। उस समय मैंने अपने सभी क्लाईंटस, जिसमें चंद्रकांत शाह भी सम्मिलित है फोन पर संपर्क करके बतायाथा कि मैं आ गया हूं। उसी दिन शाम को राजकुमार मूंदड़ा के घर मेरी मुलाकात चंद्रकांत शाह से हुई। चंद्रकांत शाह वहां आयेथे। चंद्रकांत शाह के साथ मैं उनके ससुर के घर गया। उनके ससुर का मकान निर्माणाधीन था। उस दौरान चंद्रकांत शाह नेभवन निर्माण के बारे में बात की थी और कोई बात नहीं किया था। चंद्रकांत शाह से मेरी यह बात हुई कि अगले टूर में मैं कब आऊंगा। एक दिन बाद मैं गोंदिया वापस चला गया।

5. मेरा लड़का सात्विकी भिलाई में हीरो होंडा वालों के यहां काम सीखताथा और वहराजकुमार मूंदड़ा के घर रहताथा।

6. मैं चंद्रकांत शाह के भाई हेमंत शाह को जानता हूं। मैं उनके घर भी गयाथा ।

7. नवम्बर 91 में हेमंत शाह मेरे घर गोंदिया में नहीं आया था । हेमंत शाह ने मुझे गोंदिया में कोई पैसा नहीं दिया था । अक्टूबर-नवम्बर 91 में चंद्रकांत शाह से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी । न्यायालय में आज अभि0 चंद्रकांत शाह उपस्थित है ।

<u>नोट</u>:- विशेष लोक अभियोजक श्री त्रिवेदी साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रति-परीक्षण करने की अनुमति चाहे ।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

8. यह बात सही है कि सी0बी0आई0 वालों ने मेरा बयान लिया था । मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श पी-366 का अ से अ का बयान ।चंद्रकांत शाह - - - - - करना ही पड़ेगा । नहीं दिया था । मैंने ब से ब का पी-366 बयान ।उसके बाद - - - - नहीं दूं। नहीं दियाथा ।

9. ऐसी बात नहीं है कि 5 नवम्बर की शाम को चंद्रकांत शाह मेरे पास आया हो । यह कहना भी गलत है कि मैंने चंद्रकांत शाह को 20 हजार रूपये दिये । यह कहनाभी गलत है कि चंद्रकांत शाह ने कहा कि मैं उसके भाई को यह संदेश दे दूं कि वह 7-8 तारीख को अपनी गाड़ी याने टेम्पो ट्रेव्हलर को गोंदिया-बालाघाट रोड पर छोड़ देगा और वो आकर उसको देख ले और उसके मुताबिक पुलिस को खबर कर दे । यह कहना भी गलत है कि उसके बाद चंद्रकांत शाह वहां से चला गया । मैंने सी0बी0आई0 को पी-366 का स से स का बयान ।चंद्रकांत शाह - - - - - चला गया। नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि चंद्रकांत शाह के जाने के बाद मैंने उसके घर हेमंत शाह को फोन पर खबर कर दिया कि काम हो गया है और चंद्रकांत शाह गाड़ी को 7-8 नवम्बर को गोंदिया-बालाघाट रोड पर छोड़कर चला जायेगा । यह कहना गलत है कि 14-15 नवम्बर को हेमंत शाह और उसके पिता मेरे घर आये और मुझसे चंद्रकांत शाह और उसकी गाड़ी के बारे में पूछे । यह कहनाभी गलत है कि मैं उनको बताया कि न तो चंद्रकांतशाह की कोई खबर है और न ही मैंने उसकी गाड़ी देखी है ।

10. यह कहना भी गलत है कि चंद्रकांत शाह के भाई ने मुझे एक चिट्ठी की फोटो कापी दिखाई थी, जिसमें चंद्रकांत शाह की 3-4 पुलिसवालों के साथ हाथापाई और अपहरण के बारे में लिखा था । यह कहना भी गलत है कि हेमंत शाह और उसके पिता के जाने के बाद मैं चंद्रकांत शाह की गाड़ी को

आसान पि. चन्द्रकान्त शाह गर्ग 30

देखने के लिये अपने किसी क्लाईंट की गाड़ी से गोंदिया-बालाघाट रोड पर गया । यह कहना भी गलत है कि मैंने चंद्रकांत शाह की गाड़ी को देखा, जिसमें ड्रायव्हर की सीट पर एक सफेद तौलिया पड़ा था, जिसमें खून जैसा दाग लगा था और अंधेरे के कारण गाड़ी के अंदर की अन्य चीजें दिखाई नहीं दे रही थी । मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श पी-366 का द से द का बयान ।चंद्रकांत शाह - - - - चीजें दिखाई नहीं दी । नहीं दिया था ।

11. मैं राजेश शाह को जानता हूं।। वे अभि0 चंद्रकांत शाह के फैक्टरी के मैनेजर भी थे । यह बात सही है कि बाद में जब मैं भिलाई आया तो राजकुमार गुंदड़ा के घर मुझे राजेश शाह मिला था, किंतु यह कहना गलत है कि राजेश शाह ने मुझे चंद्रकांत शाह के अग्रिम जमानत की फोटो कापी देते हुये यह कहा कि यदि चंद्रकांत शाह से मुलाकात हो तो यह कापी मैं उसे दे दूं। मैंने सी0बी0आई0 को प्रदर्श पी-366 का इ से इ का बयान ।जबलपुर - - - - - दे दूं। नहीं दिया था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री संघी, अधि0 वास्ते अभि0 फूलचंद शाह, नवीन शाह.

12. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

13. ऐसी बात नहीं है कि मैं जिन लोगों के मकान बनाने का काम करता हूं उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रहता । क्लाईंटों के साथ मेरा व्यावसायिक संबंध रहता है । व्यावसायिक संबंध होने के कारण काफी जान-पहचान हो जाती है ।

14. यह कहना गलत है कि मुझे आज न्यायालय आने का समंस नहीं मिला है । यह समंस मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चों ने लिया था । यह कहा गया कि समंस में जो 3 नाम लिखे हैं उनसे मैं भिलाई होटल में आकर मिलूं ।

15. भिलाई में मैंने चंद्रकांत शाह की टेम्पोट्रेव्हलर नहीं देखा था । मैंने उसे गोंदिया के थाने में जब वह बाहर रखी हुई थी तब देखा था । यदि कोई गाड़ी लावारिस हालत में खुली पड़ी हुई हो तो उसमें कुछ भी डाला और निकाला जा सकता है ।

16. समंस मिलने पर मैं कल भिलाई होटल गया था ।

17. मुझे जो समंस मिला था उसे मैं पेश कर रहा हूं । वह प्रदर्श डी-48 है । डी-48

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अजय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

18. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

19. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी०के०झा।	।टी०के०झा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।	दुर्ग ।म०प्र०।

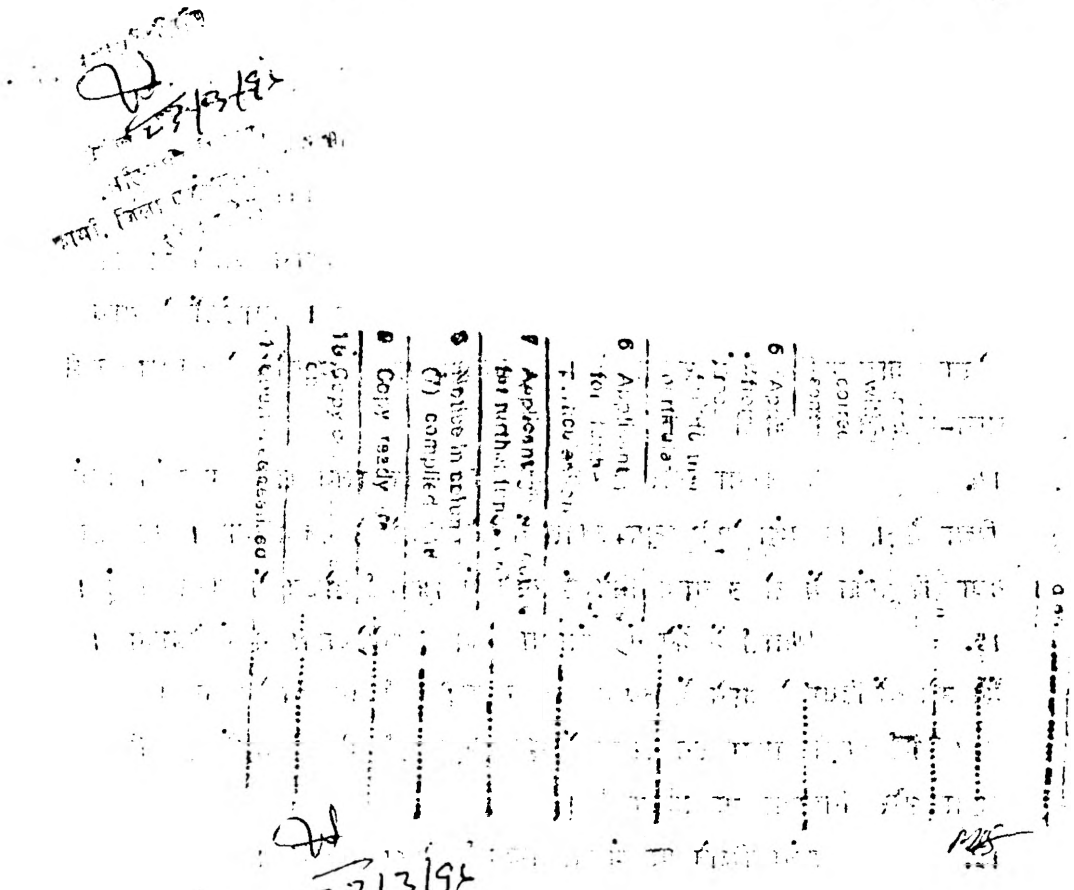

(31)

आधार पर ... आठ वर्ष

13 137   अभियोजन

                                      21-3-96

25 वर्ष

                                      शेखर

श्री शंकरराव
मद्रास   रिसेप्शनिस्ट

शपथपूर्वक :-

नोट :- साक्षी हिंदी और अंग्रेजीनहीं समझता, इसलिये अधिवक्ता श्री पी0रविन्द्रम को उभय पक्षों की सहमति से अनुवादक नियुक्त किया गया । साक्षी को तथा अनुवादक श्री पी0रविन्द्रम को शपथ दिलाई गई । साक्षी तेलगू में बयान देगा, जिसका अनुवाद श्री पी0रविन्द्रम करेंगे ।

1. मैं पिछले 6 वर्षों से होटल गोदावरी भद्राचलम (आंध्रप्रदेश) में मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूं । जब कोई यात्री हमारे होटल में ठहरने के लिये आता है तो रजिस्टर में यात्री का नाम, पता, कहां से आया है, आने का उद्देश्यक्या है, कितने दिन ठहरेगा और उसका स्थाई पताक्या है यह लिखा जाता है । रजिस्टर पर यात्री अपना हस्ताक्षरभी करता है । जब यात्री होटल में आता है उस समय रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर रहता है । रजिस्टर में इंद्राज रिसेप्शनिस्ट की उपस्थिति में किया जाता है ।

2. प्रदर्श पी-247 हमारे होटल के रजिस्टर का पेज है । इसमें तारीख, समय, रजिस्ट्रेशन नंबर, रूम नंबर और यात्रियों की संख्या मेरी लिखावट में है और आगे की शेष प्रविष्टियां यात्री के हाथों की है । यात्री ने मेरे सामने उस पर हस्ताक्षर भी किया है । इस इंद्राज के अनुसार यात्री का नाम सी0के0शाह है । वह 11-10-91 को हमारे होटल में आयाथा । इस इंद्राज में यात्री उसी दिन चला गयाथा ।

3. यात्री ने 50/- रुपये एडवांस दियाथा । यात्री को दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 205 आबंटित किया गयाथा । बिल डुप्लीकेट में बनता है । फाईनल बिल बनने के बाद एडवांस के बिल को फाड़ दिया जाता है । प्रदर्श पी-367, हमारे होटलपी-367 का मूल बिल है । इसकी लिखावट और इस पर हस्ताक्षर हमारे होटल के मोहन रिसेप्शनिस्ट का है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश,
अजय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

7. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

23/3/96

23/3/96

(32)

आबा.र लि.. ... ... वर्मे

138 अभियोजन

21-2-96

35 वर्ष

एम0 मोहन

श्री सीताराममैय्या
भद्राचलम ।आंध्रप्रदेश। रिसेप्शनिस्ट

शपथपूर्वक :-

1. हमारे होटल में जो यात्री ठहरते हैं उनका बिल कार्बन लगाकर डुप्लीकेट में बनाया जाता है । मूल बिल यात्री को देते हैं । प्रदर्श पी-367 का बिल हमारे होटल का है, जिसकी लिखावट मेरी है और जिसके अ से अभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । यह हमारे होटल का मूल बिल है । यह बिल यात्री सी0के0शाह के नाम पर बनाया गया है, जिसमें उसमें आने का दिनांक 11-10-91 को दोपहर के 1.30 बजे हैं और जाने का समय 12-10-91 को सुबह 9.10 बजे है । यह बिल मैंने दिनांक 12-10-91 को बनाया है । इस बिल के अनुसार यात्री को कमरा नंबर 205 आबंटित किया गया है । यह बिल यात्री द्वारा होटल छोड़ते समय बनाया जाता है ।

2. प्रदर्श पी-368 मैंने अटेस्ट करके दिया था । मैंने हस्ताक्षर किया था, पी-368 किंतु उसको सत्यापित नहीं किया था । सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे प्रदर्श पी-247 के रजिस्टर का पन्ना ले गये थे । प्रदर्श पी-369 मेरी लिखावट में है । सी0 पी-369 बी0आई0 वालों ने मुझे लिखकर देने कहा तो मैंने लिखकर दे दिया था । पी-368 (369) रसीद की मेरे द्वारा हाथ से लिखी गई कापी है । पी-363 रिसाप्ट मेमो है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकला एवं बलदेव.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पाटन.

6. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया । मेरे निर्देश पर टंकित ।

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

(33)

[illegible]

139 अभियोजन .८

21-3-96

[illegible] 29 वर्ष

किंगशुक चक्रवर्ती
सर्विस

श्री निर्मल कुमार चक्रवर्ती
कलकत्ता.

<u>शपथपूर्वक</u> :-

1. सन् 91 में मैं होटल सेंट्रल प्वाइंट जमशेदपुर में नौकरी करता था। मैं रिशेप्शनिस्ट के पद पर कार्य करता था। जब भी कोई यात्री होटल में आता था तो सबसे पहले उसे गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड में इंद्राज करना होता था। इस पर यात्री को स्वतः अपना नाम, पता लिखना पड़ता था और हस्ताक्षर भी करना पड़ता था। सामान्यतः रूम आरक्षित करने के रजिस्टर को रिशेप्शनिस्ट भरता था।

2. प्रदर्श पी-370 होटल का गेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। जब यह रजि० पी-370 फॉर्म भरा गया और यात्री आया था उस समय मेरी ड्यूटी थी। इस फॉर्म में यात्री ने स्वतः अपना नाम, राष्ट्रीयता, पेशा, स्थाई पता, आने का समय और तारीख, हस्ताक्षर किया है। इस फॉर्म पर 105नंबर, कमरे का किराया 625/- रूपये और यात्रियों की संख्या 01 मेरे द्वारा भरा गया है। इस फॉर्म के अनुसार यात्री का नाम एच०के०शाह है। उसका स्थाई पता 34 सिविक सेंटर, भिलाई लिखा है।

3. सामान्यतः चेक आउट का समय दोपहर के 12.00 बजे का था। प्रदर्श पी-371 का बिल के आरंभिक इंद्राज मेरे द्वारा किये गये हैं। जब कोई यात्री होटल में ठहरने के लिये आता था तो इस रसीद में इंद्राज किया जाता था। पी-371 इस पर [illegible], रजिस्ट्रेशन नंबर 1650 में यात्री का नाम एच०के०शाह और राष्ट्रीयता भारतीय मेरे द्वारा लिखा गया है। प्रतिदिन रात को यात्री जितने दिन ठहरता था उसका इंद्राज किया जाता था। इसमें 15% डिस्काउंट मेरे द्वारा लिखा गया है। इस रसीद में दिनांक 23-11-91 एवं 24-11-91 का कमरे का किराया का चार्ज मेरे द्वारा भरा गया है। इसमें यात्री के आने का दिनांक 23-11-91 को रात के 11.00 बजे मेरे द्वारा भरा गया है। इसमें यात्री की संख्या 01 और किराया 625/- रूपये मेरे द्वारा ही भरा गया है।

4. रसीद कार्बन रखकर 3 प्रतियों में बनाया जाता था। यात्री ने होटल 25-11-91 को सुबह 9.00 बजे छोड़ा था। बिल की मूल कापी यात्री को दी जाती थी और बाकी दो प्रति एकाउंट में जाती थी। उनमें से एक प्रदर्श पी-371 है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधि0 वास्ते अभि0 फूलचंद शाह, नवीन शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकेश एवं बलदेव.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

8. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी0के0 झा। ।टी0के0 झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0। दुर्ग ।म0प्र0।

23/3/98

23/3/98

शासन वि० [illegible] वगैरह

140 अभियोजन

21-3-96

29 वर्ष

श्री एस0 [illegible] हसनेन — आर0 रिजवी ।रशीद रिजवी।

कलकत्ता. — सर्विस

<u>शपथपूर्वक</u> :-

1. मैं होटल सेंट्रल प्वाइंट जमशेदपुर में सीनियर रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत हूं । मैं उस होटल में फरवरी 91 से कार्य कर रहा हूं ।

2. प्रदर्श पी-371 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । इस बिल के दाहिनी तरफ कुल योग के स्थान पर 1349/- रुपये 40, 1349/- रुपये 40 पैसे एवं एम0आर0/11/123 मेरे ही लिखावट में हैं । इसमें यात्री के होटल छोड़ने का समय 25-11-91 सुबह 9.00 बजे मेरे द्वारा ही लिखा गया है । सी0बी0आई0 वाले मुझसे प्रदर्श पी-370 का कार्ड एवं 371 का बिल ले गये थे । इसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-372 है, पी-372 जो दिनांक 23-12-91 का है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री संघी, अधि0</u> वास्ते अभि0 फूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री पटेरिया, अधि0</u> वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री यादव, अधि0</u> वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रकेश एवं बलदेव.

5. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा <u>श्री तिवारी, अधि0</u> वास्ते अभि0 फलटन.

6. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । — मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी0के0झा। — ।टी0के0झा।

द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0। — द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

23/3/96

35

आरसन लि. वाइनुडी/ल्यूआठ कोर्ट

141 अभियोजन

33 वर्ष 21-3-96

सी0ए0 शिवकुमार

श्री सी0एम0अप्पाजी ड्रायव्हरी

नागपुर

शपथपूर्वक :-

1. सन् 87 से मेरे पास लाईट, हेवी और पी डिक्स वाहनों का ड्रायव्हिंग लायसेंस है । मेरे पास टैक्सी का बैच नहीं है ।

2. मैं सन् 90 से 92 तक राधा बिहारी टूर एंड ट्रेव्हल्स में काम करता था, जिसका कार्यालय रामदास पेठ नागपुर में है । उस समय मैं फियट कार एम0एच0-31-2052 चलाता था ।

3. 7-11-91 को मेरे मालिक ने कहा कि सूर्या होटल से फोन आया है मैं गाड़ी लेकर सूर्या होटल चले जाऊं । मैं जब सूर्या होटल पहुंचा तो दोपहर के 3-3.15 बजे का समय रहा होगा । मेरे सेठ ने यह कहा था कि सूर्या होटल में जो यात्री है उसे कार से लेकर मैं नवेगांव बांद ले जाऊं और वहां छोड़ दूं और उससे किराया ले लूं । वहां से मैंने एक यात्री को लिया । मैं यात्री को नवेगांव बांद के सामने एम0पी0टूरिज्म होटल के सामने छोड़ा । मुझे आज याद नहीं आ रहा है कि यात्री ने कितना किराया अदा किया था । सूर्या होटल से नवेगांव बांद की दूरी करीब 140 कि0मी0 रही होगी । जहां पर मैंने यात्री को छोड़ा वहां पर एक टैम्पो ट्रेव्हलर खड़ा था, जिसमें बैठकर यात्री चला गया । मुझे आज याद नहीं है कि उस टैम्पो ट्रेव्हलर का रंग क्या था । वह टैम्पो ट्रेव्हलर नागपुर रोड पर चला गया । उस टैम्पो ट्रेव्हलर को वह यात्री खुद ही चलाते हुये ले गया था ।

4. जिस यात्री को मैंने छोड़ा वह गोल चेहरे का था और मोटा था । वह टोपी पहने हुये था । (पी कैप) पहना था । धूप से बचने के लिये उसमें सामने कव्हर था । उस यात्री को लेकर जब मैं गया तो नवेगांव बांद के पहले वह कहीं नहीं रुका ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

6. जब मैं दोपहर के 3-3.15 बजे होटल सूर्या के रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहां पर दो लोग बैठे थे । वे दोनों रिसेप्शन पर काम करने वाले थे । वहीं बाजू पर सोफे में यात्री बैठा था । वह यात्री न एकदम काला था न एकदम गोरा था ।

7. नवेगांव बांद हम लोग शाम के 6.30-7.00 बजे पहुंचे थे । यात्री जिस गाड़ी में बैठा वह मेटाडोर जैसे टैम्पो ट्रैवलर था । मैंने गाड़ी को अंदर जाकर नहीं देखा था, 10-20 कदम दूर से देखा था । अंधेरे के कारण गाड़ी का रंग नहीं देख पाया । मुझे उसका रंग बिल्कुल याद नहीं है ।

8. मैं उसी कार को ही हमेशा चलाया करता था । मेरा लायसेंस नागपुर आर0टी0ओ0 से बना हुआ है । मेरा लायसेंस नंबर एन0जी0पी0 87-9-911/है ।

9. जो अधिकारी मेरा बयान लेने आया था उसने मेरा लायसेंस मांगा था और देखकर वापस कर दिया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रशेखर एवं बलदेव.

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

11. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी0के0झा।	।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र/न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।	दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि 23/3/98
प्रतिलिपिकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0)

23/3/98

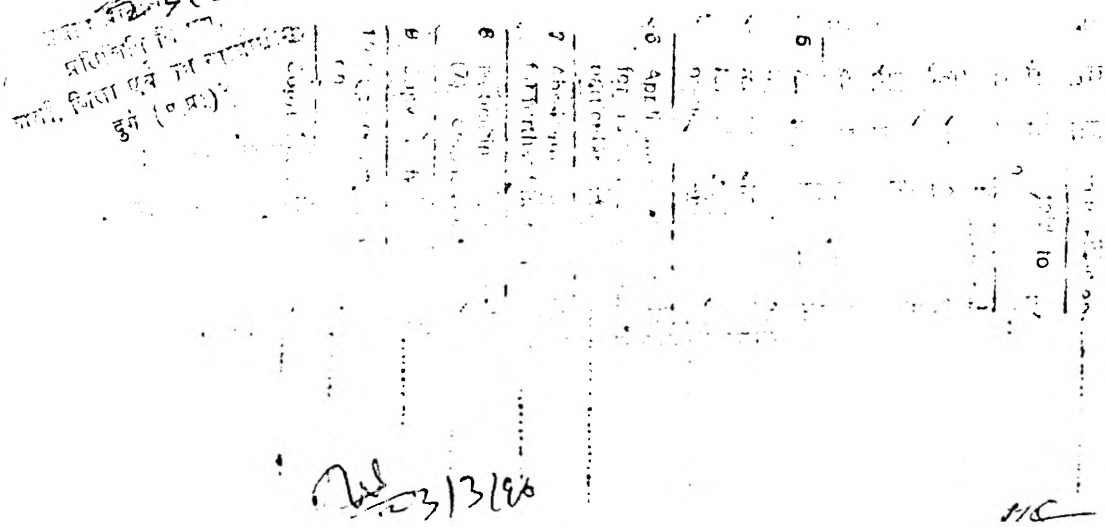

(36)

आसत लि परध्मालाख कर्त

142 अभियोजन

21-3-96

स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल मसीन
वैशालीनगर, भिलाई.

रोशा मसीन
व्यवसाय ट्रांसपोर्ट

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 75-76 से भिलाई में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा हूं । मैं सन् 84 में भारतीय युवा मोर्चा का सदस्य था और इस पार्टी के कार्यालय में मेरा आना-जाना था ।

2. वहां चंद्रकांत शाह भी आया करता था । चंद्रकांत शाह को परिवहन का कुछ कार्य मिला हुआ था, उनके कहने पर मैं उन्हें अपनी ट्रक दिया करता था । चंद्रकांत शाह परिवहन में "लिफ्ट एंड शिफ्ट" के नाम से कार्य करता था ।

3. सन् 84 में चंद्रकांत शाह ने ओसवाल स्टील कं0 आरंभ किया था । चंद्रकांत शाह को परिवहन का काम एम0पी0आयरन एंड स्टील वर्क्स, बी0एस0पी0 एवं अन्य छोटी-छोटी कंपनियों से मिला हुआ था । चंद्रकांत शाह ने यह कहा था कि उसके पास परिवहन का भी कार्य है और उसने कं0 भी डाल लिया है, इसलिये उसने मुझसे कहा कि मैं उसके परिवहन के काम का देखरेख करूं । उस समय परिवहन का काम देखने के लिये मैं आयरन एंड स्टील। ओसवाल। के ऑफिस में बैठता था और जहां-जहां ट्रक जाती थी उन स्थानों परभी मैं आया करता था । कुछ समय बाद मैंने नायक ट्रांसपोर्ट के नाम से अपना व्यवसाय आरंभ किया । मेरी कुछ गाड़ियां चंद्रकांत शाह के काम से चलती थी और चंद्रकांत शाह की गाड़ियां मेरे काम से चलती थी । चंद्रकांत शाह के साथ मेरा काम बहुत दिनों तक चलते रहा और आज भी कुछ गाड़ियां उनके साथ चलती है । चंद्रकांत शाह के परिवहन के पर्यवेक्षण का कार्य मैंने सन् 90 तक किया ।

4. सन् 89 में चंद्रकांत शाह ने ओसवाल ट्रांसपोर्ट कं0 प्रा0 लि0 के नाम से परिवहन का कार्य आरंभ किया था । उस कंपनी में मैं भी डायरेक्टर था ।

5. सन् 88 के पास मेरे पास एक बंद ट्रक पड़ी थी । मैं आर्थिक कारणों से उस ट्रक को चलाना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे फायदा होने की संभावना नहीं थी । चंद्रकांत शाह ने कहा कि फैक्टरी में क्रेन की जरूरत पड़ती है । मैंने कहा कि मैं तो क्रेन नहीं बना सकता, चाहो, तो मेरे ट्रक में क्रेन बनवा लो । उसने

मेरे ट्रक में ट्रेन लगवा लिया।

6. मैं अभियुक्त ज्ञानप्रकाश को जानता हूं। मैं युवा मोर्चा के कार्यालय में जाता था और वहां हमारे अध्यक्ष प्रभुनाथ मिश्रा थे। ज्ञानप्रकाश मिश्रा उनका छोटाभाई है, इसलिये मैं उन्हें जानता हूं। ज्ञानप्रकाश मिश्रा का चंद्रकांत शाह के फैक्टरी में आना-जाना था। वह वहां मुझसे और चंद्रकांत शाहसे मिलताथा। ओसवाल कं० का केशियर शाम को चला जाताथा। वह मेरे पास भुगतान के लिये पैसा छोड़ जाया करताथा। जो बातें मेरी जानकारी में रहती थी उसके लिये भुगतान मैं कर दिया करताथा। चंद्रकांत शाह यदि उपस्थित रहेते थे तो उनके कहने पर मैं पैसा दे दिया करताथा। हो सकता है कि चंद्रकांत शाह ने ज्ञानप्रकाश मिश्रा को पैसा देने के लिये मेरे पास चिट्ठी भेजा हो तो मैंने पैसा दिया हो।

7. ओसवा ट्रांसपोर्ट कं०प्रा० लि० जब निर्मित की गई तो उस समय मैं डायरेक्टरों में से एक था। काफी समय होने के कारण मैं पूरी तरह से यह नहीं कह सकता कि मैं चंद्रकांत शाह के लिखावट एवं हस्ताक्षर पहचान सकता हूं या नहीं। प्रदर्श पी- 373 के/अ से अ और ब से ब स्थान पर पत्र में पी-373 चंद्रकांत शाह के हस्ताक्षर जैसे दिखते हैं, किंतु मैं यह नहीं कह सकता कि यह हस्ताक्षर चंद्रकांत शाह ने ही किये हैं या नहीं। मैं 5-6 साल पहले चंद्रकांत शाह की लिखावट देखाथा। प्रदर्श पी-374/375 के पत्र चंद्रकांत की पी-374, लिखावट की किस्म की है, किंतु मैं यह नहीं कह सकता कि ये लिखावट 375 चंद्रकांत शाह के ही हैं।

8. चूंकि चंद्रकांत शाह की लिखावट को देखे हुये 4-5साल का लंबा समय गुजर गया है, इसलिये मैं आज निश्चितता से नहीं कह सकता कि मैं उसके लिखावट और हस्ताक्षर को पहचान सकता हूं। सी०बी०आई० ने मुझे कुछ दस्तावेज दिखाये थे। मैंने यह कभी नहीं कहा कि यह लिखावट और हस्ताक्षर चंद्रकांत शाह के हैं, पर यह कहा था कि उसके लिखावट और हस्ताक्षर जैसे हैं।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री संघी, अधि०</u> वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

9. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री त्रिवेदी, अधि०</u> वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

10. यह बात सही है कि सन् 91 में अभि० चंद्रकांत शाह का ट्रांसपोर्ट का, ओसवाल स्टील कं० के नाम से व्यवसाय, ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा०लि० का और प्रापर्टी डीलिंग का कामथा।

(37)

आबाद सि० चन्द्रकांत शाह वगैरह

11. यह बात सही है कि सन् 90 में चंद्रकांत शाह की ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा० लि० नई-नई आरंभ हुई थी। यह बात सही है कि इस उदयोग को म०प्र० शासन द्वारा 5वर्षों के लिये विक्रयकर से मुक्त रखा गया था। मैंने चंद्रकांत शाह से कहा था कि तुम्हारे पास पहले से इं० है तुम नई इं० क्यों खोल रहे हो तो उसने बताया कि नई इं० खोलने में बहुत अधिक फायदा है। उसने बताया था कि नई इं० में विक्रयकर की, चुंगीकर की और परचेज टैक्स की छूट है। यह छूट खरीदी पर करीब 5 से 6 % तक मिल जाता था। निश्चित रूप से नये उदयोग में पुराने उद्योग की अपेक्षा 5-6% अधिक मुनाफा होता। अभियुक्त चंद्रकांत शाह प्रतिमाह 2 हजार से 3 हजार टन कच्चा माल खरीदता था। उस समय कच्चा माल की कीमत 10 हजार से 15 हजार प्रतिटन ~~के बीच~~ रही होगी।

12. आकाशगंगा कॉम्प्लेक्स में भी अभियुक्त चंद्रकांत शाह का ऑफिस था। चूंकि यह ऑफिस मेरे घर के नजदीक था, इसलिये मैं इस ऑफिस मेंभी जाया करता था। इस ऑफिस में मेरा हमेशा आना-जाना होता था। इस ऑफिस में मैं, राजेश शाह, सूरजमल कांकरिया और स्टॉफ के लोग भी बैठते थे।

13. मैं दिवाली के समय इस ऑफिस में और लगभग हर ऑफिस में जाया करता था। दिवाली 91 में मैं उस ऑफिस में गया था। दिवाली में जहां पूजा होती है वहां हर जगह सफाई होती है। दिवाली के समय साल भर के खाते में "स्वास्तिक" बनाया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। दिवाली के समय फर्नीचर और आलमारियों कीभी सफाई करवाई जाती थी। दिवाली के समय सब सामानों को बाहर निकालकर सफाई की जाती है और उसके बाद पुनः लगाया जाता है। उसके बाद पूजा की जाती है। आकाशगंगा परिसर में चंद्रकांत शाह के ऑफिस में एक बड़ा हॉल है उसी में एक कोने में केबिन है और सामने स्टाफ बैठने का बना हुआ है। केबिन में एक कुर्सी, एक टेबल और एक आलमारी रखी थी, उसमें ताला लगता था या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं उस ऑफिस में दिवाली के समय गया था उसके बाद एक या दो बार और गया था। उसके बाद नहीं गया हूं।

14. जन एंड शाह कंपनी के ऑफिस में 2-3 कर्मचारी कार्य करने के लिये बैठते थे। उन लोग दिन भर ऑफिस का काम देखते थे।

15. चंद्रकांत शाह के ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 में उसके स्वयं का प्रोसेसिंग का कार्य इतना अधिक था कि दूसरे लोगों के जॉब वर्क का काम बहुत कम होता था।

16. मैं सन् 91 में दिवाली के बाद एक-दो बार कार्यालय गया उस समय वहां कर्मचारी थे, किंतु बाद में वह कार्यालय बंद हो गया था।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री यादव, अधि0</u> वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अजय, चंद्रप्रकाश एवं बादेव.

17. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री तिवारी, अधि0</u> वास्ते अभि0 पलटन.

18. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया।	मेरे निर्देशन पर टंकित।
(टी0के0झा)	(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)

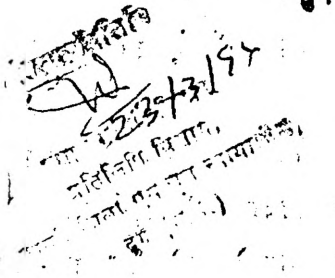

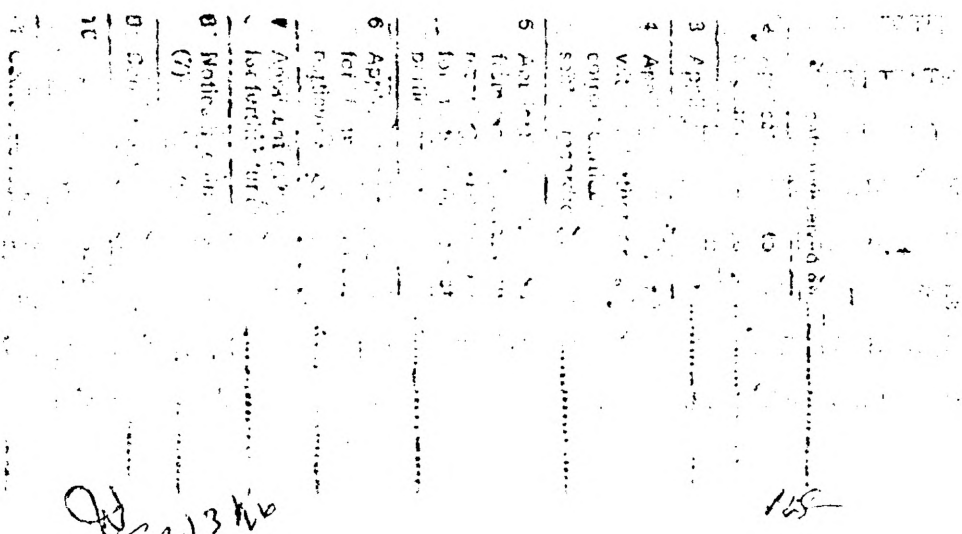

(38)

ब्यान लिए न्यायालय आदेश पर

143 अभियोजन

22-3-96

42 वर्ष

मक्कंगुलाल पंचबुद्धेव

श्री मक्कंगुलाल पंचबुद्धेव राधोजी खेती और पुलिस पटेल

नागरा, जिला-भंडारा, तह0-गोंदिया (महाराष्ट्र)

शपथपूर्वक :-

1. मैं पिछले 20 वर्षों से ग्राम नागरा में पटेल हूं । ग्राम नागरा गोंदिया से बालाघाट मार्ग पर 4 कि0मी0दूर है । ग्रामनागरा की जनसंख्या करीब 6,000 होनी चाहिये ।

2. मैं जब खेत जा रहाथा तो 7-11-91 की सुबह देखा कि नागरा से करीब आधा फर्लांग दूर पर बालाघाट रोड पर सड़क में एकटैम्पोट्रैव्हलर खड़ीथी । वह हरे रंग की थी। टैम्पो ट्रैव्हलर का नंबर मुझे आज याद नहीं है । उसके आजू-बाजू में कोईनहीं था, उसके अंदर में कोई नहीं थी, वह बंद पड़ी थी ।

3. मैं उस दिन घर वापस आ गया, फिर 9 तारीख को भी टैम्पो ट्रैव्हलर को उसी जगह खड़े हुये फिर देखा । मुझे शक हुआ कि आज तक यह गाड़ी कैसे खड़ी है । उस दिन मेरी तबियत ठीक नहीं थी, इसलिये मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सका । मैं 11 तारीख को ग्रामीण पुलिस स्टेशन गोंदिया गया और वहां इसकी सूचना दिया । थाने में मुझे निरीक्षक कुंभलकर मिले, जिन्हें मैंने बताया कि हमारे गांव के पास एक टैम्पो ट्रैव्हलर खड़ी है । उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिंग साहब से मिलकर रिपोर्ट दर्ज करा दूं । मैं सिंग साहब सेथाने में मिला और रिपोर्ट दर्ज कराया ।

4. मैं सायकल से अपने घर आ गया । उसके बाद सिंग साहब आये उनके साथ मैं लोग उस जगह गये जहां टैम्पोट्रैव्हलर खड़ी थी । मैंने और सिंग साहब ने देखा कि गाड़ी बंद पड़ी थी और उसके दरवाजे लगे हुयेथे । हमारे साथ गांव का चंद्रकांत मसखरे और एक मुसलमान व्यक्ति भी था । गाड़ी देखने के बाद सिंग साहब चले गये ।

5. 13 तारीख को पुलिस उपाधीक्षक संदीप बिश्नोई आये और उन्होंने गाड़ी के पास गार्ड लगाया । 18 तारीख को मैं गाड़ी के पास हाजिर हुआ तो मुझे यह पता लगा कि गाड़ी को ले गये हैं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रभूषण एवं बलदेव.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

9. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया । सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

(टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

प्रतिलिपि ... जिला ... दुर्ग
22/3/96

(39)

144 अभियोजन

22-3-96 35 वर्ष

बालकृष्ण

श्री नत्थू किसानी

ग्राम नागरा.

शपथपूर्वक :-

1. दिनांक 18-11-91 को पुलिस निरीक्षक कुंभलकर ने मुझे बुलाया था। मेरे साथ चोवेलाल चंद्राकर भी था। वहां पर पुलिस वाले और सी०बी०आई० वाले भी थे।

2. वहां पर हरे रंग की एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। पुलिसवालों ने गाड़ी का ताला खोला। कुंभलकर साहब ने हमें गाड़ी के अंदर बुलाया। उसमें कागजात, कपड़े, किताबें और बहुत सारे सामान थे। कपड़े में खून का दाग था। इसका जप्ती-पत्र बनाया गया था। गाड़ी और सामान जो जप्त किया था उसका जप्ती-पत्र प्रदर्श पी-376 पी-376 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। चोवालाल ने ब से ब भाग पर मेरे सामने ही अंग्रेजी में हस्ताक्षर किया था। जप्ती-पत्र पर नमूने का सील भी लगाया गया था। गाड़ी के अंदर जो सामान थे उसमें भी नमूने के सील लगाये गये थे।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

5. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन।

6. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना पाया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी०के०झा) (टी०के०झा)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०) दुर्ग (म०प्र०)

23/3/96

145 अभियोजन 22-3-96

सहाराम बिसन कुंभलकर 54 वर्ष

श्री. बिसन कुंभलकर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी

ग्राम-तुमसर, जिला-भंडारा

शपथपूर्वक :-

1. मैं दिनांक 31-5-92 को सेवा निवृत्त हुआ हूं । मैं ग्रामीण थाना गोंदिया से पुलिस निरीक्षक के पद से सेवा निवृत्त हुआ हूं । ग्राम नागरा ग्रामीण थाना गोंदिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है । उस समय आर० बी० सिंह मेरे अधिनस्थ उप-निरीक्षक थे ।

2. 11-11-91 को पुलिस पटेल थाने में आया था और बताया था कि 7-11-91 से एक गाड़ी उनके गांव के पास खड़ी है । उसने बताया था कि गाड़ी का नंबर एम० पी० 24-बी-6622 है । मैंने ग्राम पटेल को उप-निरीक्षक सिंह के पास भेज दिया । रिपोर्ट लिखने के बाद उप-निरीक्षक सिंह ग्राम पटेल के साथ ग्राम नागरा गया । आर० बी० सिंह ने बताया कि गाड़ी गेयर में है और गाड़ी का लॉक है । उसका पंचनामा किया था । आर० बी० सिंह ने बताया कि जो गाड़ी है उसे गार्ड में लगा दिया हूं ।

3. थाने से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग को यह पत्र लिखा गया कि उक्त वाहन का मालिक कौन है । इसी दौरान रघुवीर सिंह का एक टेलीग्राम थाने में प्राप्त हुआ कि पुलिस वाले उसके लड़के को परेशान कर रहे हैं और यह भी लिखा था कि नागरा के पास जो गाड़ी खड़ी है वहां पर उसके लड़के को परेशान किये हैं । हमने थाने से रघुवीर सिंह को जबलपुर के पते पर यह पत्र लिखा था कि आप थाने में आकर जानकारी दें । रघुवीर सिंह का एक पत्र भी आया था कि उसे भिलाई के किसी आदमी से यह सूचना मिली है कि उसके लड़के को पुलिस वाले परेशान किये हैं । यह पत्र की एक कापी हमें मिली थी, उसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक, दुर्ग तथा सी० बी० आई० अधिकारी को भी दी गई थी ।

4. 18-11-91 को सी० बी० आई० के अधिकारी कैप्टन साहब ग्रामीण थाना गोंदिया आये । हमारे पुलिस अधीक्षक ने हमें निर्देशित किया कि मैं सी० बी० आई० को

साथ में रहकर मदद करूं ।

5. हम लोग गोंदिया से ताला खोलने वाले को, फोटोग्राफर को और अंगुल चिन्ह लेने वाले के साथ लेकर ग्राम नागरा गये । हमने गांव के पंचों को बुलाया ताला खोलने वाले ने ताला खोला । फोटोग्राफर ने फोटो लिया । गाड़ी में पड़े कुलवर्कर और रियर मीरर में चान्स प्रिंट मिले । उसका फोटो खींचकर उसे डेवलप करने के लिये नागपुर भेजा गया । कुलवर्कर और दर्पण को जांच हेतु फिंगर प्रिंट ब्यूरो, नागपुर भेजा गया था । सी0बी0आई0 के कंवर साहब ने गाड़ी और सामान को जप्त कर थाने लाये थे । उस गाड़ी में वाहन का रजिस्ट्रेशन और बीमा के भी कागजात थे । इसका मेमो बनाया गया था । यह मेमो प्रदर्श पी-376 है । इसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

6. वाहन के अंदर कुछ कैसेट्स, चप्पल, टावेल, कुछ किताबें, गाड़ी के कागजात, कुछ कपड़े आदि थे । गाड़ी के सेट में और टावेल में खून के दाग थे । वुलन कैप, मैटिंग और तौलिये पर खून के दाग थे । वाय-1 का वुलन कैप, वाय-2 का तौलिया और वाय-3 का मैटिंग, अन्य सामानों के साथ जप्त किये गये थे । हमने मौके पर जो गाड़ी देखा था उसका नंबर एम0पी0 24बी-6622 था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 फूलचंद शाह, नवीन शाह.

7. यह बात सही है कि यह घटना करीब साढ़े 14 वर्ष पुरानी है । इस घटना के बाद मैंने कोई तफ्तीश नहीं किया था । यह घटना की तारीख मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि इस घटना के बाद मैंने स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति ले लिया था । मैंने तारीख कहीं लिखकर नहीं रखा था । चूंकि गाड़ी का नंबर पेपरों में भी प्रकाशित हुआ था, इसलिये यह नंबर मुझे कंठस्थ रही है । गाड़ी बहुत दिनों तक थाने में थी, इसलिये भी याद है ।

8. उस समय हमारे पुलिस अधीक्षक नागोले थे । उनके सरकारी गाड़ी का नंबर एम0टी0डी0-987 है । उनके पास निजी कार या स्कूटर नहीं था । हमारे थाने में और जो दूसरे उप-निरीक्षक थे उनके पास कोई निजी स्कूटर नहीं था । फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट ने कुलवर्कर, रियर मीरर से चान्स प्रिंट लिया था । उसे विशेषज्ञ के पास जांच हेतु भेजा गया था । उसके बाद मैं सेवा निवृत्त हुआ हूं । मुझे नहीं मालूम कि उस पर विशेषज्ञ की क्या रिपोर्ट आई थी ।

नं0:- 145 अभियोजन

स्टेयरिंग विल में कोई उंगली का निशान नहीं लिया गया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

9. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

11. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी0के0झा।	।टी0के0झा।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।	दुर्ग ।म0प्र0।

146 अभियोजन

22-3-96 32 वर्ष

बबनराव नेवारे

श्री सीमूलो

फोटोग्राफर

नागपुर.

शपथपूर्वक

1. पहले मैं गुप्ता स्टूडियो, गोंदिया में फोटोग्राफर का काम करताथा । दिनांक 18-11-91 को मैं ग्रामीण पुलिसथाना के उप-निरीक्षक के साथ फोटो खीचैने के लिये ग्राम नागरा गया था । हम लोग नागरा-बालाघाट रोड पर गये, वहां, एक हरे रंग की जिप्सी खड़ी थी । पुलिस अधिकारियों के कहने से मैंने उस वाहन का फोटो खीचा । मैंने उक्त वाहन का फोटोचारों तरफ से लिया था । उस फोटो को डेवलप मैंने ही स्टूडियों में कियाथा, उसका प्रिंट भी मैंने निकालाथा । गुप्ता फोटो स्टूडियो मैंने छोड़ दिया है और मैं नागपुर चला गया हूं । मैंने फोटो की निगेटिव ढूंढाथा, किंतु वह नहीं मिला । प्रदर्श पी-377।1। से 7। वही फोटो है, जो मैंने मौके पर लिये थे । प्रदर्श पी-377।1। वाहन का सामने से लिया गया फोटो है, जिसमें वाहन का नंबर एम0पी0 24बी-6622 है । प्रदर्श पी-377।2। वाहन का पीछे से लिया गया फोटो है, जिसमें भी वाहन का नंबर एम0पी0 24-बी-6622 है । 377।3। ड्रायव्हर के बाजु वाले दरवाजे से लिया गया फोटो है । इस फोटो में ड्रायव्हर सीट केउपर कपड़ा है और नीचे टोपी पड़ी हुई है । इन दोनों पर खून के निशान थेथे । प्रदर्श पी-377।4। उसी सीट का पीछे से लिया गया फोटो है । 377।5। वाहन के अंदर से लिया गया फोटो है, जिसमें कपड़ा और कैप दिख रहा है । 377।6। वाहन के मेटिंग का फोटो है, जिसमें खून के दागभी हैं । 377।7। सीट के उपर के कपड़े का फोटो है, जिसमें खून के दाग दिख रहे हैं । पी-377 ।1। से 7।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि0 वास्ते अभि0 फुलचंद शाह, नवीन शाह.

2. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

3. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 धानप्रकाश, अधेश, अभय, चंद्रप्रकाश एवं महादेव.

4.   कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन. ७१।

5.   कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।   मेरे निर्देशन पर अंकित ।

¤टी०के० झा¤	¤टी०के० झा¤
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ¤म०प्र०¤	दुर्ग ¤म०प्र०¤

प्रतिलिपि विभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय

23/3/94

23/3/94

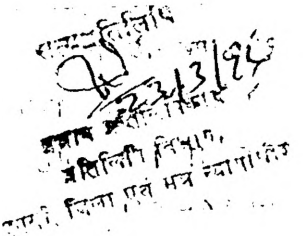

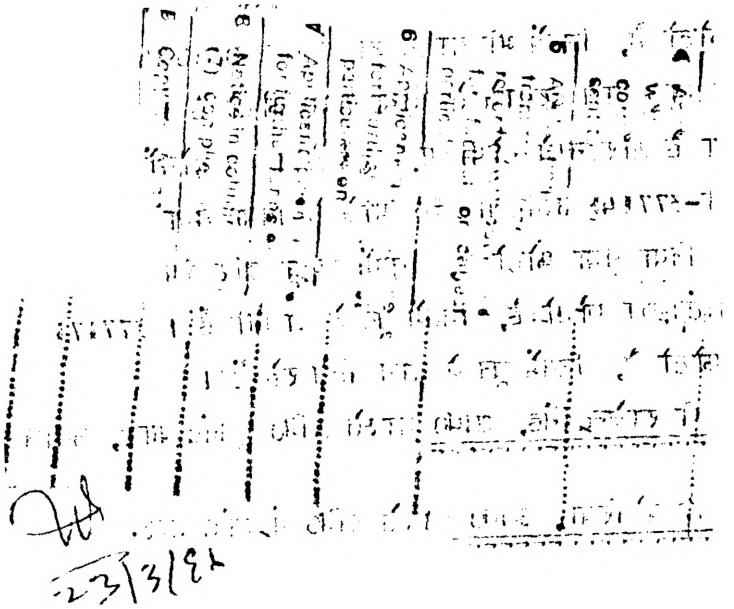

(A/37)

[illegible]

अभियोजन

22-3-96 67 वर्ष

डी०पी० सिंह

स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह केसरी कोक एंड पावर लि० में सर्विस पूर्व जनरल मैनेजर।

गाजियाबाद (उ०प्र०)

शपथपूर्वक :

1. सन् 1986 में मैं सिम्पलेक्स कास्टिंग, उरला (जिला-रायपुर) में जनरल मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था। मैं इस पद पर वहां सन् 92 तक कार्य किया। इस कंपनी में मैं उत्पादन, निर्माण एवं प्रशासन व सभी गतिविधियों को देखता था। सन् 91 में छ०मु० मोर्चा द्वारा भिलाई में आंदोलन आरंभ हुआ, जो अन्य सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ हमारे ... प्रभावी हुआ।

2. प्रभाकर उस समय हमारे फैक्टरी में टाईम ऑफिस के प्रभार में थे। मोहनलाल तिवारी केन्द्रीय उत्पाद से संबंधित मामलों को देखता था।

3. छ०मु० मोर्चा वाले जब उरला में हमारे फैक्टरी के गेट के सामने तंबू लगाकर बैठ गये और नारेबाजी, गालियां देने लगे तो मेरे द्वारा पुलिस थाने में कई बार रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हमारे फैक्टरी से जो भी कर्मचारी बाहर निकलता था उसके साथ छ०मु० मोर्चा वाले बहुत खराब व्यवहार करते थे। पांडाल में मैंने अपने फैक्टरी के कर्मचारियों की संख्या कम देखा और बहुत से अनजाने व्यक्तियों को देखा।

4. सि० कास्टिंग, उरला के डॉयरेक्टर नवीन शाह और दीपक शाह थे। प्रदर्श पी-51 की रिपोर्ट दिनांक 17-4-91 को मेरे द्वारा पुलिस थाना उरला में दर्ज कराई गई थी। इसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे निर्देश पर ही यह रिपोर्ट लिखा गया है। साक्षी को प्रदर्श पी-51 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। इस साक्षी ने कहा कि यह रिपोर्ट सही है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

5. मेरे पास प्रभाकर और मोहनलाल तिवारी यह रिपोर्ट लिखकर लाये थे। मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा था और अंतिम पैराग्राफ में मैंने अपनी ओर से ~~रेफरेंस-टू-टेक~~ डिक्टेट कराया था। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-51 के स से स भाग (अतः आपसे - - - बहुत जरूरी है) मैंने डिक्टेट कराया था और फिर हस्ताक्षर करके रिपोर्ट भेजा था।

6. यह बात सही है कि छ0मु0मोर्चा द्वारा गाली-गलौच और हड़ताल किये जाने के बावजूदगी हमारे फेक्टरी में 95% मजदूर कार्य करते थे । फेक्टरी में जब्भी हड़ताल के कारण उत्पादन पर कोई असर नहीं हुआ था । उत्पादन यदि/कम हुआ था तो वह बिक्री की कमी के कारण कम हुआथा । गेट के सामने जो लोग पांडाल गाड़कर गाली-गलौच करते थे वे गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे, उनमें हमारे श्रमिकों की संख्या बहुत कम थी । अधिकांश बाहर के गुंडे थे ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवध, अवधेश, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 मलहन.

9. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया, सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

23/3/98

अभियोजन

22-9-96 — 46 वर्ष

जनार्दन पांडे

श्री चंद्रिका पांडे — डि.विजिलेंस इंस्पेक्टर

भिलाई

शपथपूर्वक

नोट :- अभियुक्तों की ओर से यह आपत्ति की गई कि इस साक्षी का प्रस्तावित बयान इस प्रकरण के लिये सुसंगत नहीं है। अभियुक्तों की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि जब तक अप0क्र0-78/92 थाना छावनी से संबंधित लंबित दांडिक प्रकरण, जो कि न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में लंबित है में इस साक्षी का बयान न हो जाये तब तक वर्तमान प्रकरण में इस साक्षी का बयान स्थगित रखा जाये।

अभियोजन की ओर से यह बताया गया है कि वर्तमान प्रकरण आपराधिक षड्यंत्र का है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन की ओर से यह भी बताया गया है कि इस साक्षी के सामने दो अभियुक्तों के नमूने के हस्ताक्षर और लिखावट लिये गये हैं, इसलिये इस साक्षी का बयान सुसंगत है। उभय पक्षों का तर्क सुना। इस साक्षी का बयान लिया जायेगा। अभियुक्तों की आपत्ति सुरक्षित रखी जाती है एवं इसका निराकरण निर्णय के समय किया जायेगा।

1. मैं हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कं0 लि0, भिलाई में सन् 85 से डिप्टी विजिलेंस इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहा हूं। वे0 अप्पू नायर, सहायक विजिलेंस मैनेजर थे। अप्पू नायर की मृत्यु हो चुकी है।

2. पी0सी0चतुर्वेदी उप-प्रबंधक (सतर्कता) थे।

3. हमारे नियंत्रण अधिकारी सहायक प्रबंधक (सतर्कता) ने मुझे और अप्पू नायर से कहा कि हम लोग विशाखापटनम हॉस्टल में सी0बी0आई0 अधिकारी के पास चले जायें। यह बात दिनांक 29-11-91 की है। हम लोग वहां सी0बी0आई0 अधिकारी से मिले। सी0बी0आई0 अधिकारी ने हमें एक कमरे में बिठाया। वहां पर अभयकुमार सिंह भी थे। सी0बी0आई0 अधिकारी ने अभयकुमार सिंह से हमारा परिचय करवाया। अभयकुमार सिंह ने बताया कि उसने .32 बोर का पिस्टल इकबाल अहमद के पास क्वार्टर नं0-6 डी, कैम्प-1, स्टीलनगर भिलाई में रखने के लिये दे दिया है। उसने बताया था कि चाहें तो वह इसे चलकर दिखा

सकता है । ।साक्षी ने यह भी बताया कि यह पिस्तौल उसे कहां से मिला था, यह अभियुक्त ने बताया था, किंतु इस बयान को असंगत एवं अग्राह्य मानते हुये नोट नहीं किया गया । ।

अभयसिंह ने यह भी बताया था कि 10 कारतूस को भी उसने इकबाल अहमद के पास रखवाया है । अभयकुमार सिंह ने जो बयान दिया उसे सी0बी0आई0 वालों ने लिखा था/उस पर मैंने और अप्पू नायर ने भी हस्ताक्षर किये थे । जो प्रदर्श पी-378 है । अभयकुमारसिंह ने और सी0बी0आई0 अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किये थे । इसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, ब से ब भाग पर अप्पू नायर के और स से स भाग पर अभयकुमारसिंह के और द से द भाग पर सी0बी0आई0 अधिकारी के हस्ताक्षर हैं ।

5. इसके बाद हम लोग अभयकुमार सिंह के साथ क्वार्टर नं0-6डी, कैम्प-1 गये हमारे साथ सी0बी0आई0 अधिकारी, पुलिस वाले एवं अप्पू नायर थे । वहां पर अभयकुमार सिंह ने दिखाया था । 6डी क्वार्टर में पहुंचने के बाद अभयकुमार सिंह ने इकबाल अहमद को आवाज दिया । दरवाजा खोलकर इकबाल अहमद सामने आया । अभयकुमार ने इकबाल अहमद से कहा कि मैंने तुम्हें जो 2 पिस्टल और कारतूस दिया है उसे निकाल दो । अभयकुमार सिंह के कहने पर इकबाल अहमद ने अपने घर के अंदर से 2 पिस्टल और 10 कारतूस निकालकर दिया । पुलिस अधिकारी ने उसे बरामद किया और उसका कागज बनाया था । मेमो0 बयान प्रदर्श पी-378 के पीछे जो जप्ती बनाया गया है उसके अ से अ भाग पर मेरे, ब से ब भाग पर अप्पू नायर के, स से स भाग पर इकबाल अहमद के द से द भाग पर अभयकुमार सिंह के और इ से इ भाग पर सी0बी0आई0 अधिकारी के हस्ताक्षर हैं । इस जप्ती-पत्र पर नमूने के सील भी लगाये गये हैं । कपड़े के पैकेट में भी अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।। कपड़े के दूसरे थैले के भी अ से अ भाग पर मेरे ब से ब भाग पर अप्पू नायर के हस्ताक्षर हैं तथा स से स भाग पर इकबाल अहमद के हस्ताक्षर हैं । एक थैला आर्टिकल जेड-1 है, दूसरा थैला जेड-2 है । एक प्लास्टिक की डब्बी, जिसमें 10 कारतूस रखे हुये हैं तथा उसके ऊपर के कपड़े के पैकिंग के ऊपर अ से अ भाग पर मेरे और ब से ब भाग पर अप्पू नायर के हस्ताक्षर हैं, यह आर्टिकल जेड-3 है रिवॉल्वर जेड-4 और जेड-5 है । कारतूस, जो संख्या में 10 हैं जिन्हें जेड-6 अंकित किया गया ।

6. न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त अभयकुमार सिंह ने ही सी0बी0आई0 अधिकारी को बयान दिया था, जिसे मैं पहचानता हूं ।

7. 29-11-91 को ही पी0सी0चतुर्वेदी और मेरे सामने ज्ञानप्रकाश और बलदेव सिंह के हस्ताक्षर सी0बी0आई0 अधिकारी ने विशाखापटनम हॉस्टल में लिया था

मुझे यह ध्यान नहीं है कि उनसे कुछ लिखवाया गया था या नहीं। पहली साक्षी ने कहा कि उनसे कुछ नहीं लिखवाया गया था, फिर जब अभियोजन पक्ष की ओर से एस-79 से एस-87, जिन्हें प्रदर्श 379 अंकित किया गया दिखाया गया तो पी-379 साक्षी ने हस्ताक्षर देखकर कहा कि यह ज्ञानप्रकाश ने लिखा था। प्रदर्श पी-379 के प्रत्येक पेज के अ से अभाग पर मेरे, ब से ब पर चतुर्वेदी, स से स ज्ञानप्रकाश के और द से दभाग पर सी0बी0आई0 अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। ज्ञानप्रकाश की लिखावट लेने के बाद बलदेवसिंह का लिखावट लिया गया था।

8. एस-141 से 149 सभी को प्रदर्श पी-380 अंकित किया गया। पी-380 के अ से अ भाग पर मेरे, ब से ब भाग पर चतुर्वेदी के, स से स भाग पर बलदेवसिंह के और द से दभाग पर सी0बी0आई0 अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 प्रमोद शाह, नवीन शाह.

9. विजिलेंस इंस्पेक्टर के रूप में मेरी क्या ड्यूटी है यह लिखी हुई नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इसी पिस्तोल की जप्ती के संबंध में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में कोई दांडिक मामला लंबित है या नहीं है। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उस न्यायालय में इकबाल अहमद ने यह शपथ-पत्र दिया है कि इसके पास से कोई भी पिस्तौल या कारतूस बरामद नहीं किया गया है और यह झूठा मामला बनाया गया है। यह बात सही है कि मैंने आज पिस्तौलों को अपने हाथ में लेकर नहीं देखा है और पिस्तौल मुझसे 3 मीटर की दूरी पर रखा था। चूंकि यह पिस्तौल मेरे सामने सील किया गया था और आज न्यायालय में मेरे सामने ही निकाला गया है, इसलिये मैं कहता हूं कि यह वही पिस्तौल है। मुझे पिस्तौल और रिवाल्वर के अंतर के बारे में जानकारी नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि ये दोनों वस्तुयें एक ही प्रकार के हैं या अलग-अलग प्रकार हैं। इन वस्तुओं पर कुछ नंबर लिखे हैं, किंतु नंबर मुझे याद नहीं है।

10. मैंने पहले भी पिस्तौल देखा था। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने पिस्तौल किसके पास देखा है। मैं नहीं बता सकता कि यह वैसा ही पिस्तौल है जैसा पुलिस अपने पास रखती है।

11. इकबाल अहमद ने जूतेके एक डिब्बे के अंदर से पिस्तौल निकाला था। जूतेके के डब्बे में एक रैकिजन हुआ था, जिसके अंदर पिस्तौलें और कारतूस थे। मुझे ख्याल नहीं है कि जूतेका डब्बा और रैकिजन जप्त किया गया था नहीं। यह बात सही है कि मुझे आज न्यायालय में जूते का डब्बा और रैकिजन नहीं दिखाया गया है।

12. मुझे नहीं मालूम कि क्वार्टर नं0-6डी में कुल कितने कमरे हैं। हम लोग उस क्वार्टर के पहले कमरे में अंदर गये थे। पहले कमरे में एक खाट, एक टूटी कुर्सी, एक टेबल रखा था। इकबाल ने जूते का डब्बा अंदर कमरे से लाकर दिया। मैं नहीं देखा कि इकबाल ने अंदर कमरे में जूते का डब्बा कहाँ रखा था। मुझे यह ख्याल नहीं है कि इकबाल से यह लिखाया गया था नहीं कि अभयकुमार सिंह यह डब्बा उसके पास छोड़ गया है।

13. यह बात सही है कि यदि मेरे पास 6डी, कैम्प-1 का पता रहे तो मैं वहाँ जा सकता हूं।

14. अभयकुमार सिंह का बयान दोपहर में 2.00 से 3.30 के बीच लिखाया गया होगा। साक्षी कहता है कि इकबाल अहमद के घर 12.00 बजे पहुंचे थे। अब साक्षी कहता है कि अभयसिंह का बयान 12.00 बजे के बाद लिखा गया था। इकबाल-अहमद के घर हम लोग दोपहर में 1.00 से 2.00 बजे के बीच पहुंचे थे। यह बात सही है कि अभयसिंह का बयान सी0पी0आई0 के हॉस्टल में लिखा गया था। मैं हॉस्टल में 10.30 से 12.00 के बीच पहुंचा था। मैं ऑफिस से हॉस्टल गया था। हमारे ऑफिस से हॉस्टल करीब 4 कि0मी0 दूर है। ऑफिस से हम लोग अपने विभाग की गाड़ी से हॉस्टल गये थे। यह कहना गलत है कि अभयकुमार सिंह ने कोई बयान नहीं दिया था और तमाम कार्यवाही फर्जी है।

नोट :- सायंकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण स्थगित किया गया।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

आम्बिर सिं रपाय्खानार आर्च कोर्ट

नोट :- भोजनावकाश पश्चात साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर शपथ पर साक्षी का प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया।

शपथपूर्वक :-

15. यह बात सही है कि ज्ञानप्रकाश की लिखावट के नमूने सी0बी0आई0 के हॉस्टल में लिया गया था। मुझे मेरे ऑफिस से बुलाया गया था। मैं रिकार्ड देखे बगैर यह नहीं बता सकता कि ज्ञानप्रकाश से कुल कितने सीटों में लिखवाया गया था। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-379 में यह नहीं लिखा है कि ज्ञानप्रकाश से कुल कितने कागजों में लिखवाया गया था। ये कागजात लिखाने के बाद सी0बी0आई0 अधिकारी के पास ही रहे। ये कागजात सीलबंद करके नहीं रखे गये थे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि जितने कागजात आज न्यायालय में दिखाये गये हैं उससे ज्यादा कागजों में लिखे गये थे। जिस सी0बी0आई0 अधिकारी ने ज्ञानप्रकाश से लिखवाया था वह उपअधीक्षक थे उनका नाम मैं नहीं जानता। कागज सी0बी0आई0 अधिकारी के पास ही था। मुझे यह ख्याल नहीं है कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश को पेन किसने दिया था। सी0बी0आई0 अधिकारी जो डिक्टेशन देते थे वही ज्ञानप्रकाश लिखता था। मुझे याद नहीं है कि सी0बी0आई0 अधिकारी ने डिक्टेशन में ज्ञानप्रकाश से क्या लिखवाया था। यह बात सही है कि कुछ डिक्टेशन पूरे पन्ने का होता था और कुछ आधे पन्ने का होता था। यह बात सही है कि मेरे हस्ताक्षर हर पन्ने के निचले हिस्से में लेते थे।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

16. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

17. यह बात सही है कि विशाखापटनम हॉस्टल अर्थात सी0बी0आई0 हॉस्टल के एक तरफ बोरिया बाजार है, किंतु एक तरफ अधिकारियों का क्वार्टर है या नहीं मैं नहीं बता सकता। यह बात सही है कि विशाखापटनम हॉस्टल की बाजू में एक और हॉस्टल है, किंतु वह मेडिकल हॉस्टल है या नहीं मैं नहीं जानता। चूंकि विशाखापटनम हॉस्टल सेक्टरों से बाहर है, इसलिये मैं यह नहीं बता सकूंगा कि यह हॉस्टल से0-4 में पड़ता है या किस सेक्टर में पड़ता है।

18. मैं भिलाई भट्ठी थाना जानता हूं, किंतु मैं यह नहीं बता सकता कि यह सेक्टर-3 में पड़ता है या नहीं, क्योंकि यह भी सेक्टरों से बाहर है। मैं सेक्टर-5 में रहता हूं। यह बात सही है कि यदि हमारे ऑफिस से विशाखापटनम हॉस्टल जाया जाये तो बहुत सारे रहवासी मकान मिलेंगे। मैं यह नहीं बता सकता कि सी0बी0आई0 वाले मुझे क्यों बुलाये थे। सी0बी0आई0 वालों ने मुझे सीधे नहीं बुलाया था, बल्कि मेरे अधिकारी ने कहा था। मैं नहीं जानता कि मेरे उपरोक्त अधिकारी का सी0बी0आई0 वालों से कोई पूर्व संबंध है या नहीं है।

19. सी0बी0आई0 वालों ने मेरा बयान नहीं लिया था। यह बात सही है कि हमारा कार्यक्षेत्र वहीं-वहीं होता है, जहां-जहां हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कं0 लि0 का कार्य चलता है। यह बात सही है कि पूरे भिलाई इस्पात संयंत्र में हमारा काम चलता है। यह बात भी सही है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के परिसर के अंदर हमारे विभाग के बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं। यदि इन सामानों के चोरी होने की सूचना मिलती है तो हम उसकी जांच भी करते हैं। यदि चोर पकड़ाता है तो हम पुलिस को खबर भी करते हैं और मामला पुलिस को भी दे जाकर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों का पुलिस विभाग से मेल-मिलाप होते रहते हैं।

20. यह कहना गलत है कि सी0बी0आई0 अधिकारी ज्ञानप्रकाश को कुछ हथियारों का नाम और उनका रेट भी बोल रहे थे। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-379 में पिस्तौलों के नाम और रेट लिखे हैं। यह बात सही है कि उन कागजों में सी0बी0आई0 अधिकारी ने ज्ञानप्रकाश को हथियारों के नाम और रेट बोले, जिसे ज्ञानप्रकाश ने लिखा था।

21. यह कहना गलत है कि मुझे इस बात की जानकारी है कि इकबाल अहमद के घर से जो 2 पिस्तौल और कारतूस बरामद हुये उसका मामला दूसरे न्यायालय में चल रहा है इसकी मुझे जानकारी है। यह बात सही है कि मुझे वी0पी0 सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय का समंस मिला था और मैं हाजिर भी हुआ था। उस केस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरा उस मामले में बयान नहीं हुआ है। यह बात सही है कि मुझे आज याद आ रहा है कि जब मैं उस न्यायालय में उपस्थित हुआ था तो मुझे बताया गया था कि उस मामले के मूल दस्तावेज एवं हथियार इस मामले में है, इसलिये मेरा बयान नहीं हो सकता। यह बात भी सही है कि मुझे यह कहा गया था कि बाद में मेरा बयान होगा जब मूल रिकार्ड आ जायेगा और

(46)

आरक्षी निरीक्षक ... वर्ष

नं0:- 148 अभियोजन

22. मुझे उस न्यायालय का नोटिस मिला था, किंतु 3 साल पुरानी बात होने के कारण मुझे याद नहीं है कि उस नोटिस में केस का नाम और धारा तथा तारीख क्या लिखा था। चूंकि इन चीजों से बीच में कोई मतलब नहीं था, इसलिये मुझे आज याद नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है कि 29-11-91 की तारीख मुझे इसलिये याद है कि बीच-बीच में मामला रहता था। इससे पहले मेरा अदालतों में कभी बयान नहीं हुआ है। मैं जब भी बयान देने अदालत गया तो बिना बयान दिये ही मुझे लौटना पड़ा है।

23. जब मैं सी0बी0आई0 हॉस्टल पहुंचा तो मुझे बुलाने का उद्देश्य पता चला। सी0बी0आई0 वालों ने मुझे अभयसिंह से पूछताछ के लिये और ज्ञानप्रकाश तथा बलदेव सिंह को जो लिखावट लिये उसे देखने के लिये बुलाये थे और इकबाल अहमद के यहां जो जप्ती हुई थी उसके लिये भी मुझे बुलाया गया था।

24. सी0बी0आई0 अफसर ने यह नहीं पूछा कि ज्ञानप्रकाश ने 2 पिस्तौल लिये हैं उसे कहां रखे हो। यह पूछा कि कितने पिस्तौल मिले हैं और कहां रखे हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि सी0बी0आई0 अधिकारी के यह जानते थे कि अभि0 अभयसिंह कुछ जप्ती कराना चाहते हैं।

25. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभयसिंह सी0बी0आई0 के अभिरक्षा में 17-11-91 से था या कब से था। यह कहना गलत है कि अभयसिंह ने मेरे सामने कोई बयान नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि मेरे सामने कोई जप्ती नहीं हुई है। यह कहना गलत है कि मेरे सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई और मुझसे मात्र हस्ताक्षर ही कराये गये हैं।

~~पुनः परीक्षण~~

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 बेलन.

26. कुछ नहीं।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(टी0के0झा)	(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
27/3/96

(4)

अभियोजन साक्षी - राजेन्द्र कुमार

149 अभियोजन

23-3-96 35 वर्ष

आसामीकुमार

श्री कानछेदू कुमार रिक्शा चालक

मॉडल टाउन, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं रिक्शा चलाता हूं। करीब 3-4 साल पहले की बात है। मैं नेहरू नगर से सवारी लेकर मॉडलटाउन जा रहा था। रास्ते में 3-4 साहब खड़े थे, जिन्होंने मुझे रोका। वहां पर एक कार खड़ी थी। कार मैंने रोड में देखा था। प्रदर्श पी- 38। के अ से अभाग पर मेरे हस्ताक्षर उड़ियाभाषा में हैं, जो सर्च मेमो है। पी-38।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

2. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

3. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अजय, चंद्रशेखर एवं बलदेव.

4. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

5. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

।टी०के०झा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग।म०प्र०।

।टी०के०झा।
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग।म०प्र०।

सत्य प्रतिलिपि
23/3/96

एम०सी०ए०नं० 1754/96 प्रतिलिपि बयान गवाह 150 से 154 की जो कि श्री टी०पी०
सी०।। के०के०एस० राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय
में सत्र प्रक० 233/92 अभिलिखित किया गया है. जिसके पक्षकार निम्नलिखित है

म०प्र०शासन, द्वारा-थाना भिलाईनगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .. .... अभियोजन

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
   साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं० 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन-क्वा०नं०-7ए, रोड नं05, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० त्रिपुरा सिंह
   साकिन - 7जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग.
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन - सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग.
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० राजेल सिंह संधू,
   साकिन - आर - 37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कोलोनी,
   इण्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .. ... अभियुक्तगण

A No. 1754/96
केस नं० 233/92
भारत VS चाल्र्स शोभराज

150 अभियोजन

22-4-96 31 वर्ष

शंभुप्रसाद घौलागई

श्री रामप्रसाद घौलागई व्यवसाय

काठमांडू (नेपाल)

शपथपूर्वक :-

1. मैं 5 साल पहले तक होटल जनक काठमांडू नेपाल में कार्य करता था। मैं उस होटल में सन् 81-82 से कार्य करना आरंभ किया था। मैं रिसेप्शनिस्ट का कार्य करता था।

2. होटल जनक त्रिपुरेश्वर काठमांडू में है। कोई भी यात्री जब होटल में ठहरने के लिये आता है तो वह रजि० फार्म भरता है। रजि० फार्म काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट के सामने भरा जाता है। यात्री का नाम रजि० फार्म में यात्री स्वतः और कभी रिसेप्शनिस्ट भरता है। यात्री इस फार्म में अपना हस्ताक्षर करता है। मेरे अलावा होटल जनक में मधुकर (कुमार) प्रधान नामक रिसेप्शनिस्ट भी कार्य करता था। मेरे छोड़ने के बाद भी मधुकर प्रधान उस होटल में कार्य कर रहा था। वह अभी भी कार्य कर रहा है।

3. होटल जनक में उस समय करीब 27-28 कमरे थे। रजि० फार्म भरने के बाद और कमरा एलाट करने के बाद रूम चार्ट भरा जाता है। जो रिसेप्शनिस्ट ड्यूटी पर रहता है वह लिखता है कि यात्री के खाने का बिल क्या हुआ और उसने कहाँ फोन किया था। यात्री जब होटल छोड़ने लगता है तो रूम चार्ट में ही टोटल किया जाता है क्योंकि उसे ही बिल मानते हैं। होटल छोड़ते समय बिल का भुगतान करने के बाद यात्री उसमें हस्ताक्षर करता है। रूम चार्ट पर यात्री और रिसेप्शनिस्ट दोनों के हस्ताक्षर होते हैं।

4. इसी पी-332 होटल जनक की रूम चार्ट है। यह रूम चार्ट चंद्रकांत भाई एंड पार्टी के नाम पर है। इसमें पार्टी का नाम मधुकर प्रधान ने लिखा है, जिसके लिखावट से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। चंद्रकांत भाई एंड पार्टी को कमरा नं०-बी-2 और बी-4 एलाट किया गया था। 2 रूम का प्रतिदिन का किराया नेपाली करेंसी में 800/- रुपये प्रतिदिन था। इन्हीं रूम रेट 800/- रुपये और टोटल पी-381 (382

की लिखावट मधुकुमार कुयाल के हाथों की है । कमरा नंबर जी-2 और जी-4 की लिखावट भी मधुकुमार कुयाल के हैं । रूम चार्ज के अनुसार चंद्रकांत भाई एंड पार्टी होटल में दिनांक 9-3-91 को आये थे । वे लोग 12 तारीख तक रुके और 13-3-91 को चेकआउट किये । इस रसीद के तारीख वाले कॉलम में दिनांक 9-3-91 और रूम रेंट 800/- रुपये मधुकुमार की लिखावट में है तथा खाने का 236/- रुपये और ड्रिंक का चार्ज 72/- रूपये और टोटल पड़े 1108/- रूपये मेरी लिखावट में है । दिनांक 10-3-91 को रूम रेंट, खाने का चार्ज 70/- रूपये कुल 870/- रुपये मेरी लिखावट में है । दिनांक 11-3-91 और 12-3-91 की सभी प्रविष्टियां मधुकुमार के हाथ की है । प्रदर्श पी-382 में टेलीफोन का चार्ज 162/- रुपये और कुल किराया 5,839/- रुपये मधुकुमार की लिखावट में है । प्रीपेयर्ड बाई के अ से अभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैंने दिनांक 13-3-91 को तारीख डाली है ।

15. बिल बनाने के बाद यात्री से उसका भी हस्ताक्षर करवाते हैं । एप्रूव्ड बाई में ब से ब भाग पर कस्टमर ने मेरे सामने ही हस्ताक्षर किये थे ।

16. प्रदर्श पी-383 होटल ब्लैक का रजि० फार्म है । इसमें चंद्रकांत भाई एंड पार्टी मधुकुमार की लिखावट में है । इसमें कमरे नंबर जी-2, जी-4 और नंबर इन पार्टी 6 मधुकुमार की लिखावट में है । इसमें आने की तारीख 9-3-91 रूम रेंट 350-400/- रुपये कुल 800/- नेपाली करेंसी मधुकुमार की लिखावट में है । इंडियन करेंसी एड मधुकुमार की लिखावट में है । रूम रेंट में जो एन०सी० लिखा है उसका मतलब नेपाली करेंसी से है ।

17. यह बात सही है कि यह बात बहुत साल पुरानी है, इसलिये मैं यात्री को नहीं पहचान सकता, जिसने मेरे सामने होटल में हस्ताक्षर किये थे ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० फूलचंद शाह, चंद्रकांत शाह, नवीन शाह ।

18. यह बात सही है कि होटल से जो कागजात मेरे पास आते थे उनके आधार पर मैं एंट्री किया करता था, इसके इन सब बातों की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अजय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

19. मैं नेपाली नागरिक हूं । नेपाल इंटरपोल का पुलिस का आदमी मुझे यहां आने का कागज दिखाया था, जिसके आधार पर मैं यहां आया हूं । पहले पुलिस ने मुझसे जो पूछताछ किया था वह भी नेपाल के इंटरपोल पुलिस के साथ ही किया था ।

CHNo 1754/96
केस क्र 235/92
आरक्षित [illegible]

पृ:- 130

10. भारतीय पुलिस सीधे मेरे पास नहीं आई थी ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

11. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।टी0के0 झा।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

।टी0के0 झा।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

26/4/96

घर में प्रेक्टिकल की तैयारी कर रहा था । पुलिस वाला जब मेरे घर आया तो मैं घर के अंदर ही था, बाहर नहीं निकला था । बाहर किसी प्रकार की कार्यवाही हो रही थी या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । मैंने पुलिसवालों के डर के कारण साईन किया था । मैंने कहा था कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा तो पुलिस वालों ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा । पुलिस ने मुझे कहा कि पड़ोस से किसी को बुलाकर ले आओ तो मैंने आशीषकुमार को बुलाकर ले आया । आशीष कुमार ने भी बिना कुछ देखे हस्ताक्षर किया था ।

6. यह बात सही नहीं है कि अभयकुमार सिंह के 2 क्वार्टर छोड़कर कृष्णकुमार उसी ब्लाक में रहता था । कृष्णकुमार की औरत का बच्चों को लेकर अभयकुमार सिंह की औरत के साथ झगड़ा था । यह झगड़ा कचरे के ढेर को लेकर भी था । अभयकुमार सिंह ने सोचा कि मामला ज्यादा न बढ़ जाये, इसलिये उसने अपनी औरत को गांव भेज दिया था । गांव किस कारण भेजा मैं नहीं बता सकता ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पुलटन.

7. कुछ नहीं । गवाह को पढ़कर सुनाया गया ।

सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । दुर्ग ।

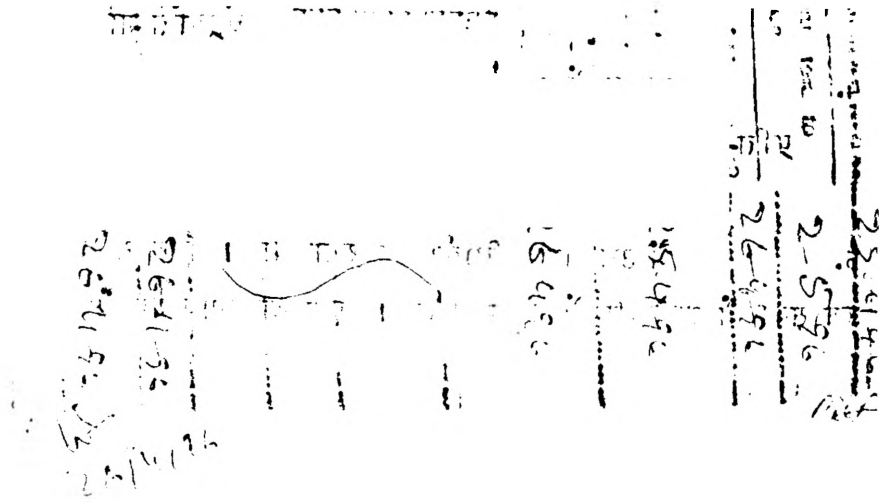

सेशन्स 233/92
भारत VS राजेन्द्र शाह वगैरह

152 अभियोजन
24-4-96 45 वर्ष

श्री मोतीभाई पटेल सी0एम0पटेल
चिमनभाई मोतीभाई पटेल सिरोलोजिस्ट

न्यू दिल्ली.

शपथपूर्वक :-

1. मैं जीव विज्ञान में एम0एस0सी0 हूं। सन् 1980 में मैंने सीनियर साइन्टिफिक ऑफिसर ग्रेड-2 के पद पर कार्य करना आरंभ किया। मैं सन् 91 से ग्रेड-1 ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहा हूं। मेरा पदनाम असिस्टेंट रासायनिक विश्लेषक है। मेरा कार्य रक्त के ग्रुप और उसके टर्म की जांच करना है। मैं शुरू से ही सिरोलोजिस्ट के पद का काम कर रहा हूं। मैं डॉ0 जी0डी0 गुप्ता को जानता हूं। वे सीनियर साइन्टिफिक ऑफिसर ग्रेड-1 जीवविज्ञान के पद पर कार्य कर रहे हैं। मैं और डॉ0 गुप्ता दोनों केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला दिल्ली में कार्य कर रहे हैं।

2. इस प्रकरण के वस्तुयें मुझे डॉ0 जी0डी0गुप्ता से दिनांक 30-12-91 को प्राप्त हुये थे। इन वस्तुओं में टॉवेल, कैप और रबर मेट थे। मैंने टॉवेल को ए-1, कैप को ए-2 और रबर मेट को बी मार्किंग किया था। मैंने इन वस्तुओं की जांच दिनांक 3-1-92 को किया था। तीनों वस्तुओं में मानव रक्त होना पाया गया, जो कि "ओ" ग्रुप का था। इसकी मैंने रिपोर्ट बनाई। मैंने रिपोर्ट डॉ0 जी0डी0गुप्ता को दे दिया। मेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-386 है, जिसके अ से अभाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पी-386

3. मैं डॉ0 जी0डी0गुप्ता के हस्ताक्षर से परीचित हूं। प्रदर्श पी-387 डॉ0 जी0डी0गुप्ता की रिपोर्ट है, जिसके अ से अभाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। पी-387

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

4. सामान्यतः 40% मनुष्यों में "ओ" ग्रुप का रक्त पाया जाता है। यह बात सही है कि शेष 40% में ए, बी एवं ए-बी ग्रुप के रक्त पाये जाते हैं।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री पटेरिया, अधि०</u> वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

5. कुछ नहीं । ८८।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री यादव, अधि०</u> वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अशोक, अनूप, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री राजेश दुबे, अधि०</u> वास्ते अभियुक्त पलटन.

7. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।डी०के०शर्मा।
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

।डी०के०शर्मा।
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म०प्र०।

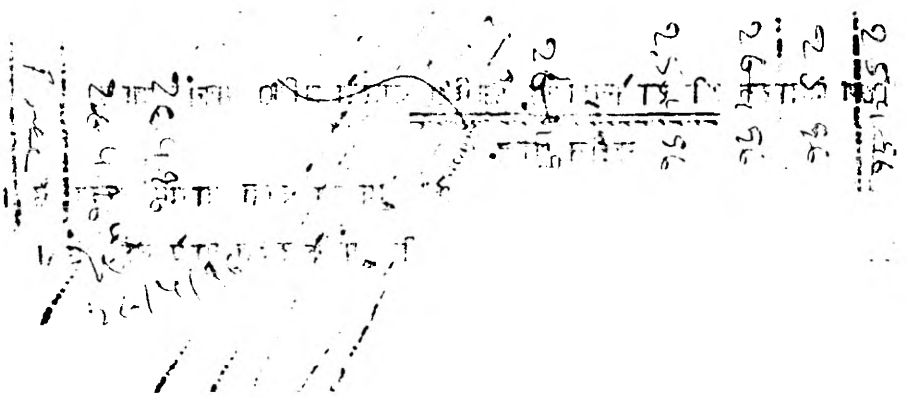

उप सा० 233/96
शासन वि० चन्द्रबक्श शाह वगैरह

153 अभियोजन

24-4-96 26 साल

महेन्द्रप्रतापसिंह

स्वर्गीय महात्मा सिंह होटल

घासीदासनगर, जामुल.

शपथपूर्वक :

1. मैं मूल रूप से जौनपुर (उ०प्र०) का रहने वाला हूं। मेरे गांव का नाम भिटुना है, जो मछली शहर तहसील में पड़ता है।

2. मेरे पिताजी का स्वर्गवास करीब 9 वर्ष पूर्व हो गया है। मेरे पिताजी स्वर्गवास के पहले ए०सी०सी० फैक्टरी जामुल (भिलाई) में कार्य करते थे। मैं अपने पिताजी के जीवनकाल में उनके साथ ही टी०आर०टी० कालोनी, क्वार्टर नं०-284, जामुल में रहता था। मेरा एक बड़ा भाई है, जिसका नाम वीरेन्द्रप्रतापसिंह है। वे नौकरी छोड़ चुके हैं और मेरे साथ होटल देखते हैं। पहले वे भी ए०सी०सी० सीमेंट फैक्टरी, जामुल में कार्य करते थे। हमारी मां हम दोनों भाईयों के साथ ही रहती है।

3. उपेन्द्रसिंह बघेल मेरे मामाजी हैं। वे ए०सी०सी० में कार्य करते हैं और ए०सी०सी० कॉलोनी में ही रहते हैं। मैं ए०सी०सी० स्कूल, जामुल में 5वीं तक की पढ़ाई किया हूं। जिस समय मैंने पढ़ाई छोड़ा उस समय मेरी उम्र करीब 16-17 वर्ष रही होगी। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने रोलिंग मिल में ठेकेदारी का कार्य किया।

4. मैं अभियुक्त चंद्रबक्श उर्फ छोटू को और बलदेव को जानता हूं। चंद्रबक्श उर्फ छोटू हमारे ही कालोनी में रहता था और बलदेव हाउसिंग बोर्ड में रहता था। वह मेरे बड़े भाई का दोस्त था। मैं इन दोनों अभियुक्तों को आज से करीब 9 साल से जान रहा हूं। अभियुक्त चंद्रबक्श और बलदेव आज न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त छोटू उर्फ चंद्रबक्श शादी वगैरह के अवसरों में हमारे यहां आता-जाता था।

5. मैं ओमलाल आयरन कं० का नाम भी नहीं जानता। मैं चंद्रकांत शाह का नाम सुना हूं, किंतु उसे नहीं पहचानता। मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा का नाम सुना हूं,

किंतु उसे नहीं जानता ।

6. यह बात सही है कि इस क्षेत्र में "विश्वकर्मा" का पूजा होता है। मैं यह नहीं बता सकूंगा कि विश्वकर्मा पूजा किस महीने के किस तारीख को होता है। मैं छ0मु0मोर्चा को जानता हूं। इनका संचालन कौन करता था मुझे नहीं मालूम।

7. मैंने शंकर गुहा नियोगी का नाम सुना है। वे नेता थे। वे मुक्ति मोर्चा के नेता थे। मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी कहां रहते थे। मुझे नहीं मालूम कि अभि0 बलदेवसिंह का जन्मदिन कब पड़ता है। मैं सन् 90 में विश्वकर्मा पूजा के दिन अभियुक्त बलदेवसिंह के घर उसके जन्मदिन पर नहीं गया था। सन् 90 में छ0मु0मोर्चा के आंदोलन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि ए0सी0सी0 में छ0मु0मोर्चा वालों ने हड़ताल कराये। इसके अलावा छ0मु0मोर्चा वालों ने कहां और कब हड़ताल कराये मुझे नहीं मालूम। आज मुझे मालूम है कि इस क्षेत्र में छ0मु0मोर्चा वालों ने उद्योगों के खिलाफ हड़ताल व आंदोलन चलाये। मैं कानपुर रोलिंग मिल में ठेकेदार के अधीनस्थ कार्य करता था। ठेकेदार रविन्दरसिंह को

8. मैं पन्नालाल तिवारी ठेकेदार को नहीं जानता। मैंने मोदी सीमेंट कंपनी में कभी भी काम नहीं किया। सन् 91 के पहले मैंने 5-6 महीना तक ठेकेदारी का काम किया था। सन् 91 में मैं कुछ नहीं किया और अपने मामा उपेन्द्रसिंह बघेल के क्वार्टर में रहता था।

9. सन् 91 में मैं अपने गांव भिंडुना नहीं गया था। मेरे जीजाजी का नाम रईन्द्रसिंह है, जो गुजरात में रहते हैं। भिलाई में मेरा कोई जीजा नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे जीजाजी मेरे गांव यह खबर भिजवाये कि चंद्रबक्श और बलदेव ने मुझे भिलाई बुलाया है। ऐसी बात नहीं है कि सन् 90 में विश्वकर्मा पूजा के दिन मैं ओसवाल आयरन कं0 गया था। चंद्रबक्श मुझे नहीं ले गया था। ऐसी बात नहीं है कि वहां चंद्रबक्श ने मेरा परिचय ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अभयसिंह और अवधेश रॉय से कराया था।

नोट :- विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रति-परीक्षण करने की अनुमति चाही।

केस डायरी/कथन देखा, अनुमति दी गई।

10. यह बात सही है कि मुझे इस बात की जानकारी हुई कि सितम्बर 91 में शंकर गुहा नियोगी की हत्या हुई। यह जानकारी मुझे समाचार-पत्रों के माध्यम से हुई। यह बात सही है कि मुझे यह भी जानकारी हुई कि नियोगी की हत्या में चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश रॉय, अभयसिंह, चंद्रबक्श और बलदेव का नाम शामिल है।

क्र० सं० 233/92
आसान 15 — पाठ्य नवीन शाह गोप

नं०:- 753 अभियोजन

मैं अभी डेढ़ साल से यह जान रहा हूँ कि शंकर गुहा नियोगी ने ओसवाल इं०, सिम्पलेक्स और अन्य औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध हड़ताल करवाया था। मैं आजभी यह नहीं जानता कि छ०मु०मोर्चा के हड़ताली मजदूरों के साथ मारपीट किया गया था।

11. मुझे चंद्रबख्श उर्फ छोटू और बलदेव सिंह ने नौकरी दिलाने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ऐसी बात नहीं है कि इन लोगों ने मुझे ज्ञानप्रकाश के साथ नवीन शाह के कार्यालय में ले गये थे। मैंने बलदेव सिंह के पास एक स्कूटर देखा था। मैंने उसके पास लाल रंग की मोटरसायकिल नहीं देखा।

12. मैं पलटन मल्लाह का नाम सुना हूँ। मैं पलटन मल्लाह का नाम भी साल-डेढ़ साल से जानता हूँ। पलटन मल्लाह का नाम मैं नियोगी के हत्या के बाद जाना उसके पहले नहीं जानता था। मैं यह नाम इसीलिये जाना कि वह नियोगी की हत्या में शामिल होना बताया गया है। मैंने पलटन मल्लाह का फोटो अखबार में या अन्य किसी स्थान पर नहीं देखा। मेरी मुलाकात पलटन से कभी नहीं हुई है।

13. मैंने मजदूर नेता उमाशंकर राय का नाम नहीं सुना है। यह बात सही है कि नियोगी की हत्या के बाद सी०बी०आई० वालों ने मुझसे पूछताछ किया था। नियोगी की हत्या के लगभग 2 महीने बाद सी०बी०आई० वालों ने मुझसे पूछताछ किया था। यह बात सही है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हेतु मुझे लाये थे। मैं न्यायालय में सिर्फ 8-10 लाईन ही बयान दिया था। इसके बाद मजि० साहब ने कहा कि अंदर जो बयान लिखा है उसे ले जाकर टाईप कर दो। प्रदर्श पी-388 के बयान अंतर्गत धारा 164 के प्रत्येक पेज पर अ से अ एवं ब से ब भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मजि० साहब ने मुझे यह नहीं कहा था कि इन बयानों पर हस्ताक्षर करना है। मुझे सरकारी वकील के कार्यालय में ले जाकर दस्तखत कराया गया है। मैंने जब हस्ताक्षर किया तो यह बयान टाईप किया हुआ था। मैं यह बयान नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिये नहीं दिया गया था। मैंने मजि० साहब को बोला था कि बयान मुझे पढ़कर सुनाइये। मुझे वहां पढ़कर नहीं सुनाया गया, बल्कि कहा गया कि बयान ले जा रहे हैं वहां पढ़कर हस्ताक्षर कर देना। मैंने मजि० साहब से कहा था कि यह मेरा बयान नहीं है तो उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत पी-388

... किया था । मैंने बाद में इसकी शिकायत उच्च-न्यायालय में नहीं किया था । मैंने मजि० साहब को प्रदर्श पी-388 का स से स का बयान। मेरे पिता - - - - काम करते थे। दिया था । मैंने पी-388 का द से द का बयान। मैं कक्षा 5वीं - - - आते-जाते थे दिया था । मैंने यहां तक की बात मजि० साहब को बताया था कि मैंने प्रदर्श पी-388 का ड से ड का बयान । सन् 90 में - - - - काम करते थे । नहीं दिया था ।

14. मुझे सी०बी०आई० वालों ने यह धमकी दिये कि यदि मैंने उच्च-न्यायालय में शिकायत किया, तो वे मुझे किसी केस में फंसा देंगे, इसलिये मैंने कभी कोई शिकायत नहीं किया । मैंने कभी भी मजि० साहब के सामने, जो बयान दिया था, उसकी नकल मैंने प्राप्त नहीं किया ।

15. मैं आज अभियुक्त पटन को देखने से नहीं पहचान सकता । मैं आज भी अ०अ० चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, नवीन शाह, अधेश राय एवं अभयसिंह को नहीं पहचान सकता ।

16. मैंने सी०बी०आई० को प्रदर्श पी-389 का अ से अ । सन् 90 में विश्वकर्मा पूजा - - - ले जाते थे। नहीं दिया था । यह कहना गलत है कि अभियुक्त प्रदर्श पी-389 चंद्रबख्श को बचाने के लिये मैं झूठा बयान दे रहा हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० फूलचंद शाह, नवीन शाह.

17. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

18. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अधेश, अभय, चंदबख्श एवं बलदेव.

19. सी०बी०आई० वाले एच०सी०एल० कॉलोनी में आये और अभियुक्त चंद्रबख्श का मकान ढूंढ रहे थे । उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं चंद्रबख्श का दोस्त हूं तो वे लोग मेरे घर आये । सी०बी०आई० वालों के पूछने पर, मैंने उन्हें चंद्रबख्श का क्वार्टर बताया । मैंने सी०बी०आई० वालों को अभियुक्त का घर बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चंद्रबख्श का दोस्त हूं । वे लोग मुझे विशाखापट्टनम हॉस्टल ले गये, जहां मुझे 14-15 दिन तक रखे । सी०बी०आई० वाले मुझे 4-5 पन्ने का लिखा हुआ बयान दिये और कहते थे कि इसे याद कर लो । मैंने कहा कि मैं कम पढ़ा-लिखा हूं तो सी०बी०आई० वालों

ने कहा कि वे पढ़कर सुनायेंगे। सी0बी0आई0 वालों ने करीब 14 दिन तक यह बयान मुझे पढ़कर सुनाये। सी0बी0आई0 वाले चाहते थे कि मैं चंद्रप्रकाश, बलदेव और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध बयान दूं। मैं झूठी गवाही देने के लिये तैयार नहीं था। सी0बी0आई0 वालों ने मेरे साथ मारपीट किया और मेरे सामने ही छोटू और बलदेव के साथ भी मारपीट किये थे। सी0बी0आई0 वाले कहते थे कि यदि बयान नहीं दूंगा तो जिस तरह छोटू और बलदेव इस केस में फंस रहे हैं, उसी तरह मुझे भी दूसरे मामले में फंसा देंगे। सी0बी0आई0 वाले 14 दिन लगातार मेरे साथ मारपीट किये। वे मेरे घरवालों को मुझसे मिलने नहीं देते थे। 15 वें दिन सी0बी0आई0 वाले बोले कि बाहर चलना है और मुझे गाड़ी में बिठाकर न्यायालय लाये। जिस गाड़ी में मुझे लाये उसके आगे पीछे भी पुलिस की गाड़ियां थीं। न्यायालय में पहले मुझे सरकारी वकील के कार्यालय में लाया गया। यह बात सही है कि सरकारी वकील का कार्यालय और न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी श्रीमती मैरियो माथुर का न्यायालय आजू-बाजू थे। सरकारी वकील के कार्यालय में मुझे बिठाकर सी0बी0आई0 वाले मैडम माथुर के चेम्बर में जाकर 20-25 मिनट बाद आये। इसके बाद सी0बी0आई0 वाले मुझे श्रीमती माथुर के न्यायालय के चेम्बर में ले गये।

20. मैंने सी0बी0आई0 के अधिकारी डेगवेकर, आर0एस0 पंवार और धनकर के विरुद्ध परिवादभी दुर्ग न्यायालय में पेश किया था। मैं परिवाद इसलिये पेश किया था कि ये लोग मेरे साथ मारपीट किये थे और झूठा बयान देने के लिये मजबूर किये थे। अभी तीनों सी0बी0आई0 अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं है। जब मुझे श्रीमती माथुर के चेम्बर में ले जाया गया तो मुझे यह नहीं बताया गयाथा कि किस उद्देश्य से मुझे ले जाया जा रहा है। चेम्बर में 3 सी0बी0आई0 के अधिकारी और 2 पुलिस अधिकारीभी मौजूदथे। सी0बी0आई0 अधिकारियों ने वहां टाईप किया हुआ कागज दिया और कहा कि इसे पढ़कर बताओ। मैं 10-12 लाईन ही पढ़कर सुनापाया कि सी0बी0आई0 अधिकारी ने वह कागज मेरे हाथ से ले लिया और साक्ष्य लेखक को टाईप करने के लिये दे दिया। यह बात सही है कि इसके बाद यह बयान टाईप किया गया। यदि मुझसे यह पूछा जाये कि मैं नियोगी केस के बारे में क्या जानता हूं तो मैं यह कहूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता,

न कि यह कहूँगा कि मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गये हैं और मेरे कितने भाई-बहन हैं। श्रीमती माथुर के न्यायालय में जोभी बयान टाईप हुआ वह मेरे इच्छा के विरुद्ध ही टाईप हुआ था।

21. मैं कल न्यायालय में बयान देने आया था। यह बात सही है कि न्यायालय कक्ष में मैं जब विशेष लोक अभियोजक से बात करने के बाद न्यायालय कक्ष से बाहर निकला तो सी०बी०आई० अधिकारी ने जबरदस्ती खींचकर मुझे गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया। उसने मुझे यह भी डराया कि वे जैसा बोलते हैं वैसा बयान दूं। इस बात की शिकायत कल मैंने न्यायालय में भी किया था। मैंने दुबारा यह शिकायत नहीं किया कि सी०बी०आई० वाले धमका रहे हैं, बल्कि न्यायालय में मैंने यह शिकायत किया कि सी०बी०आई० वालों से मुझे खतरा है, इस पर न्यायालय द्वारा कहा गया कि वह इस संबंध में लिखित शिकायत करें। मैंने सी०बी०आई० अधिकारी से यह नहीं कहा था कि उनके अधिकारी कहां बैठे हैं मुझे वहां ले चलो।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राकेश दुबे, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

22. कुछ नहीं।

पुन:- परीक्षण:-

23. मजिस्ट्रेट साहब के सामने मैंने कोई बयान नहीं दिया था। यह बात सही है कि मुझे सी०बी०आई० वाले झूठा बयान देने के लिये मजबूर किये। मैंने सिर्फ 10-15 लाईन ही अपना दिया था, बाकी कोई बयान नहीं दिया था। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-388 के ड से ड भाग पर वही बयान लिखा है, जो 10-15 दिन तक सी०बी०आई० वाले मुझे देने के लिये सिखाये थे।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह, अधि० वास्ते अभि० फूलचंद शाह, नव...

24. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह।

25. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, चंद्रप्रकाश एवं कादेव.

26. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राकेश दुबे, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

27. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया। ... मेरे निर्देशन पर।

केस नं० 233/98
शासन वि० प्रदेश सिंह व अन्य

156	अभियोजन	8
24-4-96		30 वर्ष
		विक्रमसिंह ठाकुर उर्फ पप्पू
श्री रघुराजसिंह ठाकुर		अधिवक्ता

मोतीपारा, दुर्ग.

शपथपूर्वक:

1. मैं जन्म से ही दुर्ग में रह रहा हूं । मैं बी०काम०, एल०एल०बी० किया हूं । मैं इसी वर्ष से वकालत कर रहा हूं । मैं पढ़ाई दुर्ग साइंस कॉलेज में किया हूं । मैंने एल०एल०बी० रतनचंद सुराना कॉलेज, दुर्ग से पास किया है । जब मैं पढ़ाई करता था तो और कोई कार्य नहीं करता था । मेरे पास भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेंसी थी । मेरे पिताजी हैं और हम लोग 2 भाई हैं । मेरे पिताजी, भाईयों एवं चचेरेभाईयों का लाजिंग एवं बोर्डिंग एवं स्टेशनरी का व्यवसाय है । लाजिंग एवं बोर्डिंग का काम होटल मान के नाम से किया जाता है ।

2. मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा को जानता हूं, क्योंकि वह कॉलेज में साथ में ही पढ़ता था । मैं बी०काम० में था और वह बी०ए० में था । मैं अवधेश-राव को नहीं जानता । मैं अभयसिंह को भी नहीं जानता ।

3. ज्ञानप्रकाश से मेरी कॉलेज में मुलाकात होती थी और घर भी आना-जाना होता था । मैं देवेन्द्र पाटनी उर्फ देबू को जानता हूं, उसका व्यवसाय देबू रेत और खदान का काम किया करता था । मैं देबू को 6-7 सालों से जान रहा हूं । हम लोग दुर्ग के इंदिरा मार्केट में जहां पर उठना-बैठना किया करते थे, वहीं पर देबू का भी ऑफिस था । हम लोग जहां बैठते थे वहां रत्नाकर राव, पंकज चावड़ा, थानेश्वर ठाकुर आते थे । ज्ञानप्रकाश मिश्रा कभी-कभी आया करता था ।

4. मैं हितेश भतीन उर्फ टोनी को नहीं जानता । मैं बलदेवसिंह, छोटे पहलवान और महेन्द्रसिंह को नहीं जानता । देवेन्द्र पाटनी का ऑफिस शिवनाथ मिनरल्स के नाम से था । देवेन्द्र पाटनी के साथ भी हम लोगों का कभी-कभी उठना-बैठना होता था । हमारे कुछ दोस्त देवेन्द्र पाटनी के रेत वाले काम में शामिल थे ।

5. अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा आज न्यायालय में उपस्थित है। मैं शंकर गुहा नियोगी का नाम सुना था। मैं उनके बारे में यह सुना था कि वे एक श्रमिक नेता थे। उनका संघ छ0मु0मो0 था। समाचार-पत्रों में यह आता था कि शंकर गुहा नियोगी श्रमिकों की मांगों को लेकर हड़ताल करते थे और रैली निकालते थे।

6. मैं रवि उर्फ पलटन का नाम अभी समाचार-पत्रों में आने से सुना है। उसे मैं पहले से नहीं जानता था। मैं पलटन का नाम समाचार-पत्रों में करीब 3 साल से पढ़ रहा हूं। उसका नाम समाचार-पत्रों में नियोगी हत्याकांड के संबंध में आता है।

नोट :- प्रायकाल का समय होने के कारण साक्षी का परीक्षण स्थगित किया गया।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।
सही होना पाया।

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

(टी0के0झा)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

नोट :- [illegible] पश्चात् साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर [illegible] परीक्षण प्रारंभ किया गया।

शपथपूर्वक :-

7. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि देवेन्द्र पाटनी का कोई प्लाट ज्ञानप्रकाश मिश्रा के घर के पीछे है। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने टेकू को यह कहा था कि उसके प्लाट पर जो अतिक्रमण किया गया है उसे वह हटवा देगा। [illegible]

8. [illegible] मैं संतोष सूर्या को नहीं जानता। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि संतोष सूर्या ने टेकू के साथ [illegible] किया था और ज्ञानप्रकाश मिश्रा तथा उसके साथियों ने देवेन्द्र पाटनी की मदद किया था।

9. सी0बी0आई0 वाले मुझे 5-6 बार बुलाये थे। सी0बी0आई0 वालों ने जो बयान लिखा था वह मुझे पढ़ने के लिये दिया था। यह बात सही है कि मुझे दुर्ग में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, के न्यायालय में लाया गया था। न्यायिक दंडा0, प्रथम श्रेणी श्रीमती माथुर थी। सी0बी0आई0 वाले और पुलिस कर्मचारी मुझे मजि0 साहब के सामने लेगये थे। मुझे सी0बी0आई0 वालों ने कहा कि मुझे जो बयान पढ़वाया गया है उसे मैं मजि0 साहब के सामने बोलूं। मैं वहां सी0बी0आई0 वालों ने जो बयान लिखकर दिया था उस बयान को मैंने पढ़ा।

केस नं० 235/92
[illegible] चन्द्रशेखर आदि [illegible]

10. सी0बी0आई0 वाले मुझे बाहर रखे थे और वे लोग चेम्बर में जाकर मजि0 साहब से मिले, फिर वे लोग बाहर आये और मुझे साथ लेकर मजि0 साहब के चेम्बर के अंदर लेकर गये। वहां पर मैंने बयान पढ़ा था। जो बयान मैं पढ़ते गया था उसे मजि0 साहब ने टाईपिस्ट से टाईप करवाया था। मेरी तबियत खराब थी और बयान पढ़ते समय मुझे चक्कर आ गया था। मैडम ने मुझे बाहर आने के लिये कहा, तब मैं बाहर आकर बैठ गया था। सी0बी0आई0 वालों ने मुझे चाय पिलाया कुछ आराम लगने पर, मैं चेम्बर के अंदर आया, वहां मैडम ने मुझे बैठने के लिये चेयर दी। मैं उसमें बैठ गया और आगे का बयान पढ़ा। मैडम ने उस बयान को टाईप करवाया। बयान होने के बाद मुझे चेम्बर से बाहर किया गया, फिर न्यायालय में सी0बी0आई0 के अधिकारियों ने बयान पर मेरा हस्ताक्षर लिया। प्रदर्श पी-390 के बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्र0सं0 के प्रत्येक पृष्ठ पर अ से अ और ब से ब भागों में मेरे हस्ताक्षर हैं और हस्ताक्षर के नीचे मैंने तारीख भी डाला है। साक्षी को प्रदर्श पी-390 का बयान पढ़ने के लिये दिया गया। उसका कहना है कि उसने इसी बयान को श्रीमती माथुर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के सामने पढ़ा था और यही बयान टाईप किया गया था, क्योंकि इसमें मेरे हस्ताक्षर हैं। यह बात सही है कि, न्यायालय के आदेश पत्रिका प्रदर्श पी-391 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं और उसके नीचे मैंने तारीख भी डाला है। मैंने सभी कागजात पर चेम्बर में नहीं, बल्कि न्यायालय में हस्ताक्षर किये थे। पी-390 पी-391

11. ऐसी बात नहीं है कि नियोगी की हत्या के करीब एक सप्ताह पहले ज्ञानप्रकाश मिश्रा के संदेश पर मैं और देवेन्द्र पांटली एम0 जि0 सी0 भिलाई-डेढ़ लेकर अवधसिंह के घर पहुंचे, जहां हमें अवधसिंह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, छोटे पहलवान और एक लड़का मिला, जिसका नाम ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने रवि उर्फ पलटन बताया था। ऐसी बात नहीं है कि उस समय रवि उर्फ पलटन टीशर्ट और लुंगी पहने रहा हो। [illegible]

नोट :- विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई।

12. उस समय मैं एल०एल०बी० (अंतिम) का छात्र था। मैंने यह परीक्षा सन् 92 में पास किया था। अधिवक्ता के रूप में मेरा पंजीयन 10-1-93 को हुआ है। मैं वास्तव में 6-8 महीने से ही वकालत कर रहा हूं। वकालत चालू करने के पहले मैं होटल का व्यवसाय संभालता था।

13. [illegible] मैंने कभी भी यह शिकायत नहीं किया कि मजि० साहब के सामने मेरा किस प्रकार बयान लिया गया था। यह बात सही है कि उसी दिन रात में सी०बी०आई० वाले मुझे छोड़ दिये थे कि सी०बी०आई० वालों ने कहा था कि इस बात की चर्चा किसी [illegible] करना और कहा कि तुम [illegible] बाहर चले जाओगे [illegible] मैं [illegible] अधिवक्ता [illegible] मेडम के पास यह कहने के लिये नहीं गया कि मेरा जो बयान लिया गया था वह ठीक नहीं है। [illegible] मैं रहूंगा [illegible] मैंने स्वयं यह आवेदन नहीं दिया कि मेरा जो बयान लिया गया है वह ठीक नहीं है। मैंने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया, क्योंकि सी०बी०आई० वालों ने कहा था कि इसी केस में मुझे फंसा देंगे और जैसा पहले हुआ [illegible] वैसा ही अब कर देंगे। मैंने बयान होने के बाद अपने पिताजी को बताया था कि क्या हुआ है। मैंने पिताजी को यह भी बताया था कि मुझे मजि० साहब के सामने पेश किया गया था और मेरा बयान हुआ था। मेरे [illegible] पिताजी के होटल की व्यवस्था सन् 91 से है। उसके पहले मेरे पिताजी जनरल स्टोर संभालते थे। [illegible] पिताजी [illegible] ट्रांसपोर्ट में भी डायरेक्टर थे। मेरे पिताजी की राजनैतिक नेताओं से जान पहचान होती है। चूंकि मैंने अपने पिताजी से कहा था कि सी०बी०आई० वालों ने कहा है कि किसी से चर्चा नहीं करना, इसलिये मेरे पिताजी मुझे किसी न्यायाधीश या [illegible] के पास नहीं ले गये। यह बात सही है कि [illegible] 91 से आज तक मैं शांत बैठा रहा और किसी से नहीं कहा कि सी०बी०आई० वालों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था। यह बात मैं आज ही बता रहा हूं।

मैंने सी०बी०आई० को प्रदर्श पी-392 का [illegible] बयान [illegible] दौरान - - - पी-392 [illegible] नहीं दिया था। मैंने सी०बी०आई० को [illegible] गाड़ियां होती थीं। नहीं दिया था। मैंने सी०बी०आई० को [illegible] बयान के [illegible] - - - [illegible] नहीं दिया था। मैंने [illegible] [illegible] - - - [illegible] नहीं दिया था। [illegible] मैंने उसके 3-4 दिन [illegible] - - - यहां से चले गये [illegible] नहीं दिया था। मैं [illegible] 28-3-91 - - - - [illegible] के घर गया। नहीं दिया था।

14. मैंने क से क बयान ।उसके बाद - - - - - जरूरत थी । नहीं दिया था । मैंने ख से ख का बयान ।मेरे होटल - - - - आने को बोला था। नहीं दिया था । मैंने ग से ग का बयान ।8-9-10-9। - - - पहुंच गये हैं। नहीं दिया था । मैंने घ से घ ।चंद्रकांत शाह - - - - किसी को नहीं बताई है । नहीं दिया था ।

15. मैं पहले अभि0 चंद्रकांत शाह को नहीं जानता था । समाचार-पत्रों में उसका फोटो छपा तो मैं उसे जानने लगा । आज न्यायालय में उपस्थित अभि0 चंद्रकांत शाह वैसा ही है जैसा समाचार-पत्रों में उसका फोटो छपा था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 फूलचंद शाह, नवीन शाह.

16. सी0बी0आई0 वाले मुझे 6-7 बजे/सुबह बुला लेते और रात के 10-11 बजे छोड़ते थे । वे लोग मुझे करीब 6-7 दिन बुलाये थे । सी0बी0आई0 वाले मेरे साथ मारपीट करते थे और डराते थे कि जैसा वे कहते हैं वैसा ही बयान दो । सी0बी0 आई0 वाले यह कहते थे कि वे लोग हमारा ढाबा।होटल। को बंद करा देंगे । उस समय मेरे पिताजी की आयु करीब 70 वर्ष थी । यह बात सही है कि उस समय मेरे पिताजी डर व घबराहट के कारण मंदिर में बैठे रहते थे । यह बात सही है कि सी0 बी0आई0 वाले बोले थे कि यदि यह बात किसी को बताओगे तो वे लोग मुझे बंद कर देंगे और इस केस में फंसा देंगे ।इस दहशत के कारण मैंने यह बात किसी को नहीं बताया । आज मुझसे न्यायालय में यह बात पूछी गयी तो मैंने ये बातें बताया ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रशेखर एवं बलदेव.

17. यह बात सही है कि जिस दिन मैं न्यायालय में बयान देने आया था उस दिन मेरी तबियत इसलिये खराब हो गई थी कि सी0बी0आई0 वाले मुझे प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे । मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पा रहा था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

18. कुछ नहीं ।

राकेश दुबे
प्रति-परीक्षण द्वारा श्री/~~.......~~, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

19. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।
सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

- - - - -

(ह०) अपठनीय	(ह०) अपठनीय
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग म०प्र०	दुर्ग म०प्र०